फरवरी, 2024

I.S.S.N. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय
निर्णय पत्रिका

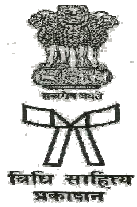

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. राजीव मणि,
सचिव, विधायी विभाग

श्री अश्वनी,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधायी विभाग, (विभागाध्यक्ष) वि.सा.प्र.

डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. आर्येन्दु द्विवेदी,
प्राचार्य, मां वैष्णों देवी ला कालेज
फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ, उ.प्र.

श्री कुलदीप चौहान,
चेयरमैन, एस.आर.सी. ला कालेज
129, सेक्टर-1, मंगल पाण्डेय नगर,
मेरठ, उ.प्र.

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री दयाल चन्द ग्रोवर,
सेवानिवृत्त उप-संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री अविनाश शुक्ला,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा,
संपादक

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह, जसवन्त सिंह, जाहन्वी शेखर शर्मा और अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

परामर्शदाता : सर्वश्री कमला कान्त, असलम खान और अविनाश शुक्ला

ISSN 2457-0494

कीमत : **डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ` 195/-

वार्षिक : ` 2,100/-

© **2024 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2024 अंक - 2

संपादक
पुण्डरीक शर्मा

[2024] 1 उम. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

क्या ऐसे किसी मामले में जहां अभियुक्त और मृतका, जिनमें प्रेम संबंध विद्यमान थे, किसी बात पर हुई कहा-सुनी में अभियुक्त ने क्रोधित होकर मृतका के सिर को दीवार में टकरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीन दिन पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 300 और 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जा सकता है ? इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एन. रामकुमार** बनाम **राज्य मार्फत निरीक्षक** [2024] 1 उम. नि. प. 55 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा मृतका को केवल एक क्षति कारित की गई थी और संपूर्ण घटना लगभग दो-तीन मिनट में घटी थी और मृतका पर हमले करने का अभियुक्त का कोई पूर्व-चिंतन नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त का आशय मृतका की मृत्यु कारित करना था किंतु उसे यह ज्ञान होने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, इसलिए धारा 300 के संघटकों का समाधान नहीं होने तथा अभियुक्त का कृत्य अत्यंत लापरवाही का होने के कारण उसके मामले में धारा 300 और 302 लागू नहीं होती है और अभियुक्त को धारा 304 भाग 2 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

क्या ऐसे किसी मामले में, जहां अभियुक्तों ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन करके मृतक की हत्या की हो और उनके विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शी

साक्षी के साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज भी न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध हो वहां ऐसे अभियुक्तों को विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ दोषसिद्ध किया जाना उचित है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नरेश** उर्फ **नेहरू** बनाम **हरियाणा राज्य** [2024] 1 उम. नि. प. 80 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता और महत्व का होना चाहिए और इसे स्वीकार करने के लिए न केवल न्यायालय का विश्वास प्रेरित होना चाहिए अपितु यह वृत्तांत ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि इसको देखते ही स्वीकार किया जा सके और जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य असंगतियों से भरा हो और स्पष्ट विरोधाभास हों तथा न केवल सीसीटीवी फुटेज के अस्तित्व में आने की रीति के बारे में गंभीर संदेह हो अपितु अभियुक्तों की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे ऐसे अभियुक्तों की दोषिता को साबित न करने और निचले न्यायालयों द्वारा अभियोजन के पक्षकथन में खामी पर विचार न करने के कारण न्याय की हानि होने से अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों द्वारा अपराध में आलिप्त करने वाला कृत्य विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था और जमाव के सदस्य जानते थे कि ऐसा कृत्य किया जाना संभाव्य है, तो जमाव के सदस्यों को दोषसिद्ध करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त है भले ही उन पर कोई स्पष्ट कृत्य करने का अभ्यारोपण न किया गया हो और सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष अभियुक्तों द्वारा लिए हुए आयुधों, उनकी गतिविधियों, उनके द्वारा कारित हिंसात्मक कृत्य और अंतिम परिणाम जैसे विभिन्न पहलुओं से निकाला जाना चाहिए किंतु जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा हो कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने अभिकथित विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य को सांझा किया था और उन्हें अन्य अभियुक्तों या मृतक की हत्या

से संपृक्त करने के लिए कोई साक्ष्य न हो, वहां ऐसे अभियुक्तों को इस धारा की सहायता से दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा ।

इस अंक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
संपादक

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2024

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
इरशाद और एक अन्य **बनाम** हरियाणा राज्य (देखिए - पृष्ठ संख्या 80)	
एन. रामकुमार **बनाम** राज्य मार्फत निरीक्षक	55
नरेश **उर्फ** नेहरू **बनाम** हरियाणा राज्य	80
मो. सिद्दीक (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि **बनाम** महंत सुरेश दास और अन्य	821

संसद् के अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	23 - 46

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 149 – विधिविरुद्ध जमाव – धारा 149 को लागू करने के लिए अनिवार्यता – अभियोजन पक्ष द्वारा अवश्य यह दर्शित किया जाना चाहिए कि अभियुक्तों द्वारा अपराध में आलिप्त करने वाला कृत्य विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था और जमाव के सदस्य जानते थे कि ऐसा कृत्य किया जाना संभाव्य है, तो जमाव के सदस्यों को दोषसिद्ध करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त है भले ही उन पर कोई स्पष्ट कृत्य करने का अभ्यारोपण न किया गया हो और सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष अभियुक्तों द्वारा लिए हुए आयुधों, उनकी गतिविधियों, उनके द्वारा कारित हिंसात्मक कृत्य और अंतिम परिणाम जैसे विभिन्न पहलुओं से निकाला जाना चाहिए किंतु जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा हो कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने अभिकथित विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य को सांझा किया था और उन्हें अन्य अभियुक्तों या मृतक की हत्या से संपृक्त करने के लिए कोई साक्ष्य न हो, वहां ऐसे अभियुक्तों को इस धारा की सहायता से दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा ।

नरेश उर्फ **नेहरू** बनाम **हरियाणा राज्य** 80

– धारा 302 और धारा 304 भाग 2 – हत्या – अभियुक्त और मृतका के बीच प्रेम संबंध होना – मृतका द्वारा अभियुक्त से बात करना बंद कर देना और एक

पृष्ठ संख्या

पड़ोसी से बात करना आरंभ कर देना – इस बात को लेकर अभियुक्त और मृतका के बीच हुई कहा-सुनी में उसके द्वारा क्रोधित होकर मृतका के सिर को दीवार में टकरा देना – सिर पर पहुंची क्षति के परिणामस्वरूप मृतका की तीन दिन पश्चात् मृत्यु हो जाना – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाना और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि किया जाना – संधार्यता – मामले के तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि अभियुक्त द्वारा मृतका को केवल एक क्षति कारित की गई थी और संपूर्ण घटना लगभग दो-तीन मिनट में घटी थी और मृतका पर हमले करने का अभियुक्त का कोई पूर्व-चिंतन नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त का आशय मृतका की मृत्यु कारित करना था किंतु उसे यह ज्ञान होने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, इसलिए धारा 300 के संघटकों का समाधान नहीं होने तथा अभियुक्त का कृत्य अत्यंत लापरवाही का होने के कारण उक्त धारा लागू नहीं होती है और अभियुक्त को धारा 304 भाग 2 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

एन. रामकुमार बनाम **राज्य मार्फत निरीक्षक** 55

– धारा 302/149 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख] – अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा विधिविरुद्ध जमाव का गठन करके मृतक की हत्या किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त-

पृष्ठ संख्या

अपीलार्थियों को विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि किया जाना – संधार्यता – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता और महत्व का होना चाहिए और इसे स्वीकार करने के लिए न केवल न्यायालय का विश्वास प्रेरित होना चाहिए अपितु यह वृत्तांत ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि इसको देखते ही स्वीकार किया जा सके और जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य असंगतियों से भरा हो और स्पष्ट विरोधाभास हों तथा न केवल सीसीटीवी फुटेज के अस्तित्व में आने की रीति के बारे में गंभीर संदेह हो अपितु अभियुक्तों की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे ऐसे अभियुक्तों की दोषिता को साबित न करने और निचले न्यायालयों द्वारा अभियोजन के पक्षकथन में खामी पर विचार न करने के कारण न्याय की हानि होने से अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें अभिकथित अपराधों से दोषमुक्त करना उचित होगा ।

नरेश उर्फ **नेहरू** बनाम **हरियाणा राज्य** 80

[2024] 1 उम. नि. प. 55

एन. रामकुमार

बनाम

राज्य मार्फत निरीक्षक

[2023 की दांडिक अपील सं. 2006]

6 सितंबर, 2023

न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 304 भाग 2 – हत्या – अभियुक्त और मृतका के बीच प्रेम संबंध होना – मृतका द्वारा अभियुक्त से बात करना बंद कर देना और एक पड़ोसी से बात करना आरंभ कर देना – इस बात को लेकर अभियुक्त और मृतका के बीच हुई कहा-सुनी में उसके द्वारा क्रोधित होकर मृतका के सिर को दीवार में टकरा देना – सिर पर पहुंची क्षति के परिणामस्वरूप मृतका की तीन दिन पश्चात् मृत्यु हो जाना – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाना और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि किया जाना – संधार्यता – मामले के तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि अभियुक्त द्वारा मृतका को केवल एक क्षति कारित की गई थी और संपूर्ण घटना लगभग दो-तीन मिनट में घटी थी और मृतका पर हमले करने का अभियुक्त का कोई पूर्व-चिंतन नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त का आशय मृतका की मृत्यु कारित करना था किंतु उसे यह ज्ञान होने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, इसलिए धारा 300 के संघटकों का समाधान नहीं होने तथा अभियुक्त का कृत्य अत्यंत लापरवाही का होने के कारण उक्त धारा लागू नहीं होती है और अभियुक्त को धारा 304 भाग 2 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

अभियोजन पक्ष के पक्षकथन के अनुसार मृतका का अपीलार्थी से प्रेम संबंध था और वह अपीलार्थी के आचरण से दुखी थी और उसकी माता ने भी उन्हें इस बाबत चेतावनी दी थी । मृतका ने अपीलार्थी को देखना बंद कर दिया और उसके साथ अपना संबंध तोड़ लिया और वह अपने एक पड़ोसी श्री सुधाकर से बात करने लगी तथा घटनाओं के उक्त उलट-फेर से उत्तेजित होने के कारण अपीलार्थी ने कथित रूप से मृतका के मकान में अतिचार किया और एक अन्य व्यक्ति से बात करने के उसके आचरण के बारे में पूछा । अपीलार्थी ने गुस्से में मृतका के कान पकड़े और उसका सिर दीवार में दे मारा और घटनास्थल से भाग गया । मृतका के सिर में पहुंची क्षति के कारण वह बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया और तीन दिनों के पश्चात् शिकायत दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294(ख), 448, 323 और 506(1) तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मृतका की तीन दिन पश्चात् मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु हो जाने पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई । अपीलार्थी-अभियुक्त का उक्त अपराध के लिए विचारण किया गया और मृतका की माता के परिसाक्ष्य के आधार पर तथा पड़ोसी, जिसने घटनास्थल से अभियुक्त को भागते हुए देखे जाने का दावा किया था, के अभिसाक्ष्य को और सहवर्ती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्वान् प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया । अभियुक्त को धारा 450 के अधीन अपराध के लिए जुर्माने सहित पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । दंडादेशों को साथ-साथ चलने का आदेश किया गया । उक्त निर्णय की वैधता को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया और उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् सेशन न्यायालय के निर्णय की यह निष्कर्ष निकालते हुए अभिपुष्टि की कि वह अपीलार्थी ही था जिसने मृतका को क्षति कारित की थी जिसके

परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई तथा पूरी तरह से साबित किया गया है कि अभियुक्त का मृतका के मकान में अतिचार करने का कृत्य उसकी हत्या करने के लिए था । उच्च न्यायालय द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि मृतका ने अभियुक्त के प्रति अपने प्यार को त्याग दिया था और उसने श्री सुधाकर नामक व्यक्ति से संबंध विकसित कर लिया था जिससे अभियुक्त प्रतिशोध लेने के लिए क्रोधित हुआ और इस कारण से वह मृतका को समाप्त करने के निश्चय के साथ उसके मकान में चला गया और इसलिए यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पहले खंड के अंतर्गत आता है और इस प्रकार वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडित किए जाने का दायी था । अभियुक्त द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधान-मंडल ने दो भिन्न शब्दावलियों 'आशय' और 'ज्ञान' का प्रयोग किया है और ऐसे कृत्य के लिए जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है और ऐसे कृत्य के लिए जो इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किया गया है और ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय के बिना किया गया है जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, अलग-अलग दंड उपबंधित किए गए हैं इसलिए 'आशय' और 'ज्ञान' को एक समान समझना असुरक्षित होगा । ये दोनों बातें अलग-अलग हैं । अपेक्षित आशय का अवधारण करने या निष्कर्ष निकालने के लिए ज्ञान होने की बात ध्यान में रखी जाने वाली परिस्थितियों में से एक परिस्थिति होगी । जहां साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था किंतु यह स्पष्ट था कि अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उसके कृत्यों से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, तो अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है । भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त अभिव्यक्ति अर्थात् "आशय" और "ज्ञान" को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों अभिव्यक्तियों के बीच विभेद की रेखा सूक्ष्म है । यदि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में, हत्या गठित

करने वाले कृत्य से यह प्रकट होता है कि धारा 300 के संघटकों का समाधान नहीं होता है और ऐसा कृत्य अत्यधिक लापरवाही का है, तो इससे उक्त धारा लागू नहीं होगी । मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के भाग 3 के भीतर लाने के लिए अवश्य यह साबित करना होगा कि वह विशिष्ट शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । दूसरे शब्दों में, मौजूद पाई गई क्षति ऐसी क्षति थी जिसे कारित किए जाने का आशय था । प्रस्तुत मामले में यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी और मृतका एक-दूसरे से प्यार करते थे । इस तथ्य से कि मृतका ने अपीलार्थी से बात करना बंद कर दिया था और वह अपने पड़ोसी श्री सुधाकर से बात कर रही थी, अपीलार्थी को मृतका के इस आचरण के बारे में क्रोधित हो जाने के लिए उत्तेजित किया था और वह मृतका के बदले व्यवहार से दुखी था । यहां तक कि अभि. सा. 1, जो कोई और नहीं अपितु मृतका की माता है, के परिसाक्ष्य के अनुसार भी अपीलार्थी और मृतका के बीच झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी और मृतका के बीच उनके प्रेम-संबंध को लेकर कहा-सुनी हुई थी । अपीलार्थी द्वारा यह बात पूछने पर कि उसने अभियुक्त से क्यों बात करना बंद कर दिया है और वह सुधाकर से क्यों दोस्ती करने की कोशिश कर रही है तथा मृतका द्वारा दिए गए उत्तर के परिणामस्वरूप अपीलार्थी क्रोधित हो गया और तत्क्षण उसने उसके बाल पकड़े और उसका सिर दीवार में दे मारा जिसके परिणामस्वरूप रक्त बहने लगा तथा यह देखकर वह घटनास्थल से भाग गया । इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा किए गए एकल हमले के साथ-साथ संपूर्ण घटना की अवधि लगभग 2-3 मिनट होने के कारण यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं होगा कि उसका आशय मृतका की हत्या करना था । यदि मृतका को जान से मारने का कोई आशय रहा होता, तो अपीलार्थी स्पष्ट रूप से तैयारी के साथ आया होता और मृतका पर पूर्व-चिंतन के साथ हमला किया गया होता । एक और अन्य पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा, अपीलार्थी स्पष्ट रूप से मृतका के पास गया था और उसका आशय उससे यह आमना-सामना करने का था कि वह उससे क्यों बात नहीं कर रही है । यद्यपि उनका प्यार है और उसका आशय श्री सुधाकर (पड़ोसी) के साथ मित्रवत होने के बारे में

संदेहों को भी दूर करने का था और इस तथ्यात्मक परिदृश्य में गर्मा-गर्म कहा-सुनी हुई और उसके उत्तर से क्रोधित होकर अपीलार्थी ने गुस्से में उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसका उसे जान से मारने का कोई आशय था, विशिष्ट रूप से जब वह उससे प्यार करता था । विधि और तथ्यों के पूर्वोक्त विश्लेषण में, हमारा सुविचारित मत है कि वर्तमान अपील भागत: मंजूर किए जाने योग्य है । अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को धारा 304 भाग 2 के अधीन परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए तब्दील/संपरिवर्तित किया जाता है और अपीलार्थी को पहले ही भुगत ली गई अवधि के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा । (पैरा 16, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2023]	2023 की दांडिक अपील सं. 2043, तारीख 20 जुलाई, 2023 को विनिश्चित : **अनबाझगन** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक** ;	19
[2019]	(2019) 7 एस. सी. सी. 424 : **प्रताप सिंह** उर्फ **पिक्की** बनाम **उत्तराखंड राज्य** ;	17
[2018]	(2018) 8 एस. सी. सी. 228 : **दीपक** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	18
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 289 : **रामपाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	14
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3010 : **पुलीचेर्ला नागराजू** उर्फ **नागराजा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	16
[1956]	ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 488 : **बासदेव** बनाम **पैप्सू राज्य** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2023 की दांडिक अपील सं. 2006.

2013 की दांडिक अपील सं. 334 में मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2015 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री एम. ए. चिन्नासामी
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री वी. कृष्णामूर्ति, अपर महाधिवक्ता, डा. जोसफ अरिस्टोटल एस., (सुश्री) वैदेही रस्तोगी और (सुश्री) ऋचा विश्वकर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – सुना ।

2. यह अपील एक दोषसिद्ध-अभियुक्त की प्रेरणा पर और 2013 की दांडिक अपील (एमडी) सं. 334 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2015 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज कर दिया और तद्द्वारा 2010 के मामला सं. 226 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश (एनसीआर), तिरुचिरापल्ली द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि की ।

3. अनावश्यक ब्यौरों को छोड़कर, संक्षेप में वे तथ्य निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर यह अपील फाइल की गई है ।

4. अभियोजन का यह पक्षकथन था कि मृतका संगीता का अपीलार्थी से प्रेम संबंध था और वह अपीलार्थी के आचरण से दुखी थी और उसकी माता ने भी उन्हें इस बाबत चेतावनी दी थी । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि मृतका ने अपीलार्थी को देखना बंद कर दिया और अपीलार्थी के साथ अपना संबंध तोड़ लिया और मृतका अपने पड़ोसी श्री सुधाकर से बात करने लगी तथा घटनाओं के उक्त उलट-फेर से उत्तेजित होने के कारण अपीलार्थी ने कथित रूप से तारीख 19 जून,

2010 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न में मृतका के मकान में अतिचार किया और एक अन्य व्यक्ति से बात करने के उसके आचरण के बारे में पूछा । अभियोजन पक्ष द्वारा यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी ने गुस्से में मृतका के कान पकड़े और उसका सिर दीवार में दे मारा और घटनास्थल से भाग गया । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया और तीन दिनों के पश्चात् शिकायत दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294(ख), 448, 323 और 506(1) तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 2010 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 1659 रजिस्ट्रीकृत की गई ।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा यह उल्लेख किया गया कि तारीख 28 जून, 2010 को मृतका, जो उपचाराधीन थी, रक्त की डकलाई करने लगी और सांस लेने में कठिनाई होने लगी तथा तारीख 29 जून, 2010 को 3.30 बजे पूर्वाह्न में उसकी मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु हो जाने पर अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 12) ने आरोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 294(ख), 448, 323, 506(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न अधिनियम की धारा 4 में परिवर्तित किया ।

6. अपीलार्थी-अभियुक्त का उक्त अपराध के लिए विचारण किया गया और मृतका की माता (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य के आधार पर तथा पड़ोसी (अभि. सा. 2), जिसने घटनास्थल से अभियुक्त को भागते हुए देखे जाने का दावा किया था, के अभिसाक्ष्य को और सहवर्ती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्वान् प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया । अभियुक्त को धारा 450 के अधीन अपराध के लिए पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 50,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और 60,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा

जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । दंडादेशों को साथ-साथ चलने का आदेश किया गया ।

7. उक्त निर्णय की वैधता को 2013 की दांडिक अपील (एमडी) सं. 334 में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया और उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् सेशन न्यायालय के निर्णय की यह निष्कर्ष निकालते हुए अभिपुष्टि की कि वह अपीलार्थी ही था जिसने मृतका को क्षति कारित की थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई तथा पूरी तरह से साबित किया गया है कि अभियुक्त का मृतका के मकान में अतिचार करने का कृत्य उसकी हत्या करने के लिए था । उच्च न्यायालय द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि मृतका ने अभियुक्त के प्रति अपने प्यार को त्याग दिया था और उसने श्री सुधाकर नामक व्यक्ति से संबंध विकसित कर लिया था जिससे अभियुक्त प्रतिशोध लेने के लिए क्रोधित हुआ और इस कारण से वह मृतका को समाप्त करने के निश्चय के साथ उसके मकान में चला गया और इसलिए यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पहले खंड के अंतर्गत आता है और इस प्रकार वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडित किए जाने का दायी था । इसलिए यह अपील की गई है ।

8. हमने विद्वान् अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एम. ए. चिन्नासामी की दलील यह है कि शिकायत दर्ज करने में विलंब किया गया था और इस आधार पर ही अभियोजन पक्ष की कहानी को विश्वसनीय नहीं समझा जा सकता । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियुक्त की दोषसिद्धि अभि. सा. 1 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है और उसके परिसाक्ष्य में पूरी तरह स्पष्ट विरोधाभास हैं और उसका परिसाक्ष्य विश्वासप्रद नहीं है तथा अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता था । उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह अभियुक्त के साथ अपनी पुत्री के प्रेम संबंध के विरुद्ध थी, इस तथ्य से ही उसका अभियुक्त के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण व्यवहार होने का पता चलता है । रसोई

के फर्श पर रक्त होने की बात को अभि. सा. 12 (अन्वेषण अधिकारी) के कथन तथा अभि. सा. 5, जिसने इस विषय में एक शब्द तक नहीं कहा है, द्वारा झुठलाया गया है । विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज की गई शिकायत से प्रकटित अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री के चेहरे पर मुक्का मारा था और वह रसोई की पटिया पर गिर गई थी । तथापि, उसने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने विपदग्रस्त के कान पकड़े और उसे दीवार में दे मारा । यद्यपि अभि. सा. 1 ने दावा किया कि मृतका को एक आटो रिक्शा में ले जाया गया था, किंतु आटो रिक्शा के ड्राइवर की परीक्षा न कराने से अभियोजन पक्ष की कहानी में संदेह उत्पन्न होता है । न तो अभियुक्त और न ही विपदग्रस्त के वस्त्रों को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि इस न्यायालय को निचले न्यायालयों के निष्कर्षों की अभिपुष्टि करनी है, तो उन्होंने निवेदन किया कि दंडादेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन परिवर्तित किया जाए क्योंकि अभियुक्त को यह ज्ञान नहीं था कि उसके कृत्य से मृत्यु हो जाना संभाव्य है इसलिए यह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध होगा ।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और उसकी अभिपुष्टि करने का निवेदन किया । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अधिक्षिप्त नहीं किया गया है और अभियोजन साक्षी प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इसलिए आक्षेपित आदेश की अभिपुष्टि की जानी चाहिए । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियुक्त का मृतका के साथ प्रेम संबंध होने के कारण वह इस बात को सहन करने में असमर्थ था कि उसकी उसके पड़ोसी सुधाकर के साथ घनिष्ठता हो गई है और निराश होकर अभियुक्त ने मृतका को समाप्त करने का चरम कदम उठाया और उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत निर्णय और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हुए दिए गए कारणों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । अतः उन्होंने इस अपील को खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

10. आरंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि तारीख 21 नवंबर, 2016 को इस अपील में सूचना जारी करते समय इसे अपराध के परिवर्तन के प्रयोजन तक सीमित रखा गया था । अत: इस सीमित क्षेत्र के भीतर इस अपील की परीक्षा की जानी है, अर्थात् क्या सेशन न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि किए गए निर्णय और दंडादेश के आदेश की अभिपुष्टि की जानी चाहिए या दंडादेश को परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के किस भाग के अधीन ?

11. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को देख लेना आवश्यक होगा । डाक्टर द्वारा मृत्यु के कारण के लिए दी गई अंतिम राय, जो प्रदर्श पी-9 से दर्शित होती है, निम्नलिखित है :–

> "मृतका की मृत्यु 'सिर पर पहुंची क्षति से होना प्रतीत होता है (विसरा रिपोर्ट संलग्न – अन्य फार्मेट में अल्कोहल का पता नहीं चला) ।"

12. डाक्टर (अभि. सा. 11), जिसने मृतका की मरणोत्तर परीक्षा की थी, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 उसने तैयार की थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि इसमें पाई गई क्षतियां तब कारित की जा सकती हैं जब व्यक्ति फिसलकर रसोई की पटिया पर गिर गया हो । उन्होंने स्वीकार किया कि उसने जिन दो क्षतियों की पहचान की थी, वे एक सप्ताह पहले पहुंची होंगी और घाव भराव की प्रक्रिया में थे । अभि. सा. 10, जो कावेरी अस्पताल, त्रिची में डाक्टर है और मृतका का परीक्षण किया था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका उस समय होश में थी जब उसने तारीख 26 जून, 2010 को उसका परीक्षण किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका बोलने की सही हालत में थी । अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् मृतका की माता-अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य की परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । इसके परिशीलन से दर्शित होता है कि उसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 19 जून, 2010 को 10.30 बजे अपराह्न में जब वह और उसकी मृतका पुत्री घर पर थे, तब अभियुक्त

उनके मकान पर आया और उसकी पुत्री से पूछा कि वह पड़ोसी सुधाकर से क्यों बात कर रही थी और उससे बात क्यों नहीं कर रही है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि इतना कहने के पश्चात् उसने उसकी पुत्री के चेहरे पर मुक्का मारा और उसके दोनों कान पकड़े तथा जोर से रसोई की दीवार में दे मारी और उसकी पुत्री तुरंत नीचे गिर गई और उसका सिर फट गया तथा दायां कान कट गया । उसके पश्चात् वह कथित रूप से अपनी पुत्री को गीतांजलि अस्पताल और अगले दिन केएमसी अस्पताल लेकर गई । मृतका के चाचा-अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य से, जो अभिलेख पर है, प्रकट होता है कि वह तारीख 19 जून, 2010 को 10.45 बजे अपराह्न में काम से लौट रहा था और उसने अपनी सास के मकान से अभियुक्त को बाहर निकलते हुए देखा और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी और इसलिए वह दौड़कर उसके मकान की ओर गया तथा मृतका को मूर्छित अवस्था में पड़े हुए देखा । पूछताछ करने पर अभि सा. 1 ने कथित रूप से उसे (अभि. सा. 2) अभियुक्त द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में बताया ।

13. घटना की उत्पत्ति और इस अपील में अपीलार्थी पर अभ्यारोपित भूमिका तथा उन डाक्टरों के परिसाक्ष्य, जिसने मृतका का उपचार किया था और जिसने मृतका की मरणोत्तर परीक्षा की थी, से प्रकट होता है कि डाक्टर ने मृतका पर दो क्षतियां पाई थीं : (i) बाएं कान पर 3 सें. मी. माप की कटने की क्षति ; और (ii) सिर की बाईं तरफ लगभग 7 सें. मी. माप के दो घाव और उसके निकट एक अन्य लघु क्षति थी । क्षतियां, जैसाकि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 में उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित हैं :–

> "(i) टांका लगे घाव – दाएं कान की पिण्डिका पर 2 सें. मी. लंबा । टांके खोलने पर किनारे अनियमित हैं, खोपड़ी के कनपटी वाले क्षेत्र में 7 सें. मी. लंबा 0.5 सें. मी. चौड़ा और मांसपेशी की गहराई तक । टांके खोलने पर किनारे अनियमित हैं, खोपड़ी के बाएं पार्श्विक क्षेत्र पर 2 सें. मी. चौड़ा, 2 सें. मी. लंबा और हड्डी की गहराई तक । टांके खोलने पर किनारे अनियमित हैं, चौड़ाई 1 सें. मी. और हड्डी की गहराई तक ।

(ii) बाईं कनपटी, खोपड़ी के बाएं पार्श्विक और बाएं अनुकपाल क्षेत्र पर गुमटा । प्रमस्तिष्क और प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध, दोनों पर सबड्यूरल रक्तस्राव और मस्तिष्क की सतह पर रक्तस्राव । बाईं खोपड़ी के मध्य में अस्थिभंग पर कपाल खात मौजूद ।"

14. जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में दिया गया मृत्यु का कारण है "सिर पर क्षति के कारण मृत्यु होना" । यह एक अतिसामान्य विधि है कि "आपराधिक मानव वध" एक वंश है और "हत्या" इसकी प्रजाति है और सभी "आपराधिक मानव वध" "हत्याएं" नहीं हैं, जैसा कि **रामपाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है । अभियुक्त के आशय का निर्णयन न केवल वास्तविक परिस्थितियों के आलोक में अपितु अनुमित परिस्थितियों के आलोक में भी किया जाना चाहिए ।

15. **बासदेव** बनाम **पैप्सू राज्य**[2] वाले मामले में पैरा 490 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

"निस्संदेह, हमें हेतु, आशय और ज्ञान के बीच विभेद करना चाहिए । हेतु ऐसा कुछ है जो व्यक्ति को आशय का गठन करने के लिए प्रेरित करता है और ज्ञान कृत्य के परिणामों की जानकारी होना है । बहुत से मामलों में आशय और ज्ञान का आपस में विलय हो जाता है और कमोवेश उसका एक ही अर्थ हो जाता है तथा आशय की उपधारणा ज्ञान से की जा सकती है । ज्ञान और आशय के बीच सीमांकन रेखा निस्संदेह बारीक है किंतु यह समझना कठिन नहीं है कि वे भिन्न-भिन्न बातों के द्योतक हैं । यहां तक कि कुछ आंग्ल विनिश्चयों में भी तीन अवधारणा परस्पर परिवर्तनीय रूप में प्रयुक्त की गई हैं और इस कारण काफी भ्रम पैदा हुआ है ।'

16. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पूर्वोक्त विनिश्चय में सुझाए गए परीक्षण और इस तथ्य से कि विधान-मंडल ने दो भिन्न

---

[1] (2012) 8 एस. सी. सी. 289.

[2] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 488.

शब्दावलियों 'आशय' और 'ज्ञान' का प्रयोग किया है और ऐसे कृत्य के लिए जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है और ऐसे कृत्य के लिए जो इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किया गया है और ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय के बिना किया गया है जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, अलग-अलग दंड उपबंधित किए गए हैं इसलिए 'आशय' और 'ज्ञान' को एक समान समझना असुरक्षित होगा । ये दोनों बातें अलग-अलग हैं । अपेक्षित आशय का अवधारण करने या निष्कर्ष निकालने के लिए ज्ञान होने की बात ध्यान में रखी जाने वाली परिस्थितियों में से एक परिस्थिति होगी । जहां साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था किंतु यह स्पष्ट था कि अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उसके कृत्यों से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, तो अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है । भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त अभिव्यक्ति अर्थात् "आशय" और "ज्ञान" को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों अभिव्यक्तियों के बीच विभेद की रेखा सूक्ष्म है । यदि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में, हत्या गठित करने वाले कृत्य से यह प्रकट होता है कि धारा 300 के संघटकों का समाधान नहीं होता है और ऐसा कृत्य अत्यधिक लापरवाही का है, तो इससे उक्त धारा लागू नहीं होगी । मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के भाग 3 के भीतर लाने के लिए अवश्य यह साबित करना होगा कि वह विशिष्ट शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । दूसरे शब्दों में, मौजूद पाई गई क्षति ऐसी क्षति थी जिसे कारित किए जाने का आशय था । **पुलीचेर्ला नागराजू** उर्फ **नागराजा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

> "अत: न्यायालय को आशय के महत्वपूर्ण प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए सावधानी और सतर्कतापूर्वक अग्रसर होना चाहिए

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3010.

क्योंकि इससे इस बात का विनिश्चय होगा कि क्या मामला धारा 302 अथवा धारा 304 भाग 1 या 304 भाग 2 के अधीन आता है । बहुत सारे तुच्छ या महत्वहीन विषय – कोई फल तोड़ लेना, आवारा पशु, बालकों का झगड़ा, कोई अपमानजनक शब्द बोलना या यहां तक कि आपत्तिजनक दृष्टि से देखना झगड़े और सामूहिक संघर्ष का कारण बन जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप हत्याएं हो जाती हैं । ऐसे मामलों में प्रायिक हेतु जैसे प्रतिशोध, लालच, ईर्ष्या या संदेह का पूरी तरह अभाव हो सकता है । हो सकता है कोई आशय भी न रहा हो । हो सकता है कोई पूर्व-चिंतन भी न हो । वास्तव में, यहां तक कि सदोषता भी न हो । इस सिलसिले के दूसरे छोर पर, हत्या के ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अभियुक्त ऐसा मामला प्रस्तुत करने का प्रयत्न करके हत्या की शास्ति से बचने का प्रयत्न कर सकता है कि मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था । यह सुनिश्चित करने का कार्य न्यायालयों का है कि धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के मामले धारा 304 भाग 1/भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराधों में संपरिवर्तित न हों, या हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के मामले धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के रूप में न समझे जाएं । मृत्यु कारित करने के आशय का पता साधारणतया, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कुछेक या कई परिस्थितियों के संयोजन से लगाया जा सकता है – (i) प्रयुक्त आयुध की प्रकृति ; (ii) क्या अभियुक्त आयुध लिए हुए था या घटनास्थल से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर किया गया है ; (iv) क्षति कारित करने में प्रयोग किए गए बल की मात्रा ; (v) क्या कृत्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई या खुली लड़ाई के अनुक्रम में किया गया था ; (vi) क्या घटना अचानक घटी थी या क्या कोई पूर्व-चिंतन था ;

(vii) क्या कोई पहले से दुश्मनी थी या मृतक एक अजनबी था ; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन था, और यदि ऐसा था तो ऐसे प्रकोपन का कारण क्या था ; (ix) क्या यह आवेश

की तीव्रता में किया गया था ; (x) क्या क्षति कारित करने वाले व्यक्ति ने असम्यक् लाभ उठाया था या किसी क्रूरतापूर्ण और अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था ; (xi) क्या अभियुक्त ने एक ही प्रहार किया था या कई प्रहार किए थे । परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निस्संदेह, नि:शेष नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जो आशय के प्रश्न पर रोशनी डाल सकती हैं । चाहे जैसी भी स्थिति हो ।"

17. **प्रताप सिंह** उर्फ **पिक्की** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह पाया था कि मृतक-विपदग्रस्त को कुल 11 क्षतियां पहुंची थीं और अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2/धारा 34 के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था । यह पाया गया था कि कुछ कहा-सुनी हुई और दोनों समूहों में किसी पूर्व-चिंतन के बिना हाथापाई हुई और अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2/धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया । इस बात पर विचार करते हुए कि उस मामले में अपीलार्थी युवा लड़के थे और तीन वर्ष और पांच माह से अधिक का दंडादेश भुगत लिया था और कोई पूर्ववर्ती दुश्मनी नहीं थी, यह न्यायालय इस बात के लिए राजी हुआ कि दंडादेश की मात्रा अत्यधिक है और तद्नुसार उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2/धारा 34 के अधीन अपराध के लिए पहले ही भुगत ली गई अवधि के लिए यह मत व्यक्त करते हुए दंडादिष्ट किया :–

> "27. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जो निवेदन किया जा रहा है हम उसमें सार नहीं पाते हैं और प्रथमत:, यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी पर दंडादेश अधिनिर्णीत करते समय सुसंगत तथ्यों का कोई विश्लेषण नहीं किया था, जैसाकि तारीख 12 जनवरी, 1998 के निर्णय (कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 96-97) से देखा जा सकता है । यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी दंडादेश की मात्रा के मुद्दे पर विचार नहीं

[1] (2019) 7 एस. सी. सी. 424.

किया । अभिलेख से प्रकटित तथ्यात्मक स्थिति से यह पाया गया है कि वे युवा लड़के थे और कोई पूर्ववर्ती दुश्मनी नहीं थी तथा सामूहिक रूप से बैठे हुए थे और जगजीत सिंह नाइट देख रहे थे । मृतक के सामने बैठी लड़कियों पर कुछ टीका-टिप्पणी करने पर कुछ कहा-सुनी हुई और उनके बीच हाथापाई हुई तथा किसी पूर्व चिंतन के बिना युवा लड़कों के दो समूहों के बीच अभिकथित दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और इस न्यायालय को यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी ने तीन वर्ष और पांच माह से अधिक का दंडादेश भुगत लिया है । समग्र रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घटना जून, 1995 की है और कोई अन्य आपराधिक इतिवृत्त होना हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है और मामले पर समग्र रूप से विचार करते हुए हम अपीलार्थी की इस दलील में बल पाते हैं कि दंडादेश की मात्रा अत्यधिक है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए ।"

18. **दीपक** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि घटना आवेश की तीव्रता में घटी थी और हमला किसी पूर्व-चिंतन के बिना तलवार से पसली पिंजर पर एक प्रहार करके किया गया था और घटना झटपट घटी थी और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया कि हत्या करने का कोई आशय नहीं था और इसलिए अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 में संपरिवर्तित किया गया और अपीलार्थी को दोषसिद्धि के लिए पहले ही भुगत ली गई अवधि तक दंडादिष्ट करके उसे तुरंत छोड़े जाने का आदेश किया गया । यह अभिनिर्धारित किया गया :–

"7. संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने पर सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना क्षणिक गर्मा-गर्मी में घटी थी और हमला पूर्व-चिंतन के बिना झटपट किया गया था । यह

[1] (2018) 8 एस. सी. सी. 228.

तथ्य कि अपीलार्थी सड़क पार अपने मकान की ओर दौड़ कर गया और एक तलवार लेकर वापस आया, घटना की उत्पत्ति और अपीलार्थी द्वारा किए गए एकल हमले के साथ-साथ संपूर्ण घटना की अवधि डेढ़ से दो मिनट होने के कारण जान से मारने का आशय होने का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है । यदि मृतक की जान लेने का कोई आशय रहा होता, तो अपीलार्थी को उसकी हत्या सुनिश्चित करने के लिए दूसरा हमला करने से रोकने वाली कोई बात नहीं थी बल्कि इसकी बजाय वह भाग गया था । आशय ऊंची आवाज में टेप-रिकार्डर बजाने के कारण एक चिड़चिड़े पड़ोसी द्वारा क्रोध प्रकट करके सबक सिखाने का ज्यादा प्रतीत होता है । किंतु प्रयुक्त आयुध की प्रकृति, पसली पिंजर क्षेत्र में किए गए हमले पर विचार करते हुए, यह ज्ञान कि मृत्यु होना संभाव्य है, अपीलार्थी पर अभ्यारोपित करना होगा ।

8. संपूर्ण साक्ष्य, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रख सकते और हमारा समाधान हो गया है कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित किए जाने योग्य है । तदनुसार, आदेश किया जाता है । उसकी दोषसिद्धि के पश्चात् अभिरक्षा में भुगत ली गई अवधि पर विचार करते हुए हम दंडादेश को पहले ही अभिरक्षा में भुगत ली गई की अवधि तक परिवर्तित करते हैं । अपीलार्थी को, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तुरंत निर्मुक्त किया जाए ।

9. अत: अपील दोषसिद्धि और दंडादेश के पूर्वोक्त उपांतरण के साथ भागत: मंजूर की जाती है ।"

19. **अनबाझगन** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक**[1] वाले मामले में हाल ही के निर्णय में इस न्यायालय ने कृत्य करने में अभियुक्त के

[1] 2023 की दांडिक अपील सं. 2043, तारीख 20 जुलाई, 2023 को विनिश्चित ।

आशय या ज्ञान का पता लगाने के लिए अपनाए जाने वाले सही परीक्षण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया :–

"60. पूर्वोक्त चर्चा से दृष्टिगोचर विधि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार है :–

(1) जब न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को क्या कहा जा सकता है, सही कसौटी उस कृत्य को करने के लिए अभियुक्त के आशय या ज्ञान का पता लगाना है । यदि आशय या ज्ञान ऐसा था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) से (4) में वर्णित है, तो वह कृत्य हत्या का होगा भले ही केवल एक ही क्षति कारित की गई हो । उदाहरण के लिए – 'क' हाथ और पैर से बंधा है । 'ख' आता है और अपनी रिवाल्वर 'क' के सिर पर रखकर 'क' को उसके सिर में गोली मारकर तुरंत मार देता है । यहां, यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि 'क' को गोली मारने में 'ख' का आशय उसे जान से मारने का था, यद्यपि केवल एक ही क्षति कारित की गई थी । अत: मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) के अंतर्गत आने वाला हत्या का होगा । एक दूसरा दृष्टांत लेते हैं, 'ख' अपने दुश्मन 'क' के कमरे में उस समय चुपके से घुस जाता है जब 'क' अपने पलंग पर सोया है । 'क' की बाईं छाती का लक्ष्य करके 'ख' बलपूर्वक 'क' की बाईं छाती में एक तलवार घोंप देता है और भाग जाता है । 'क' की उसके पश्चात् शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है । 'क' को पहुंची क्षति को मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त होना पाया जाता है । वहां यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि 'ख' ने कारित की गई क्षति साशय कारित की थी और वह क्षति वस्तुपरक रूप से मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त थी । इससे 'ख' का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (3) के भीतर आएगा और उसे हत्या

के अपराध का दोषी ठहराएगा यद्यपि केवल एक ही क्षति कारित की गई थी ।

2. यहां तक कि जब अभियुक्त का आशय या ज्ञान भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) से (4) के अंतर्गत आ सकता हो, अभियुक्त के मामले में इस धारा में प्रगणित पांच अपवादों में से कोई अपवाद लागू होने पर अभियुक्त का कृत्य, जो अन्यथा हत्या होता, हत्या के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा । मामला इन अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने की दशा में अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का होगा, यदि अभियुक्त का मामला ऐसा है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) से (3) के अंतर्गत आता है । यदि मामला ऐसा है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (4) के अंतर्गत आता है, तो यह धारा 304 के भाग 2 के अधीन अपराध का होगा । पुनश्च, अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा हो सकता है कि केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 299 का दूसरा या तीसरा भाग लागू होता हो न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंडों में से कोई खंड । उस स्थिति में भी, अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का होगा । यदि मामला धारा 299 के दूसरे भाग के अंतर्गत आता है, तो यह उस धारा के भाग 1 के अधीन अपराध होगा, जबकि यदि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तीसरे भाग के अंतर्गत आता है, तो यह धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन अपराध होगा ।

(3) दूसरे शब्दों में, यदि अभियुक्त व्यक्ति का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में यथा वर्णित आपराधिक मानव वध के मामलों के पहले दो खंडों के अंतर्गत आता है, तो यह धारा 304 के पहले भाग के अधीन दंडनीय है । तथापि, यदि यह तीसरे खंड के

अंतर्गत आता है, तो यह धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन दंडनीय है । इसलिए वस्तुतः, इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब 'दोषपूर्ण आशय' हो जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई आशय न हो किंतु 'दोषपूर्ण ज्ञान' हो ।

(4) यदि एक ही क्षति कारित की गई है और यदि वह विशिष्ट क्षति पहुंचाने का आशय था और वस्तुपरक रूप से वह क्षति मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त थी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तीसरे खंड की अपेक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं और अपराध हत्या का होगा ।

(5) भारतीय दंड संहिता की धारा 304 मामलों के निम्नलिखित वर्गों को लागू होगी – (i) जब मामला धारा 300 के खंडों में से किसी एक या अन्य के अंतर्गत आता है किंतु यह इस धारा के अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आता हो, (ii) जब कारित की गई क्षति की संभाव्यता की मात्रा इतनी अधिक न हो जो 'मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हो अपितु इसकी संभाव्यता की मात्रा कमतर हो जिसे साधारणतया ऐसी क्षति के रूप में कहा जाता है जिससे 'मृत्यु कारित होना संभाव्य है' और मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (2) के अंतर्गत नहीं आता है, (iii) जब कृत्य इस ज्ञान से किया गया हो कि मृत्यु हो जाना संभाव्य है किंतु मृत्यु कारित करने के आशय के बिना या ऐसी क्षति कारित करने के आशय के बिना जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है ।

इसे और अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से कहा जाए, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दोनों भागों में फर्क यह है कि पहले भाग के अधीन अपराध हत्या का होना पहले सिद्ध किया जाता है और फिर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक अपवाद का फायदा दिया जाता है,

जबकि दूसरे भाग के अधीन अपराध हत्या का होना कतई सिद्ध नहीं किया जाता है । इसलिए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के प्रयोजन के लिए अभियुक्त को अपना मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से किसी के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है ।

(6) 'संभाव्य है' शब्द से अधिसंभाव्य अभिप्रेत है और यह अधिक 'संभव' से सुभिन्न है । जब घटना घटने की संभावना इसके न घटने की अपेक्षा कहीं अधिक हों, तब हम कह सकते हैं कि 'अधिसंभाव्यत: घटित' हुई होगी । इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को स्वयं को अभियुक्त की स्थिति में रखना चाहिए और फिर विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उस कृत्य से उसके द्वारा मृत्यु कारित किया जाना संभाव्य है ।

(7) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पर विचार करते हुए आपराधिक मानव वध (भारतीय दंड संहिता की धारा 299) और हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 300) के बीच विभेद को सदैव सावधानीपूर्वक ध्यान में रखना चाहिए । विधिविरुद्ध मानववधों के प्रवर्ग में हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध और हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध दोनों के मामले ही मामले आएंगे । आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है जब मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पांच अपवादों के भीतर लाया जाता है । किंतु भले ही उक्त पांच अपवादों में से किसी का भी अभिवाक् न किया गया हो या अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर प्रथम-दृष्ट्या सिद्ध न किया गया हो, फिर भी विधि के अधीन अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को हत्या का आरोप सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार खंडों में से किसी के अधीन लाया जाना चाहिए । यदि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड

संहिता की धारा 300 के चार खंडों अर्थात् पहले से चौथे खंड में से किसी खंड को साबित करने के इस भार का निर्वहन करने में असफल रहता है, तो हत्या का आरोप सिद्ध नहीं होगा और मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन यथावर्णित हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का हो सकेगा ।

(8) न्यायालय को अवश्य आपराधिक मन:स्थिति के प्रश्न पर विचार करना चाहिए । यदि धारा 300 का तीसरा खंड लागू किया जाना है, तो हमलावर का आशय अवश्य मृतक को पहुंची विशिष्ट क्षति को कारित करने का होना चाहिए । इस संघटक को विरले ही प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है । महत्वपूर्ण रूप से, यह मामले की साबित की गई परिस्थितियों से निकाले जाने वाले निष्कर्ष का विषय है । न्यायालय को आवश्यक रूप से प्रयुक्त किए गए आयुध की प्रकृति, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग, क्षति की व्याप्ति, क्षति कारित करने में प्रयुक्त बल की मात्रा, आक्रमण की रीति, आक्रमण से पूर्व की और विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए ।

(9) जान से मारने का आशय ही केवल वह आशय नहीं है जो आपराधिक मानव वध को हत्या बनाता है । ऐसी क्षति या क्षतियां, जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, कारित करने का आशय भी आपराधिक मानव वध को हत्या बनाता है यदि वास्तव में मृत्यु कारित हुई है और ऐसी क्षति या क्षतियां कारित करने के आशय का निष्कर्ष उस कृत्य या कृत्यों से निकाला जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप क्षति या क्षतियां कारित हुई हैं ।

(10) जब अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई एकमात्र क्षति के परिणामस्वरूप विपदग्रस्त की मृत्यु हो जाती है, तो एक साधारण सिद्धांत के रूप में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि

अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का या वह विशिष्ट क्षति कारित करने का नहीं था जिसके परिणामस्वरूप विपदग्रस्त की मृत्यु हुई । अभियुक्त का अपेक्षित दोषपूर्ण आशय था या नहीं एक तथ्य का प्रश्न है जिसका अवधारण प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(11) जहां अभियोजन पक्ष साबित कर देता है कि अभियुक्त का आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या शारीरिक क्षति कारित करने का था और आशयित क्षति मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है, तो भले ही उसने एक ही क्षति कारित की हो जिसके परिणामस्वरूप विपदग्रस्त की मृत्यु हो जाती है तो अपराध, जब तक कि कोई अपवाद लागू न होता हो, पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तीसरे खंड के अंतर्गत आएगा ।

12. ऐसे किसी मामले में जहां उसके द्वारा केवल एक ही क्षति कारित की गई है और वह क्षति मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए कि क्या अभियुक्त का दोषपूर्ण आशय या उसको दोषपूर्ण ज्ञान था, यह तथ्य कि वह कृत्य अचानक हुई लड़ाई या झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया गया है, या यह कि परिस्थितियों में यह न्यायोचित है कि क्षति दुर्घटनावश या अनाशयित थी, या यह कि उसका आशय केवल एक साधारण क्षति कारित करने का था, इससे दोषपूर्ण ज्ञान होने का निष्कर्ष निकलेगा और अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन आने वाला अपराध होगा ।"

20. इस प्रकार, धारा 302 के अधीन अधिरोपित दंडादेश को धारा 304 भाग 2 में संपरिवर्तित करने के लिए इसमें ऊपर विश्लेषित निर्णयज विधि से यह प्रकट होता है कि विचारण के दौरान स्पष्ट हुए तथ्यों को देखा जाना होगा । प्रस्तुत मामले के तथ्यों में, यह दृष्टिगोचर

होता है कि मृत्यु कारित करने के लिए कोई पूर्व-चिंतन नहीं था या घटना की उत्पत्ति और अभियुक्त द्वारा किए गए एकल हमले तथा संपूर्ण घटनाक्रम की अवधि आशय का न्यायनिर्णयन करने वाले कारक हैं । इस अपराध को स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 की परिधि के भीतर लाया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी और मृतका एक-दूसरे से प्यार करते थे । इस तथ्य से कि मृतका ने अपीलार्थी से बात करना बंद कर दिया था और वह अपने पड़ोसी श्री सुधाकर से बात कर रही थी, अपीलार्थी को मृतका के इस आचरण के बारे में क्रोधित हो जाने के लिए उत्तेजित किया था और वह मृतका के बदले व्यवहार से दुखी था । यहां तक कि अभि. सा. 1, जो कोई और नहीं अपितु मृतका की माता है, के परिसाक्ष्य के अनुसार भी अपीलार्थी और मृतका के बीच झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी और मृतका के बीच उनके प्रेम-संबंध को लेकर कहा-सुनी हुई थी । अपीलार्थी द्वारा यह बात पूछने पर कि उसने अभियुक्त से क्यों बात करना बंद कर दिया है और वह सुधाकर से क्यों दोस्ती करने की कोशिश कर रही है तथा मृतका द्वारा दिए गए उत्तर के परिणामस्वरूप अपीलार्थी क्रोधित हो गया और तत्क्षण उसने उसके बाल पकड़े और उसका सिर दीवार में दे मारा जिसके परिणामस्वरूप रक्त बहने लगा तथा यह देखकर वह घटनास्थल से भाग गया । इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा किए गए एकल हमले के साथ-साथ संपूर्ण घटना की अवधि लगभग 2-3 मिनट होने के कारण यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं होगा कि उसका आशय मृतका की हत्या करना था । यदि मृतका को जान से मारने का कोई आशय रहा होता, तो अपीलार्थी स्पष्ट रूप से तैयारी के साथ आया होता और मृतका पर पूर्व-चिंतन के साथ हमला किया गया होता । एक और अन्य पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा, अपीलार्थी स्पष्ट रूप से मृतका के पास गया था और उसका आशय उससे यह आमना-सामना करने का था कि वह उससे क्यों बात नहीं कर रही है । यद्यपि उनका प्यार है और उसका आशय श्री सुधाकर (पड़ोसी) के साथ मित्रवत होने के बारे में संदेहों को भी दूर करने का था और इस

तथ्यात्मक परिदृश्य में गर्मा-गर्म कहा-सुनी हुई और उसके उत्तर से क्रोधित होकर अपीलार्थी ने गुस्से में उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसका उसे जान से मारने का कोई आशय था, विशिष्ट रूप से जब वह उससे प्यार करता था ।

21. विधि और तथ्यों के पूर्वोक्त विश्लेषण में, हमारा सुविचारित मत है कि वर्तमान अपील भागत: मंजूर किए जाने योग्य है । अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को धारा 304 भाग 2 के अधीन परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए तब्दील/संपरिवर्तित किया जाता है और अपीलार्थी को पहले ही भुगत ली गई अवधि के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा ।

22. यह अपील उपरोक्त निबंधनों के अनुसार भागत: मंजूर की जाती है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.

[2024] 1 उम. नि. प. 80

नरेश उर्फ **नेहरू**

बनाम

हरियाणा राज्य

[2023 की दांडिक अपील सं. 1786]

तथा

इरशाद और एक अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य

[2023 की दांडिक अपील सं. 1787-1788]

9 अक्तूबर, 2023

न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/149 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख] – अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा विधिविरुद्ध जमाव का गठन करके मृतक की हत्या किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थियों को विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि किया जाना – संधार्यता – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता और महत्व का होना चाहिए और इसे स्वीकार करने के लिए न केवल न्यायालय का विश्वास प्रेरित होना चाहिए अपितु यह वृत्तांत ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि इसको देखते ही स्वीकार किया जा सके और जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य असंगतियों से भरा हो और स्पष्ट विरोधाभास हों तथा न केवल सीसीटीवी फुटेज के अस्तित्व में आने की रीति के बारे में गंभीर संदेह हो अपितु अभियुक्तों की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे ऐसे अभियुक्तों की दोषिता को साबित न करने और निचले न्यायालयों द्वारा अभियोजन के

पक्षकथन में खामी पर विचार न करने के कारण न्याय की हानि होने से अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें अभिकथित अपराधों से दोषमुक्त करना उचित होगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 149 – विधिविरुद्ध जमाव – धारा 149 को लागू करने के लिए अनिवार्यता – अभियोजन पक्ष द्वारा अवश्य यह दर्शित किया जाना चाहिए कि अभियुक्तों द्वारा अपराध में आलिप्त करने वाला कृत्य विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था और जमाव के सदस्य जानते थे कि ऐसा कृत्य किया जाना संभाव्य है, तो जमाव के सदस्यों को दोषसिद्ध करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त है भले ही उन पर कोई स्पष्ट कृत्य करने का अभ्यारोपण न किया गया हो और सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष अभियुक्तों द्वारा लिए हुए आयुधों, उनकी गतिविधियों, उनके द्वारा कारित हिंसात्मक कृत्य और अंतिम परिणाम जैसे विभिन्न पहलुओं से निकाला जाना चाहिए किंतु जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा हो कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने अभिकथित विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य को सांझा किया था और उन्हें अन्य अभियुक्तों या मृतक की हत्या से संपृक्त करने के लिए कोई साक्ष्य न हो, वहां ऐसे अभियुक्तों को इस धारा की सहायता से दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक को गश्त ड्यूटी के दौरान दूरभाष पर एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव महेश्वरी में कई लोगों ने एक लड़के पर बंदूक से गोली चलाई है और वहां पहुंचने के उपरांत मोहित **उर्फ** काला का कथन अभिलिखित किया गया जो इस आशय का था कि लगभग 6.40 बजे अपराह्न में उसके चाचा अजय और सूरज पूर्व सरपंच करन सिंह के मकान के सामने बात कर रहे थे और वे धर्मेन्द्र के मकान के निकट थे और उसने (मोहित) अजय और सूरज को धर्मेन्द्र के मकान की ओर भागते हुए देखा क्योंकि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर तीन युवा लड़कों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था । मोहित **उर्फ** काला द्वारा यह भी कथन किया गया कि बुलेट मोटरसाइकिल रवि द्वारा चलाई जा रही थी, शोएब खान पीछे बैठा हुआ था और एक अनजान व्यक्ति उनके पीछे बैठा हुआ था । यह भी

कथन किया गया कि दो और मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल के पीछे-पीछे थी जिन पर दो-दो व्यक्ति अपने हाथों में लाठी लिए हुए बैठे थे । यह भी कथन किया गया कि बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा अनजान व्यक्ति नीचे उतरा और देसी रिवाल्वर से अजय को गोली मार दी जो उसके सिर में लगी और अजय धर्मेन्द्र के मकान के सामने गिर गया । सूरज धर्मेन्द्र के मकान में छिप गया और शोर मचाने पर हमलावर अपनी मोटरसाइकिलों पर भिवाड़ी की ओर भाग गए ; मोहित **उर्फ** काला द्वारा यह भी कथन किया गया कि क्षतिग्रस्त अजय को अस्पताल ले जाया गया ; यह भी कथन किया कि रवि उसके विद्यालय में पढ़ रहा था और उसका जूनियर था तथा वह दबंगई दिखाता रहता था और सभी को धमकाता रहता था । मोहित ने यह भी कथन किया कि अजय और सूरज की 'दुल्हंडी' के दिन रवि के साथ लड़ाई हुई थी और उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी तथा रवि ने अपने साथियों के साथ अजय पर उसे जान से मारने के आशय से गोली चलाई थी । उक्त कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई और अजय की मृत्यु हो जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 प्रतिस्थापित की गई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ; प्रथम अभियुक्त (पवन) के प्रकटीकरण कथन के आधार पर देसी पिस्तौल बरामद की गई और अभियुक्त सं. 2 (धर्मेन्द्र) के कथन के आधार पर चार मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त लाठी को बरामद किया गया । अभियुक्तों में से एक अभियुक्त-शोएब को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और रवि का बाल न्यायालय द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन विचारण किया गया । छह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के उक्त आदेश और अधिरोपित दंडादेश की अभिपुष्टि की गई । अभियुक्त सं. 4 से 6 द्वारा उक्त निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – आरंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अजय की हत्या करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध अभ्यारोपित जो हेतु था, वह यह था कि उसकी (अजय) और सूरज की दुल्हंडी के दिन रवि के साथ लड़ाई हुई थी, जहां रवि ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और उक्त धमकी को अग्रसर करते हुए वह कथित रूप से अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आया और बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने पिस्तौल से अजय पर गोली चलाई थी, जबकि रवि बुलेट मोटरसाइकिल को चला रहा था । अभि. सा. 9 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि अजय सूरज के साथ था, और सूरज मृतक के पास से भाग गया था और स्वयं को धर्मेन्द्र के मकान में छिपा लिया था । तथापि, पुलिस ने सूरज का कथन अभिलिखित नहीं किया था और उसे यहां तक कि अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी के रूप में भी उद्धृत नहीं किया गया था । यह अभियोजन के वृत्तांत में पहली दरार है या एक त्रुटिपूर्ण अन्वेषण है । अभियोजन पक्ष ने मोहित **उर्फ** काला (अभि. सा. 9) के कथन का अवलंब लिया और निचले न्यायालयों ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए उसे एक प्रमुख साक्षी के रूप में स्वीकार किया । अभि. सा. 9 का परिसाक्ष्य विसंगतियों से भरा था और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थियों को नामित नहीं किया था तथा स्पलेंडर मोटरसाइकिल के चालक के रूप में नरेश **उर्फ** नेहरू की शनाख्त करने में असफल रहा था । उसने न्यायालय में इरशाद **उर्फ** सोनू कुमार की शनाख्त की थी किंतु पुलिस के समक्ष किए गए अपने कथन प्रदर्श-पीएम में उन्हें नामित नहीं किया था । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पल्सर मोटरसाइकिल और दो अन्य स्पलेंडर मोटरसाइकिलों के बारे में पुलिस को सूचित न करने की बात स्वीकार की थी । उसने अपने कथन प्रदर्श-पीएम में कहा था कि विपदग्रस्त अजय और उसके मित्र सूरज का तीन मोटरसाइकिलों अर्थात् क्रमशः बुलेट, स्पलेंडर और पल्सर मोटरसाइकिलों द्वारा पीछा किया जा रहा था । तथापि, न्यायालय के समक्ष किए गए कथन में उसने अपने बयान में सुधार किया और अभिसाक्ष्य दिया कि विपदग्रस्त का पीछा चार मोटरसाइकिलों द्वारा किया जा रहा था । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में चार मोटरसाइकिलों द्वारा मृतक का पीछा किए जाने के बारे में पुलिस को सूचित करने की बात स्वीकार की और प्रदर्श-पीएम में अपने कथन की

अंतर्वस्तुओं को सत्य होने के रूप में दोहराया । इन असंगतियों से शक पैदा होता है और अभियोजन के वृत्तांत पर संदेह होता है । अभि. सा. 9 ने अपने कथन प्रदर्श-पीएम में केवल रवि और शोएब को नामित किया था और उसने नरेश (अभियुक्त-4), इरशाद और सोनू (अभियुक्त-9 और अभियुक्त-6) की शनाख्त पहली बार न्यायालय में की थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि घटना से पूर्व वह केवल रवि और शोएब को जानता था और अन्य अभियुक्तों के नामों के बारे में तब पता चला था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था । इससे अभि. सा. 9 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में ही संदेह पैदा होता है । निर्विवाद रूप से, इरशाद और सोनू से कोई बरामदगी नहीं की गई थी । अभि. सा. 9 के कथन में स्पष्ट विरोधाभास हैं । अपने अभिसाक्ष्य में उसने स्वीकार किया है कि उसका कथन तारीख 22 अप्रैल, 2016 को 10.45 बजे अपराह्न में पुलिस द्वारा लिखा गया था, जबकि अभि. सा. 12 (सहायक उप निरीक्षक राम किशन) ने अभिसाक्ष्य दिया था कि लिखित कथन प्रदर्श-पीएम पुलिस को शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा तारीख 22 अप्रैल, 2016 को 11.30 बजे अपराह्न में सौंपा गया था और यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस घटनास्थल पर अपराह्न 10.30-11.00 बजे के बीच पहुंची थी, इससे अभि. सा. 9 का कथन घटनास्थल पर अभिलिखित करने, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है, के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है । जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य अत्यंत उत्कृष्ट गुणवत्ता और महत्व का होना चाहिए और इसे स्वीकार करने के लिए इससे न केवल न्यायालय में विश्वास प्रेरित होना चाहिए अपितु यह वृत्तांत ऐसी प्रकृति का भी होना चाहिए जिसे देखते ही स्वीकार किया जा सके । निचले न्यायालयों ने अपीलार्थियों और सह-अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का अवलंब लिया है । तथापि, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उक्त साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता था क्योंकि यह गंभीर संदेहों से भरा पड़ा था और उस रीति से ही, जिसमें यह अस्तित्व में आया था, न केवल इसके स्रोत के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है अपितु घटनास्थल पर अपीलार्थियों की मौजूदगी के बारे में भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । इस प्रक्रम पर ही यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 15) ने भी अपनी

प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वीडियो से अभियुक्तों के चेहरे शनाख्त योग्य नहीं हैं । अभि. सा. 8 के अनुसार उक्त वीडियो धर्मेन्द्र के मकान में अवस्थित सीसीटीवी कैमरा से लिया गया था और उसे (धर्मेन्द्र) कभी भी अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था । त्रुटिपूर्ण अन्वेषण का यह तीसरा प्रक्रम है और इसका दोष आवश्यक रूप से उनके ऊपर मढ़ा जाना चाहिए और संदेह का फायदा अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए । (पैरा 9, 9.1 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5)

अभियुक्तों और सह-अभियुक्तों का संस्वीकृति कथन तब अभिलिखित किया गया था जब वे पुलिस अभिरक्षा में थे । अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए अभियुक्तों के संस्वीकृति कथन को स्वीकृत रूप से उन अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात् अभिलिखित किया गया था जब अभियुक्त 4, 5 और 6 पुलिस अभिरक्षा में थे । इसलिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 और 26 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त कथन अग्राह्य बन जाएगा । अधिनियम की धारा 25 में असंदिग्ध रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी । इसी प्रकार, धारा 26 में कहा गया है कि कोई ऐसा कथन अग्राह्य है यदि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किया गया हो । (पैरा 9.6)

अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य सांझा करने के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को लागू करके सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । यह उपबंध एक पृथक् अपराध सृजित नहीं करता है अपितु केवल सामान्य उद्देश्य से किए गए कार्यों के लिए विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों का प्रतिनिधिक दायित्व होने की घोषणा करता है । इस प्रकार, संहिता की धारा 149 को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अवश्य यह दर्शित किया जाना चाहिए कि अपराध में आलिप्त करने वाला कृत्य ऐसे विधिविरुद्ध जमाव द्वारा सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था । अन्य सदस्यों को अवश्य उस कृत्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए कारित किया जाना संभाव्य है । यदि अभियुक्त पर किसी स्पष्ट कृत्य का अभ्यारोपण नहीं किया जाता

है, तो विधिविरुद्ध जमाव के भाग के रूप में अभियुक्त की मौजूदगी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है । सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष विभिन्न कारकों जैसे कि आयुध जिनसे सदस्य लैस थे, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा कारित हिंसात्मक कृत्य, और अंतिम परिणाम से निकाला जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक सदस्य ने विधिविरुद्ध उद्देश्य को पूरा करने के सामान्य आशय को बाधित किया था । प्रस्तुत तथ्यों से प्रकट होता है कि अभिकथित हेतु वह एक झगड़ा था जो दुल्हंडी के दिन रवि और नब्बू तथा अजय और सूरज के बीच हुआ था और रवि ने कथित रूप से अजय को जान से मारने की धमकी दी थी । इस बात से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि इस अपील में अपीलार्थी उस लड़ाई में सम्मिलित नहीं थे जो दुल्हंडी के दिन हुई थी और इसलिए अपीलार्थियों पर कोई हेतु अभ्यारोपित नहीं किया जा सकता है । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा था कि इस अपील में अपीलार्थियों ने अभिकथित विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य को सांझा किया था । भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य की सहायता से यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रथमतः, अपीलार्थियों ने सामान्य उद्देश्य को सांझा किया था और विधिविरुद्ध जमाव का भाग थे और द्वितीयतः, यह साबित करना होगा कि वे उक्त सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारित किए जाने वाले अपराधों के बारे में संभाव्य जानते थे । ये दोनों संघटक स्पष्ट रूप से गायब हैं और अपीलार्थियों को मृतक या सह-अभियुक्तों के साथ संपृक्त करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है । निर्विवाद रूप से, अपीलार्थियों पर कोई स्पष्ट कृत्य अभ्यारोपित नहीं किया गया है और अभि. सा. 9 ने स्पष्ट शब्दों में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पवन के सिवाय किसी अभियुक्त ने मृतक को क्षति कारित नहीं की थी और पिस्तौल से केवल एक गोली चलाई गई थी । अतः इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष इस अपील में अपीलार्थियों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा था और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन के पक्षकथन में की खामी पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करने के परिणामस्वरूप, जैसा कि

इसमें ऊपर विश्लेषण किया गया है अर्थात् अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके, न्याय की हानि हुई है जिसे कायम नहीं रखा जा सकता । (पैरा 10)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 14 एस. सी. सी. 640 : **महबूब अली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	9.6
[2015]	(2015) 11 एस. सी. सी. 31 : **इंद्रा दलाल** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	9.6
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 21 : **राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** ;	9.3
[2012]	(2012) 3 एस. सी. सी. 221 : **राय फर्नांडिस** बनाम **गोवा राज्य और अन्य** ।	10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2023 की दांडिक अपील सं. 1786 (इसके साथ 2023 की दांडिक अपील सं. 1787-1788).

2017 दांडिक अपील सं. 1063 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के तारीख 9 जनवरी, 2020 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री सिद्धार्थ मित्तल, प्रभात कुमार, वैभव तोमर, (श्रीमती) शिल्पा जी. मित्तल, सौमिक घोसाल, विकास वालिया, सय्यद एम. सुहेल, (सुश्री) दृष्टि हरपलानी और गौरव सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से — (सुश्री) मनीषा अग्रवाल नारायण, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा

2017 की दांडिक अपील सं. 1063 और 2017 की दांडिक अपील सं. 997 और 1043 में तारीख 9 जनवरी, 2020 को दिया गया निर्णय इन अपीलों में चुनौती अधीन है, जिसमें अभियुक्त सं. 4, 5 और 6 (इस अपील में अपीलार्थी) की सेशन न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए की गई दोषसिद्धि की अभिपुष्टि की गई थी ।

अभियोजन के पक्षकथन का सार

2. तारीख 22 अप्रैल, 2016 को सहायक उप निरीक्षक राम किशन को जब वह 75 फुट रोड पर गश्त ड्यूटी पर था, दूरभाष पर एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव महेश्वरी में कई लोगों ने एक लड़के पर बंदूक से गोली चलाई थी और वहां पहुंचने के उपरांत मोहित **उर्फ** काला का कथन अभिलिखित किया गया जो इस आशय का था कि लगभग 6.40 बजे अपराह्न में उसके चाचा अजय और सूरज पूर्व सरपंच करन सिंह के मकान के सामने बात कर रहे थे और वे धर्मेन्द्र के मकान के निकट थे और उसने (मोहित) अजय और सूरज को धर्मेन्द्र के मकान की ओर भागते हुए देखा क्योंकि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर तीन युवा लड़कों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था । मोहित **उर्फ** काला द्वारा यह भी कथन किया गया कि बुलेट मोटरसाइकिल रवि द्वारा चलाई जा रही थी, शोएब खान पीछे बैठा हुआ था और एक अनजान व्यक्ति उनके पीछे बैठा हुआ था । यह भी कथन किया गया कि दो और मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल के पीछे-पीछे थी जिन पर दो-दो व्यक्ति अपने हाथों में लाठी लिए हुए बैठे थे । यह भी कथन किया गया कि बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा अनजान व्यक्ति नीचे उतरा और देसी रिवाल्वर से अजय को गोली मार दी जो उसके सिर में लगी और अजय धर्मेन्द्र के मकान के सामने गिर गया । सूरज धर्मेन्द्र के मकान में छिप गया और शोर मचाने पर हमलावर अपनी मोटरसाइकिलों पर भिवाड़ी की ओर भाग गए ; मोहित **उर्फ** काला द्वारा यह भी कथन किया गया कि क्षतिग्रस्त अजय को अस्पताल ले जाया गया ; यह भी कथन किया कि रवि उसके विद्यालय में पढ़ रहा था और उसका जूनियर था तथा वह दबंगई दिखाता रहता था और सभी को धमकाता रहता था । मोहित ने यह भी कथन किया कि अजय और सूरज की 'दुल्हंडी' के दिन रवि के साथ

लड़ाई हुई थी और उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी तथा रवि ने अपने साथियों के साथ अजय पर उसे जान से मारने के आशय से गोली चलाई थी । उक्त कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई और अजय की मृत्यु हो जाने पर (तारीख 23 अप्रैल, 2016 को) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 प्रतिस्थापित की गई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ; प्रथम अभियुक्त (पवन) के प्रकटीकरण कथन के आधार पर देसी पिस्तौल बरामद की गई और अभियुक्त सं. 2 (धर्मेन्द्र) के कथन के आधार पर चार मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त लाठी को बरामद किया गया । अभियुक्तों में से एक अभियुक्त-शोएब को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और रवि का बाल न्यायालय द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन विचारण किया गया । छह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया और अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 साक्षियों की परीक्षा की गई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए और अभियुक्तों ने साक्ष्य में उनके विरुद्ध प्रकट अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री से इनकार करके दोषी न होने का अभिवाक् किया । अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं और लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात् तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 6 अक्तूबर, 2017 के निर्णय द्वारा अभियुक्तों को इसमें ऊपर पहले ही उल्लेख किए गए अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के उक्त आदेश और अधिरोपित दंडादेश की तारीख 9 जनवरी, 2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अभिपुष्टि की गई । इसलिए अभियुक्त सं. 4 से 6 द्वारा ये अपीलें फाइल की गई हैं ।

3. हमने क्रमश: 2023 की दांडिक अपील सं. 1786 और 2023 की दांडिक अपील सं. 1787-1788 में अभियुक्त-अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ मित्तल और श्री विकास

वालिया और प्रत्यर्थी-हरियाणा राज्य की ओर से हाजिर होने वाली अपर महाधिवक्ता सुश्री मनीषा अग्रवाल नारायण को सुना ।

अपीलार्थियों की ओर से दलीलें

4. अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 4 नरेश **उर्फ** नेहरू की ओर से हाजिर होने विद्वान् काउंसेल श्री सिद्धार्थ मित्तल ने दलील दी कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मोहित **उर्फ** काला (अभि. सा. 9) के कथन पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना उसे दोषसिद्ध करके गलती की थी, जिसमें उसने अपीलार्थी को नामित नहीं किया था और सीसीटीवी फुटेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के अनुरूप नहीं थी जिसमें भी अन्यथा अभियुक्त-4 की मौजूदगी प्रतिबिंबित नहीं होती थी । उन्होंने यह भी दलील दी कि कोई शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और अभि. सा. 9 ने इस अभियुक्त (अभियुक्त-4) की शनाख्त केवल न्यायालय में की थी । विद्वान् काउंसेल श्री मित्तल ने यह भी दलील दी कि जब उक्त साक्षी का कथन अभिलिखित किया गया था तब वह सदमे में था या घबराया हुआ था, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया है और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए उक्त साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता था । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियुक्त-4 का मुख्य अभियुक्त पवन (अभि. 1), जिसने कथित रूप से अजय (मृतक) पर गोली चलाई थी, के साथ सांझा सामान्य उद्देश्य नहीं था । विद्वान् काउंसेल श्री मित्तल ने यह भी दलील दी कि अभि. सा. 9 एक हितबद्ध साक्षी था क्योंकि वह मृतक का घनिष्ठ नातेदार था, और न्यायालय के समक्ष किए गए उसके कथन में सुधार सहित विभिन्न विसंगतियां उसके परिसाक्ष्य को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का आधार होना चाहिए था । विद्वान् अधिवक्ता श्री मित्तल ने बताया कि अभि. सा. 9 के कथन में विसंगतियां स्पष्ट रूप से निकलकर आई थीं और यह बात अपीलार्थी द्वारा चलाए जा रहे स्पलेंडर यान के बारे में पुलिस को सूचित न करने की उसकी स्वीकारोक्ति से स्पष्ट होती है और निचले न्यायालयों द्वारा सुविधाजनक रूप से इस तथ्य की अनदेखी की गई थी । विद्वान् काउंसेल श्री मित्तल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई सीसीटीवी फुटेज को अभि. सा. 8 द्वारा एक मोबाइल

फोन पर रिकार्ड किया गया था और इसे एक सीडी में संपरिवर्तित किया गया था, जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के अनुरूप नहीं था और इसे अभिकथित रूप से तारीख 26 अप्रैल, 2016 को रिकार्ड किया गया था किंतु इसे पुलिस को तारीख 1 जून, 2016 को सौंपा गया था और इस बीच की अवधि के दौरान उक्त रिकार्डिंग के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । अन्यथा भी, सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों का चेहरा पहचाने योग्य नहीं था, जैसा कि स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा पाया गया था और इसलिए अपीलार्थी (अभियुक्त-4) को आलिप्त करने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था ।

5. उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त व्यक्तियों पर अभ्यारोपित अभिकथित हेतु उस झगड़े के कारण है जो मृतक, सूरज, रवि और नब्बू के बीच दुल्हंडी के दिन हुआ था और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि अपीलार्थियों द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ कोई सामान्य उद्देश्य सांझा किया गया था । उन्होंने दलील दी कि यह अभिकथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी किसी आयुध से लैस था । इसलिए अपराध कारित करने के सामान्य उद्देश्य के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था । उन्होंने दलील दी कि निचले न्यायालयों द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि शनाख्त परेड परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और अभि. सा. 9 द्वारा घटना से पूर्व शेष अभियुक्तों को चेहरे से पहचानने के एकमात्र आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपनाया गया तर्काधार गलत था, यद्यपि अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य से यह पता चला था कि वह अभियुक्तों को पहले से नहीं जानता था और साक्ष्य में उसकी यह स्वीकारोक्ति कि उनके बारे में केवल तब पता चला था जब वे गिरफ्तार किए गए थे और उनके नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए थे । अभियुक्तों के नामों का पहली बार में ही प्रकटीकरण न करने से अपीलार्थी की शनाख्त के बारे में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है । अपीलार्थी (अभियुक्त-4) की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभि. सा. 9 का कथन अभिलिखित करने में विलंब किया गया था और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, अर्थात् यह कथन घटना 6.30 बजे

अपराह्न में घटने के बावजूद 11.30 बजे अपराह्न में अभिलिखित किया गया था और अभि. सा. 9 इस अवधि के दौरान मौजूद था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के अभिकथित संस्वीकृति कथन का कोई महत्व नहीं है और उक्त कथन से अपीलार्थी द्वारा अन्य हमलावरों के साथ कोई सामान्य उद्देश्य सांझा करना उपदर्शित नहीं होता है । इसलिए उन्होंने उसकी अपील को मंजूर किए जाने और अपीलार्थी (अभियुक्त-4) को दोषमुक्त किए जाने का अनुरोध किया ।

6. 2023 की दांडिक अपील सं. 1787-1788 में अपीलार्थियों अर्थात् इरशाद और सोनू कुमार (क्रमश: अभियुक्त सं. 5 और 6) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री विकास वालिया ने दलील दी कि निचले न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार न करके गलती की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के अपराध के लिए दायी किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा कि ऐसे व्यक्ति ने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कार्य किया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा था कि अपीलार्थियों को पवन (अभियुक्त सं. 1) के कब्जे में पिस्तौल होने की जानकारी थी और उसका आशय/उद्देश्य अजय की हत्या करना था और ऐसा आशय होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था । उन्होंने दलील दी कि मामले की परिस्थितियों में विधिविरुद्ध जमाव में अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता और अजय की हत्या करने के लिए सामान्य उद्देश्य को सांझा करने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था, विशिष्ट रूप से जब अभियोजन पक्ष के इस आधार का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि अपीलार्थियों को पवन (अभियुक्त -1) के कब्जे में पिस्तौल होने की जानकारी थी ।

7. उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा था कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य अजय को जान से मारने के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए थे, जैसा कि उन पर अभ्यारोपण किया गया है । अभियुक्तों के बीच सामान्य उद्देश्य को सांझा करने का सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था । सीसीटीवी फुटेज से, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया

था, अभियोजन पक्ष के वृतांत को स्वीकार करने के लिए विश्वास प्रेरित नहीं होता है, चूंकि विडियो में दिखाई दे रहा चेहरा स्पष्ट नहीं था और स्वयं यह बात अपीलों को मंजूर करने और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को अपास्त करने के लिए एक अच्छा आधार होगा । उन्होंने यह भी दलील दी कि अपीलार्थी उस गांव के निवासी नहीं थे जहां घटना घटी थी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अभि. सा. 9 के कथन में इस पहलू पर कानाफूसी तक नहीं है । इसलिए उन्होंने अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 द्वारा फाइल की गई अपीलों को आक्षेपित निर्णय को अपास्त करके मंजूर करने का अनुरोध किया ।

विश्लेषण और निष्कर्ष

8. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और निचले न्यायालयों के निर्णयों का परिशीलन करने पर उनसे यह प्रकट होता है कि सभी अभियुक्तों की दोषसिद्धि अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य और मोटरसाइकिलों की बरामदगी तथा अभि. सा. 9 द्वारा घटना की तारीख को अभिलिखित अपने कथन में अभ्यारोपित अपराध के हेतु पर आधारित है । इस पृष्ठभूमि में, हमने न्यायालय के समक्ष दी गई परस्पर-विरोधी दलीलों पर गंभीरता से विचार करके निचले न्यायालयों के निर्णयों का परिशीलन किया है ।

9. आरंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अजय की हत्या करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध अभ्यारोपित जो हेतु था, वह यह था कि उसकी (अजय) और सूरज की दुल्हंडी के दिन रवि के साथ लड़ाई हुई थी, जहां रवि ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और उक्त धमकी को अग्रसर करते हुए वह कथित रूप से अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आया और बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने पिस्तौल से अजय पर गोली चलाई थी, जबकि रवि बुलेट मोटरसाइकिल को चला रहा था । अभि. सा. 9 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि अजय सूरज के साथ था, और सूरज मृतक के पास से भाग गया था और स्वयं को धर्मेन्द्र के मकान में छिपा लिया था । तथापि, पुलिस ने सूरज का कथन अभिलिखित नहीं किया था और उसे यहां तक कि अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी के रूप में भी उद्धृत नहीं किया

गया था । यह अभियोजन के वृत्तांत में पहली दरार है या एक त्रुटिपूर्ण अन्वेषण है ।

9.1 अभियोजन पक्ष ने मोहित **उर्फ** काला (अभि. सा. 9) के कथन का अवलंब लिया और निचले न्यायालयों ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए उसे एक प्रमुख साक्षी के रूप में स्वीकार किया । अभि. सा. 9 का परिसाक्ष्य विसंगतियों से भरा था और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थियों को नामित नहीं किया था तथा स्पलेंडर मोटरसाइकिल के चालक के रूप में नरेश **उर्फ** नेहरू की शनाख्त करने में असफल रहा था । उसने न्यायालय में इरशाद **उर्फ** सोनू कुमार की शनाख्त की थी किंतु पुलिस के समक्ष किए गए अपने कथन प्रदर्श-पीएम में उन्हें नामित नहीं किया था । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पल्सर मोटरसाइकिल और दो अन्य स्पलेंडर मोटरसाइकिलों के बारे में पुलिस को सूचित न करने की बात स्वीकार की थी । उसने अपने कथन प्रदर्श-पीएम में कहा था कि विपदग्रस्त अजय और उसके मित्र सूरज का तीन मोटरसाइकिलों अर्थात् क्रमश: बुलेट, स्पलेंडर और पल्सर मोटरसाइकिलों द्वारा पीछा किया जा रहा था । तथापि, न्यायालय के समक्ष किए गए कथन में उसने अपने बयान में सुधार किया और अभिसाक्ष्य दिया कि विपदग्रस्त का पीछा चार मोटरसाइकिलों द्वारा किया जा रहा था । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में चार मोटरसाइकिलों द्वारा मृतक का पीछा किए जाने के बारे में पुलिस को सूचित करने की बात स्वीकार की और प्रदर्श-पीएम में अपने कथन की अंतर्वस्तुओं को सत्य होने के रूप में दोहराया । इन असंगतियों से शक पैदा होता है और अभियोजन के वृत्तांत पर संदेह होता है ।

9.2 अभि. सा. 9 ने अपने कथन प्रदर्श-पीएम में केवल रवि और शोएब को नामित किया था और उसने नरेश (अभियुक्त-4), इरशाद और सोनू (अभियुक्त-9 और अभियुक्त-6) की शनाख्त पहली बार न्यायालय में की थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि घटना से पूर्व वह केवल रवि और शोएब को जानता था और अन्य अभियुक्तों के नामों के बारे में तब पता चला था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था । इससे अभि. सा. 9 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में ही संदेह पैदा होता है । निर्विवाद रूप से, इरशाद और सोनू से कोई बरामदगी नहीं की

गई थी । अभि. सा. 9 के कथन में स्पष्ट विरोधाभास हैं । अपने अभिसाक्ष्य में उसने स्वीकार किया है कि उसका कथन तारीख 22 अप्रैल, 2016 को 10.45 बजे अपराह्न में पुलिस द्वारा लिखा गया था, जबकि अभि. सा. 12 (सहायक उप निरीक्षक राम किशन) ने अभिसाक्ष्य दिया था कि लिखित कथन प्रदर्श-पीएम पुलिस को शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा तारीख 22 अप्रैल, 2016 को 11.30 बजे अपराह्न में सौंपा गया था और यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस घटनास्थल पर अपराह्न 10.30-11.00 बजे के बीच पहुंची थी, इससे अभि. सा. 9 का कथन घटनास्थल पर अभिलिखित करने, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है, के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है ।

9.3 जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य अत्यंत उत्कृष्ट गुणवत्ता और महत्व का होना चाहिए और इसे स्वीकार करने के लिए इससे न केवल न्यायालय में विश्वास प्रेरित होना चाहिए अपितु यह वृत्तांत ऐसी प्रकृति का भी होना चाहिए जिसे देखते ही स्वीकार किया जा सके । **राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "22. हमारी सुविचारित राय में, 'उत्कृष्ट साक्षी' अत्यंत उच्च गुणवत्ता और महत्व का होना चाहिए और इसलिए उसका वृत्तांत ऐसा होना चाहिए जिसे चुनौती न दी जा सके । न्यायालय ऐसे साक्षी के वृत्तांत पर विचार करते हुए ऐसी स्थिति में होना चाहिए जिससे वह इसे किसी संकोच के बिना इसके प्रत्यक्ष महत्व के आधार पर स्वीकार कर सके । ऐसे किसी साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की हैसियत अतात्विक होगी और जो सुसंगत होगा वह है ऐसे साक्षी द्वारा किए गए कथन की सत्यता । जो और अधिक सुसंगत होगा वह है आरंभिक बिंदु से लेकर अंत तक कथन की सुसंगतता अर्थात् उस समय से लेकर जब साक्षी आरंभिक कथन करता है और अंततोगत्वा जब न्यायालय के समक्ष कथन करता है, के दौरान । यह स्वाभाविक और अभियुक्त के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन के अनुरूप होना चाहिए । ऐसे

[1] (2012) 8 एस. सी. सी. 21.

साक्षी के वृत्तांत में कोई छल-कपट नहीं होना चाहिए । साक्षी कितनी भी कठोर प्रतिपरीक्षा में अडिग रहने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, अंतर्वलित व्यक्तियों तथा इसके क्रम के बारे में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए । ऐसे वृत्तांत का अन्य प्रत्येक समर्थनकारी सामग्री जैसे की गई बरामदगियों, प्रयुक्त आयुधों, कारित किए गए अपराध की रीति, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ राय के साथ सह-संबंध होना चाहिए । उक्त वृत्तांत का प्रत्येक अन्य साक्षी के वृत्तांत के साथ सतत् रूप से मिलान होना चाहिए । यहां तक कहा जा सकता है कि यह पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में लागू की जाने वाली कसौटी के समान होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई कड़ी गायब नहीं होनी चाहिए । केवल यदि ऐसे किसी साक्षी का वृत्तांत उपरोक्त कसौटी के साथ-साथ लागू किए जाने वाली सभी अन्य इसी प्रकार की कसौटियों पर खरा उतरता है, तो यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि ऐसे साक्षी को एक ऐसा 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है जिसके वृत्तांत को न्यायालय द्वारा किसी संपुष्टि के बिना स्वीकार किया जा सकता है और उसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है और अधिक स्पष्ट करने के लिए, उक्त साक्षी का अपराध के प्रमुख पहलू पर वृत्तांत अविकल रहना चाहिए जबकि सभी अन्य विद्यमान सामग्री जैसे मौखिक, दस्तावेजी और तात्विक वस्तुओं का उक्त वृत्तांत से तात्विक विशिष्टियों में मिलान होना चाहिए जिससे अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी को अभिकथित आरोप के लिए दोषी ठहराने के लिए अन्य समर्थनकारी सामग्री की छान-बीन करने के लिए मुख्य वृत्तांत का अवलंब ले सके ।"

अभि. सा. 9, मृतक के चचेरे भाई की अपराध के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षा की गई थी । तथापि, अभि. सा. 9 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में विरोधाभासों के कारण संदेह उत्पन्न होता है । यद्यपि सूरज, जो मृतक का चचेरा भाई ही था, मृतक के साथ था तो भी अभि. सा. 9 ने कभी भी अभियुक्तों के नामों का अभिनिश्चय करने के लिए उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की । इससे उसकी मौजूदगी

के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है जिसकी निचले न्यायालयों द्वारा अनदेखी गई है । अभि. सा. 9 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में संदेह उत्पन्न होता है और उसके साक्ष्य की सत्यता के बारे में प्रश्न खड़े होते हैं । अभियोजन के पक्षकथन में यह दूसरी खामी है ।

9.4 निचले न्यायालयों ने अपीलार्थियों और सह-अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का अवलंब लिया है । तथापि, हमारा सुविचारित मत है कि उक्त साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता था क्योंकि यह गंभीर संदेहों से भरा पड़ा था और उस रीति से ही, जिसमें यह अस्तित्व में आया था, न केवल इसके स्रोत के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है अपितु घटनास्थल पर अपीलार्थियों की मौजूदगी के बारे में भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । अभि. सा. 8, जिसने तारीख 22 अप्रैल, 2016 को अपने मोबाइल फोन से सीसीटीवी फुटेज की वीडियो बनाई थी, उसने रिकार्ड की गई सीडी (प्रदर्श पी-3) को तारीख 1 जून, 2016 को पुलिस को सौंपे जाने का दावा किया है । तथापि, वीडियो (सीडी) को पुलिस द्वारा न्यायालयिक प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था । उसने (अभि. सा. 8) दावा किया है कि उसने अपने मोबाइल फोन से वीडियो डाउनलोड की थी और अपने लैपटॉप पर भेजा था और फिर सीडी (प्रदर्श पी-3) बनाई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा न तो लैपटॉप और न ही मोबाइल फोन प्रस्तुत किया गया था या अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा अभिगृहीत किया गया था । विचारण न्यायालयों का निष्कर्ष असंगत साक्ष्य पर आधारित है और अभि. सा. 8 के साक्ष्य में स्पष्टता की कमी है । उसने प्रमाणपत्र प्रदर्श-पीएल (साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रस्तुत किया गया) पर अपने हस्ताक्षर की शनाख्त की, जो प्रमाणपत्र पुलिस पदधारी श्री अमन द्वारा तैयार किया गया था और उसकी परीक्षा नहीं की गई थी । सीडी (प्रदर्श पी-3) को विचारण न्यायालय में चलाया गया था और सेशन न्यायालय द्वारा अभिलिखित मताभिव्यक्ति, जो निम्नलिखित आशय की है, का अत्यधिक महत्व हो जाता है :–

> "न्यायालय की मताभिव्यक्ति – वीडियो क्लिप से हमलावरों और शिकायतकर्ता के चेहरे स्पष्ट नहीं हैं ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

9.5 उसने (अभि. सा. 8) अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि प्रमाणपत्र प्रदर्श-पीएल एक पुलिस पदधारी द्वारा तैयार किया गया था और उसने (अभि. सा. 8) प्रदर्श-पीएल पर अपने हस्ताक्षर किए थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि हमलावरों के चेहरे स्पष्ट और शनाख्त योग्य नहीं हैं और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक भी स्पष्ट नहीं हैं । इस प्रक्रम पर ही यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 15) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वीडियो से अभियुक्तों के चेहरे शनाख्त योग्य नहीं हैं । अभि. सा. 8 के अनुसार उक्त वीडियो धर्मेन्द्र के मकान में अवस्थित सीसीटीवी कैमरा से लिया गया था और उसे (धर्मेन्द्र) कभी भी अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था । त्रुटिपूर्ण अन्वेषण का यह तीसरा प्रक्रम है और इसका दोष आवश्यक रूप से उनके ऊपर मढ़ा जाना चाहिए और संदेह का फायदा अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए ।

9.6 अभियुक्तों और सह-अभियुक्तों का संस्वीकृति कथन तब अभिलिखित किया गया था जब वे पुलिस अभिरक्षा में थे । **महबूब अली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह उपबंधित है कि किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी । धारा 26 में यह उपबंधित है कि कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो, जब वह पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गई हो । धारा 27 एक परंतुक के रूप में है, इसमें अधिकथित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी ।
>
> 13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए, संस्वीकृति कथन का ग्राह्य भाग ऐसे तथ्य के बारे में पाया जाना

[1] (2016) 14 एस. सी. सी. 640.

चाहिए जो पता चले तथ्य का अव्यवहित कारण हो और केवल वही विधिक साक्ष्य का भाग होगा न कि शेष भाग । किसी कथन में यदि किसी ऐसी नई चीज का पता चलता है या अभियुक्त से बरामद की जाती है जो अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन से पूर्व पुलिस की जानकारी में नहीं थी, वह साक्ष्य में ग्राह्य है ।

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में उल्लेख है कि जब किसी 'तथ्य' का अभिसाक्ष्य दिया जाता है । तथ्य को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है । इसे नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "**तथ्य**' – 'तथ्य' से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती हैं –
>
> (1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो ;
>
> (2) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो ।
>
> **दृष्टांत**
>
> (क) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है ।
>
> (ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है ।
>
> (ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है ।
>
> (घ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विशिष्ट समय में था, एक तथ्य है ।

(ङ) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है ।

'**सुसंगत**' – एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त है ।'

प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए अभियुक्तों के संस्वीकृति कथन को स्वीकृत रूप से उन अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात् अभिलिखित किया गया था जब अभियुक्त 4, 5 और 6 पुलिस अभिरक्षा में थे । इसलिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 और 26 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त कथन अग्राह्य बन जाएगा । अधिनियम की धारा 25 में असंदिग्ध रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी । इसी प्रकार, धारा 26 में कहा गया है कि कोई ऐसा कथन अग्राह्य है यदि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किया गया हो । इस प्रतिपादना के लिए, **इंद्रा दलाल** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखा जा सकता है ।

10. जैसा कि इसमें ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य सांझा करने के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को लागू करके सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । यह उपबंध एक पृथक् अपराध सृजित नहीं करता है अपितु केवल सामान्य उद्देश्य से किए गए कार्यों के लिए विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों का प्रतिनिधिक दायित्व होने की घोषणा करता है । इस प्रकार, संहिता की धारा 149 को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अवश्य यह दर्शित किया जाना चाहिए कि अपराध में आलिप्त करने वाला कृत्य ऐसे विधिविरुद्ध जमाव

[1] (2015) 11 एस. सी. सी. 31.

द्वारा सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था । अन्य सदस्यों को अवश्य उस कृत्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए कारित किया जाना संभाव्य है । यदि अभियुक्त पर किसी स्पष्ट कृत्य का अभ्यारोपण नहीं किया जाता है, तो विधिविरुद्ध जमाव के भाग के रूप में अभियुक्त की मौजूदगी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है । सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष विभिन्न कारकों जैसे कि आयुध जिनसे सदस्य लैस थे, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा कारित हिंसात्मक कृत्य, और अंतिम परिणाम से निकाला जाना चाहिए । **राय फर्नांडिस** बनाम **गोवा राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "18. हमारे समक्ष यह प्रश्न रह जाता है कि क्या ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा हत्या कारित करना जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या करना न हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के उपबंध लागू होंगे ?
>
> 19. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 इस प्रकार है :–
>
> '**149. विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी** – यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।'
>
> उपरोक्त को पढ़ने मात्र से यह दर्शित होता है कि यह उपबंध दो भागों में है । पहला भाग उन मामलों के संबंध में है जिनमें जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के 'सामान्य उद्देश्य को

[1] (2012) 3 एस. सी. सी. 221.

अग्रसर करने में' अपराध किया जाता है । दूसरा भाग ऐसे मामलों के संबंध में जहां किया गया अपराध विधिविरुद्ध जमाव का स्वयमेव सामान्य उद्देश्य न हो किंतु ऐसे जमाव के सदस्य 'जानते थे कि ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया जाना संभाव्य है ।'

20. जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत मामले में फेलिक्स फेलिसियो मोंटेरियो की हत्या का अपराध किया जाना स्वयमेव विधिविरुद्ध जमाव का उद्देश्य नहीं था और तो भी जमाव विधिविरुद्ध था क्योंकि विचारण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह साबित होता है कि जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य निश्चित रूप से या तो कोई रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य कोई अपराध कारित करने का था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के खंड (3) में अनुध्यात अनुसार था, जिसे उस सीमा तक जिस तक यह फिलहाल इस प्रक्रम पर सुसंगत है, उद्धृत किया जा सकता है :–

> '**141. विधिविरुद्ध जमाव –** पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव 'विधिविरुद्ध जमाव' कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो –
>
> पहला – .....
>
> दूसरा – .....
>
> तीसरा – किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना ;'

21. अभिलेख पर के साक्ष्य से हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए तैयार हैं कि भले ही तब हत्या कारित करना अभियुक्त व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य नहीं था, वे निश्चित रूप से घटनास्थल पर मृतक को प्रश्नगत बाड़ लगाने से आपराधिक बल

का प्रयोग करके आतंकित करने और रोकने की दृष्टि से घटनास्थल पर आए थे । उन्होंने वास्तव में साक्षियों को थप्पड़ और मुक्का मारा था और जिनमें से एक के दो दांत टूट गए थे और एक अन्य को केवल एक अस्थिभंग हुआ था, इससे यह बात साबित होती है ।

22. विचार किए जाने के लिए जो शेष रह जाता है वह यह है : क्या अपीलार्थी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में जानता था कि मृतक को बाड़ लगाने से रोकने के उद्देश्य को पूरा करने में उसकी हत्या की घटना हो जाना भी संभाव्य है । इस प्रश्न का उत्तर उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें घटना घटी थी और विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का आचरण जिसमें वह आयुध भी सम्मिलित हैं जो वे लिए हुए थे या घटनास्थल पर प्रयोग किया था । लालजी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1989) 1 एस. सी. सी. 437 = 1989 एस. सी. सी. (क्रि.) 211] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया था :–

> '8. ..... विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का पता जमाव की प्रकृति, उनके द्वारा प्रयुक्त आयुधों और घटना घटने के समय या उससे पूर्व जमाव के व्यवहार से लगाया जा सकता है । यह निष्कर्ष प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाना चाहिए ।'

23. धर्मपाल **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1975) 2 एस. सी. सी. 596 = 1975 एस. सी. सी. (क्रि.) 704] वाले मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रतिपादना को स्पष्ट किया था :–

> '11. यद्यपि प्रस्तुत मामले में हमलावरों की संख्या पांच से कम भी हो सकती थी (जो कि हमारे विचार से ऊपर कथित तथ्यों के आधार पर वस्तुतः संभव नहीं था) तो भी हमारा यह विचार है कि इस तथ्य से, कि हमलावर दल के

बारे में स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया गया था कि वह तारीख 7 जून, 1967 के प्रातःकाल में दरयाव के खेत के निकट बुग्गी के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था इससे पूर्व-योजना दर्शित होती है । कुछ हमलावरों के पास धारदार आयुध थे । वे स्पष्ट रूप से बुग्गी के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्होंने उसमें सवार व्यक्तियों को घेर लिया और उन पर यह चिल्लाते हुए हमला कर दिया कि उसमें सवार व्यक्तियों की हत्या कर दी जाए । हम नहीं समझते कि पूर्व-सामान्य मति होने के इससे अधिक विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता थी । इसलिए यदि हम यह आवश्यक समझते तो हम इस मामले में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करने से नहीं हिचकिचाते । प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या को दोषसिद्ध करने की आवश्यकता पर निर्भर नहीं करता । यह संदेह से परे उन तथ्यों के सबूत के आधार पर निर्भर करता है जो ऐसे सिद्धांत को प्रयोज्य बनाते हैं । {देखिए – यशवंत और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 639 = 1972 एस. सी. सी. (क्रि.) 684] और सुख राम **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1974) 3 एस. सी. सी. 656 = 1974 एस. सी. सी. (क्रि.) 186] वाले मामले} । ऐसे प्रश्न पर जिस पर हम विचार कर रहे हैं, सर्वाधिक सामान्य और मूलभूत नियम यह है कि ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई एकरूपात्मक, अनम्य या अचल नियम नहीं है, जो कि वास्तव में उन तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से निकाला गया निष्कर्ष होता है जो प्रत्येक मामले में भिन्न होते हैं । हमें इस समग्रता के आधार पर प्रत्येक मामले में निकाले गए निष्कर्षों के प्रभाव की परीक्षा करनी होगी । यह किसी अन्य मामले के प्रभाव से विरले ही यथार्थतः एक-समान होता है । अन्य नियम वास्तव में इस मूल सत्य (कथन) के समनुषंगी होते हैं और वे उनकी

> सही प्रयुक्ति के लिए उन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिनके संदर्भ में वे प्रतिपादित किए जाते हैं ।'"

प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक सदस्य ने विधिविरुद्ध उद्देश्य को पूरा करने के सामान्य आशय को बाधित किया था । प्रस्तुत तथ्यों से प्रकट होता है कि अभिकथित हेतु वह एक झगड़ा था जो दुल्हंडी के दिन रवि और नब्बू तथा अजय और सूरज के बीच हुआ था और रवि ने कथित रूप से अजय को जान से मारने की धमकी दी थी । इस बात से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि इस अपील में अपीलार्थी उस लड़ाई में सम्मिलित नहीं थे जो दुल्हंडी के दिन हुई थी और इसलिए अपीलार्थियों पर कोई हेतु अभ्यारोपित नहीं किया जा सकता है । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा था कि इस अपील में अपीलार्थियों ने अभिकथित विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य को सांझा किया था । भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य की सहायता से यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रथमत:, अपीलार्थियों ने सामान्य उद्देश्य को सांझा किया था और विधिविरुद्ध जमाव का भाग थे और द्वितीयत:, यह साबित करना होगा कि वे उक्त सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारित किए जाने वाले अपराधों के बारे में संभाव्य जानते थे । ये दोनों संघटक स्पष्ट रूप से गायब हैं और अपीलार्थियों को मृतक या सह-अभियुक्तों के साथ संपृक्त करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है । निर्विवाद रूप से, अपीलार्थियों पर कोई स्पष्ट कृत्य अभ्यारोपित नहीं किया गया है और अभि. सा. 9 ने स्पष्ट शब्दों में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पवन के सिवाय किसी अभियुक्त ने मृतक को क्षति कारित नहीं की थी और पिस्तौल से केवल एक गोली चलाई गई थी । अत: हमारा सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष इस अपील में अपीलार्थियों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा था और विचारण न्यायालय

तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन के पक्षकथन में की खामी पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करने के परिणामस्वरूप, जैसा कि इसमें ऊपर विश्लेषण किया गया है अर्थात् अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके, न्याय की हानि हुई है जिसे कायम नहीं रखा जा सकता ।

11. परिणामतः, ये अपीलें मंजूर की जाती हैं और 2016 के सेशन मामला सं. 21 में सेशन न्यायालय द्वारा तारीख 9 मई, 2017 को पारित किए गए निर्णय को, जिसकी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 2017 की दांडिक अपील-डी सं. 1063, 2017 की दांडिक अपील सं. 997 और 2017 की दांडिक अपील सं. 1043 में अभिपुष्टि की गई है, को तद्द्वारा अपास्त किया जाता है और परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को अभिकथित अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तुरंत छोड़े जाने का आदेश किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

गतांक से आगे.....

ध्वस्तीकरण के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना

510. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इस रिपोर्ट में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या किसी मस्जिद का विवादित ढांचा किसी पूर्व विद्यमान मंदिर को ध्वस्त करने के पश्चात् उसी स्थल पर निर्मित किया गया था ।

उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों में इस प्रश्न पर विचार किया है :–

> "3990. हमारे विचार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में यह अभिलिखित किए जाने से न्यायत: परहेज किया गया है कि जब एक भवन का निर्माण दूसरे भवन के ऊपर किया गया, तो दूसरे भवन के निर्माण के प्रयोजनार्थ कोई ध्वस्तीकरण किया गया था या नहीं और वह भी सैकड़ों वर्ष पूर्व, जिसको अभिनिश्चित करना कभी-कभी कठिन होता है ... किन परिस्थितियों में भवन का निर्माण किया गया था और क्या पूर्ववर्ती भवन स्वत: या किसी प्राकृतिक आपदावश या ऐसे व्यक्तियों, जो उसको क्षति पहुंचाने में हितबद्ध थे, के कारणवश भरभरा कर ढह गया था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में इस बाबत पर्याप्त संकेत दिया गया है कि विवादित भवन अपनी नींव पर नहीं टिका था बल्कि उसको पूर्व विद्यमान दीवारों पर निर्मित किया गया था । यदि कोई भवन पश्चात्वर्ती भवन के निर्माण के पूर्व विद्यमान नहीं था, तो पश्चात्वर्ती भवन का निर्माता पूर्ववर्ती भवन की नींव का प्रयोग पूर्ववर्ती भवन की मजबूती और उसके द्वारा नए ढांचे का भार वहन करने की क्षमता के बारे में जाने बिना नहीं हो सकता था । विवादित ढांचे का तल पूर्ववर्ती भवन के ठीक ऊपर स्थित था । समस्त स्तंभ आधारों के विद्यमानता से यह दर्शित होता है कि पूर्व में एक अन्य ढांचा विद्यमान था, जो अत्यंत विशाल था और यदि वह विवादित ढांचे से विशाल नहीं था तो कम से कम उससे छोटा भी नहीं था ।"

माननीय उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि विवादित ढांचे का

तल पूर्ववर्ती भवन के तल के ठीक ऊपर स्थित था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया है कि विवादित ढांचे की अपनी कोई नींव नहीं थी और इस ढांचे का निर्माण पूर्व विद्यमान दीवारों पर किया गया था । इसके अतिरिक्त स्तंभ आधारों की विद्यमानता का प्रयोग किसी विशाल ढांचे, जिस पर विवादित ढांचे का निर्माण किया गया था, के अनुमान को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ किया गया है ।

उच्च न्यायालय ने इस बाबत विनिर्दिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की अकर्मण्यता को न्यायसंगत ठहराया कि क्या किसी हिंदू धार्मिक पूजा स्थल के पूर्ववर्ती ढांचे को मस्जिद के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त किया गया था । उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि जब किसी ढांचे का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व किया गया है, तो निश्चितता की किसी भी श्रेणी के साथ यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि क्या भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा, जिसकी नींव पर वह टिका हुआ था, प्राकृतिक कारणोंवश भरभराकर गिर गया था या क्या उस ढांचे को मस्जिद के ढांचे के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त कर दिया गया था । इससे यह उपदर्शित होता है कि भूमि के नीचे दबे हुए ढांचे के मलबे की विद्यमानता यह अनुमान लगाए जाने के प्रयोजनार्थ कोई कारण नहीं है कि पूर्ववर्ती ढांचे को नए ढांचे, जो उसकी नींव पर टिका हुआ था, के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त किया गया था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल, जो विशेषज्ञ निकाय है, ने इस बाबत कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित करने से परहेज किया कि क्या भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचे को मस्जिद के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त किया गया था । यह उपधारणा करते हुए कि ध्वस्तीकरण के संबंध में अनुमान सैकड़ों वर्षों के पश्चात् लगाया जा सकता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने स्पष्टत: किसी ऐसे विनिर्दिष्ट साक्ष्य का पता नहीं लगाया जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि किसी ढांचे को मस्जिद के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त किया गया था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट इस पहलू पर मौन है । अत: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस बाबत दो में से एक परिकल्पना की जा सकती है – या तो यह कि भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा प्राकृतिक

कारणोंवश ढह गया था या यह कि उसका ध्वस्तीकरण मानवीय मध्यक्षेप के कारण हुआ, जो उसकी नींव पर मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया का भाग था । यद्यपि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यह अनुमान लगाया कि चूंकि पूर्ववर्ती ढांचे की नींव का प्रयोग मस्जिद के निर्माण के लिए किया गया था, इसलिए मस्जिद के निर्माता मस्जिद का निर्माण करते समय पूर्ववर्ती ढांचे की प्रकृति और उसकी नींव के बारे में जानते थे । यह एक ऐसा अनुमान है, जो उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया है यद्यपि इस बाबत कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट के अनुक्रम में अभिलिखित किया गया हो ।

511. परिणामस्वरूप, जब इस न्यायालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट पर निर्णय पारित किए जाने के अनुक्रम में उसके साक्ष्यिक मूल्य को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जाएगा, तो इस न्यायालय के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि इस रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष समाविष्ट है और किन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में किसी पूर्व विद्यमान ढांचे की विद्यमानता के बाबत कोई निष्कर्ष समाविष्ट नहीं है । रिपोर्ट में स्तंभ आधारों (जो कुल संख्या में 85 है, जिनमें से 50 खंडों में, भागों में या पूर्ण रूप से प्रकट हुए) की 17 पंक्तियों का उल्लेख है । इस रिपोर्ट में विवादित स्थल पर पाए गए पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है और ढांचे की प्रकृति के बारे में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह मूल रूप से हिंदू धार्मिक स्थान का ढांचा था । रिपोर्ट में इस संभावना को अस्वीकृत किया गया है कि भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा मूल रूप से इस्लामिक प्रकृति का ढांचा था (जैसीकि दलील सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड द्वारा दी गई) । किंतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में एक प्रश्न, जो उनके द्वारा विरचित किया गया था अर्थात् इस बाबत विनिर्धारण की क्या किसी हिंदू मंदिर को मस्जिद के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ध्वस्त किया गया था, के महत्वपूर्ण भाग को अनुत्तरित छोड़ दिया है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

दल की इस पहलू पर कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित करने में असमर्थतता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साक्ष्यिक परिस्थिति है, जिसके प्रभाव को अंतिम विश्लेषण के समय संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किए जाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

512. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर इस प्रक्रम पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और जिस पर विचार तब किया जाएगा जब स्वत्व के प्रश्न का मूल्यांकन किया जाएगा । वह विवाद्यक यह है कि क्या स्वत्व का विनिर्धारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों, जैसेकि वे हों, पर आधारित होगा । क्या वर्ष 1528 ए. डी. में मस्जिद का निर्माण किसी पूर्व विद्यमान धार्मिक ढांचे (जो बारहवीं शताब्दी ए. डी. के काल का था) की नींव पर (लगभग 450 वर्ष पूर्व) किया गया था, ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर स्वत्व के प्रश्न पर निष्कर्ष निकाले जाने के परिणामस्वरूप भिन्न रीति में दिया जा सकता है । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जाना पर्याप्त होगा कि स्वत्व का विनिर्धारण प्रकटत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं था । यह ऐसा मामला है, जिस पर न्यायालय द्वारा सुविचारित और उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाने की आवश्यकता है, जब वह इस निर्णय को पारित करते हुए स्वत्व के विवाद्यक पर विचार करे ।

ढ.10 विवादित ढांचे की प्रकृति और प्रयोग : मौखिक साक्ष्य

513. वाद संख्या 5 में वादियों ने 19 साक्षी प्रस्तुत किए । इन साक्षियों का व्यापक वर्गीकरण निम्नानुसार उपदर्शित है :–

I. **साक्षियों पर तथ्य**

(i) मूल वादी साक्षी 1 महंत परमहंस रामचंद्र दास

(ii) मूल वादी साक्षी 2 श्री देवकी नंदन अग्रवाल

(iii) मूल वादी साक्षी 4 हरिहर प्रसाद तिवारी

(iv) मूल वादी साक्षी 5 श्रीराम नाथ मिश्रा **उर्फ** बनारसी पांडा

(v) मूल वादी साक्षी 6 श्री हौसिला प्रसाद त्रिपाठी

(vi) मूल वादी साक्षी 7 राम सूरत तिवारी

(vii) मूल वादी साक्षी 12 श्री कौशल किशोर मिश्रा

(viii) मूल वादी साक्षी 13 नारद सरन

II. **विष्णु हरि शिलालेखों के संबंध में साक्षी**

(i) मूल वादी साक्षी 8 अशोक चंद्र चटर्जी द्वितीय

(ii) मूल वादी साक्षी 10 डा. के. वी. रमेश

(iii) मूल वादी साक्षी 15 डा. एम. एन. कट्टी

III. **विशेषज्ञ साक्षी – इतिहासकार**

(i) मूल वादी साक्षी 9 डा. टी. पी. वर्मा

(ii) मूल वादी साक्षी 11 डा. सतीश चंद्र मित्तल

IV. **विशेषज्ञ साक्षी – धार्मिक मामले**

(i) मूल वादी साक्षी 16 जगद्गुरु रामानंदाचार्य – स्वामी राम भद्राचार्य जी

V. **विशेषज्ञ साक्षी – पुरातत्वविद्**

(i) मूल वादी साक्षी 3 डा. एस. पी. गुप्ता

(ii) मूल वादी साक्षी 14 डा. राकेश तिवारी

(iii) मूल वादी साक्षी 17 डा. आर. नागास्वामी

(iv) मूल वादी साक्षी 18 श्री अरुण कुमार शर्मा

(v) मूल वादी साक्षी 19 श्री राकेश दत्ता त्रिवेदी

विवादित भवन की प्रकृति और प्रयोग के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ तथ्यात्मक साक्षियों द्वारा शपथपूर्वक दिए गए कथनों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है । साक्षियों ने भगवान राम के जन्मस्थान के बाबत उनकी आस्था के आधार के बारे में भी अभिकथन किए हैं ।

हिंदू साक्षी

514. **महंत परमहंस रामचंद्र दास (मूल वादी साक्षी-1)** – महंत परमहंस रामचंद्र दास की उम्र 90 वर्ष थी और वे अखिल भारतीय श्री

पंच रामानंदी दिगम्बर अणि अखाड़ा और दिगम्बर अयोध्या अखाड़ा बैठक के महंत थे । उन्होंने शपथपूर्वक कथन किया कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था । उनके अनुसार :–

> "वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था । अयोध्या का वर्णन वेदों, उपनिषदों, संहिताओं और 18 पुराणों, स्मृतियों और भारत के संस्कृत साहित्य के मान्यताप्राप्त लेखों में मिलता है । इन सभी में अयोध्या को भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में स्वीकार किया गया है । इन पुस्तकों में वर्णित अयोध्या वही अयोध्या है, जो वर्तमान में विद्यमान है । भगवान राम का जन्म यहीं पर हुआ था ।"

इस साक्षी ने अभिकथित किया कि स्कंद पुराण में अयोध्या के महत्व से संबंधित अध्याय में भगवान राम के जन्मस्थान का संदर्भ समाविष्ट है । उसने अधिकथित किया कि वह 'गर्भगृह' विवादित स्थल पर स्थित है, जहां रामलला की मूर्ति उसका शपथपूर्वक कथन अभिलिखित किए जाते समय विद्यमान थी ।

इस साक्षी के अनुसार वह अपना घर त्यागने के पश्चात् अयोध्या आया था और उस समय उसकी आयु 14 से 15 वर्ष के मध्य थी और तब से वह अयोध्या में राम जन्मभूमि समेत अनेक स्थानों पर लोगों को दर्शन करते हुए देख रहा है । इस साक्षी के अनुसार वर्ष 1934 से 1947 के मध्य राम जन्मभूमि पर भगवान राम की आराधना के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी और उस समय, जब वह अयोध्या आया, तब से उसने विवादित भवन में किसी को नमाज अदा करते हुए नहीं देखा । उसने राम जन्मभूमि के बरामदे में लोहे की छड़ों वाले द्वार और 1934 के दंगों के बारे में भी बताया । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि मुख्य गुंबद के नीचे स्तंभों पर देवताओं और देवियों के चित्रणों को समाविष्ट करते हुए नक्काशियां थीं जिनकी पूजा की जाती थी । उसने अभिकथित किया कि 'मध्य गुंबद' के नीचे वाला स्थान वही स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और यह स्थान 'गर्भगृह' का द्योतक है । इस साक्षी ने विभिन्न पाठ्यों में अयोध्या के महत्व के बारे में शपथपूर्वक बताया । इस साक्षी ने अपने विश्वास के बाबत शपथपूर्वक कथन करते हुए अभिकथित किया :–

"इस संबंध में रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि 'उत्तर दिसि बहि सरयू पावनि (अर्थात् सरयू नदी उत्तर दिशा में बहती है) ।' यह सरयू नदी के बहने के स्थान के बारे में प्राधिकृत कथन है । रामायण अर्थात् रामचरितमानस में अयोध्या के महत्व के संबंध में एक वर्णन है कि 'अवध पुरी मम पुरी सुहावनि (अवध नगर मेरा प्रिय नगर है)' जिससे यह स्पष्ट होता है कि अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है । इसी स्थान पर यह उल्लेख किया गया है कि यहां पर रहने वाले लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं । वह स्थान जहां पर किसी का जन्म होता है, उसका जन्मस्थान कहलाता है । वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का उल्लेख है कि मेरी जन्मभूमि मुझे लंका, जो सोने से निर्मित है, से अधिक प्रिय है, क्योंकि जन्मस्थान स्वर्ग से भी उच्च कोटि का स्थान होता है ।"

पुन:, इस साक्षी के अनुसार :–

"राम जन्मभूमि स्थल के प्रति संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की यह आस्था उसी प्रकार से है जैसेकि मुस्लिमों की काबा के प्रति । संपूर्ण विश्व में केवल एक राम जन्मभूमि मंदिर है जब कि भगवान राम के हजारों मंदिर हैं ।"

इस साक्षी को उसके परीक्षण के दौरान एक एलबम दिखाया गया जिसमें विवादित स्थल से संबंधित रंगीन और श्वेत-श्याम फोटोग्राफ समाविष्ट थे । उसने शेरों और मोर की आकृतियों और भगवान गणेश, भगवान शंकर और नंदी के चित्रण को पहचाना :–

"इस साक्षी को श्वेत-श्याम चित्रों के एलबम का चित्र संख्या 20, जिसे उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार किया गया और विवादित स्थल के बाबत 1989 के मूल वाद संख्या 4 में फाइल किया गया, दर्शित किया गया । साक्षी ने चित्र को देखने के पश्चात् कहा कि इस चित्र में द्वार के ऊपरी भाग के दोनों तरफ शेरों की आकृतियां हैं । इस साक्षी को रंगीन चित्रों वाले एलबम के चित्र संख्या 37 से 42 पुन: दर्शित किए गए । साक्षी ने इन चित्रों के देखने के पश्चात् कहा कि उत्तरी द्वार पर मोर का एक चित्र बनाया गया है । साक्षी को रंगीन चित्रों वाले एलबम का चित्र

संख्या 58 दर्शित किया गया । साक्षी ने इस चित्र को देखने के पश्चात् कहा कि यह चित्र गुफा वाले मंदिर का है । गणेश और शंकर की मूर्तियां, जिनको चबूतरे के पूर्वी-उत्तरी कोने में स्थापित किया गया है, को भी इन चित्रों में दर्शित किया गया है । इन चित्रों में नंदी और भगवान शंकर के चित्र भी सम्मिलित हैं । साक्षी ने रंगीन चित्रों वाले एलबम के चित्र संख्या 61 को देखने के पश्चात् कहा कि यह चित्र ऊपरवर्णित भगवानों के चित्र हैं ।"

इस साक्षी ने धारा 145 के अधीन कुर्की के पश्चात् आयुक्त द्वारा तैयार की गई वस्तुसूची और राम चबूतरा (बाहरी बरामदे में) को सम्मिलित करते हुए चरण चिह्नों और उपासना के अन्य स्रोतों के बाबत भी शपथपूर्वक कथन किया । इस साक्षी के अनुसार किसी भी मुस्लिम ने वर्ष 1934 के पश्चात् इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं की । साक्षी ने अपनी आस्था और विश्वास के बाबत यह अभिकथन किया :–

"संपूर्ण जन्मस्थान भगवान राम का जन्मस्थान होने के नाते मेरे लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है ।"

इस साक्षी ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ सहबद्ध रीति-रिवाजों के बाबत अभिकथन किया कि रीति-रिवाजों के निर्वहन में न्यूनतम 24 घंटे और अधिकतम तीन दिन समर्पित किए जाते हैं । इस साक्षी ने तारीख 17 जनवरी, 2000 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड की ओर से उपस्थित श्री जफरयाब जीलानी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के अनुक्रम के दौरान यह अभिकथित किया :–

"जब मैं अयोध्या आया, तब से वर्ष 1934 तक राम जन्मभूमि (विवादित स्थान) नियमित रूप से प्रतिदिन जाया करता था । उस समय मैं विवादित स्थान (भवन) के उस भाग में जाया करता था जहां स्तंभ स्थापित किए गए थे । पूर्वी द्वार पर दो स्तंभ स्थापित किए गए थे । मैं उनके भी 'दर्शन' किया करता था । उन स्तंभों पर भगवान की मूर्तियां उत्कीर्णित थीं ...

काले पत्थर के दो स्तंभ मुख्य भवन के भीतर स्थापित किए गए थे । साक्षी ने स्वेच्छा से अभिकथन किया – भगवान के चित्रों को पत्थरों पर उत्कीर्णित किया गया था । पूर्वी द्वार के दोनों

स्तंभों में से एक पर हनुमान जी की मूर्ति थी और दूसरी मूर्ति खंडित हो गई थी, जो भी किसी देवता या देवी की थी । मुख्य द्वार के पश्चात् लोहे के छड़ों वाली एक दीवार थी और तत्पश्चात् मुख्य भवन में तीन द्वार थे और तीनों द्वारों पर काले पत्थर के स्तंभ स्थापित किए गए थे ।"

इस साक्षी ने कसौटी के काले पत्थरों के स्तंभों के स्थान और उन पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रण का भी हवाला दिया :–

"प्रश्न – भीतर स्थापित काले पत्थरों के स्तंभों का स्थान क्या था ?

उत्तर – प्रत्येक द्वार पर चार स्तंभ थे । उत्तरी द्वार पर चार स्तंभों में देवताओं और देवियों की मूर्तियां थीं । उनमें से कुछ स्पष्ट थीं और कुछ स्पष्ट नहीं थीं । मैं यह नहीं बता सकता कि किस देवता या देवी की मूर्ति उत्तरी द्वार या किसी अन्य द्वार पर उत्कीर्णित थी । मैं वर्ष 1934 के पूर्व राम चबूतरे के पश्चात् मध्य 'शिखर' के नीचे स्थित गर्भगृह के दर्शन किया करता था । इसके अतिरिक्त मैं स्तंभों पर उत्कीर्णित मूर्तियों के भी दर्शन करता था और 'तुलसी' की पत्तियां भी अर्पित करता था ।"

इस साक्षी ने 'गर्भगृह' और बाहरी चबूतरे के मध्य विभेद किया :–

"प्रश्न – क्या आप विवादित भवन और उसके बाहर स्थित चबूतरे के अतिरिक्त विवादित भवन से निकट स्थित (सटी हुई) भूमि को 'गर्भगृह' मानते हैं । अन्य चबूतरे से मेरा आशय उस चबूतरे से है, जो विवादित भवन के बाहर स्थित है ।

उत्तर – 'गर्भगृह' वह स्थान है जहां वर्तमान में रामलला विराजमान हैं । बाहरी बरामदा विवादित स्थान के बाहर स्थित है ।"

इस साक्षी के अनुसार 'गर्भगृह' भगवान राम के जन्मस्थान का द्योतक है और यही वह स्थान है जहां तारीख 23 दिसंबर, 1949 को मूर्ति चबूतरे से हटाए जाने के पश्चात् स्थापित की गई थी :–

"वह स्थान जिसको मैं 'गर्भगृह' के रूप में वर्णित कर रहा हूं, मेरी और समस्त हिंदुओं की आस्था के अनुसार रामचंद्र जी का

जन्मस्थान है । मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं जहां तारीख 23 दिसंबर, 1950 को मूर्ति को चबूतरे से हटाए जाने के पश्चात् उस स्थान को जन्मस्थान मानते हुए स्थापित किया गया था और मैं उस स्थान को मूर्ति स्थापित किए जाने के पहले भी जन्मस्थान मानता था ।

प्रश्न – क्या वह स्थान जिसको आप अपनी आस्था के अनुसार जन्मस्थान के रूप में वर्णित कर रहे हैं मध्य गुंबद वाले स्थान के नीचे किसी भी दिशा में 10-15 हाथ इधर या उधर हो सकता है ?

उत्तर – नहीं । वह स्थान जहां मूर्ति विराजमान है, प्राधिकृत स्थान है और संपूर्ण हिंदू समुदाय उसी स्थान पर विश्वास करता है । इस बाबत संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं है । इस स्थान की स्थिति जन्मस्थान से 2-4 फीट की दूरी पर भी नहीं मानी जा सकती ।

इस आस्था का आधार यह है कि हिंदू सदियों से इस स्थान का 'दर्शन' जन्मस्थान के रूप में करते चले आ रहे हैं ।"

यद्यपि इस साक्षी से इस प्रश्न का उत्तर अभिप्राप्त किए जाने का प्रयास किया गया कि क्या जन्मस्थान मध्य गुंबद से कुछ दूरी पर स्थित हो सकता है, तो उसने विनिर्दिष्ट रूप से नकारात्मक में उत्तर दिया । वे लक्षण जो मूल वादी साक्षी-1 के साक्ष्य से स्पष्ट होते हैं, निम्नलिखित हैं :–

(i) यह साक्षी अध्योया में 14 या 15 वर्ष की आयु से था और वह यहां पर सदी का तीन चौथाई समय व्यतीत कर चुका था;

(ii) इस साक्षी ने अपने इस आस्था और विश्वास के बाबत अभिकथन किया कि मध्य गुंबद के नीचे स्थित 'गर्भगृह' उस स्थान का द्योतक है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था;

(iii) इस साक्षी ने श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा अर्पित किए जाने के बारे में भी बताया;

(iv) इस साक्षी ने लोहे की छड़ों वाली दीवार की उपस्थिति को भी स्वीकार किया; और

(v) इस साक्षी ने तारीख 22/23 दिसंबर, 1949 को मूर्तियों के स्थानांतरण के बारे में भी बताया ।

515. सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड की तरफ से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल डा. राजीव धवन ने इस न्यायालय का ध्यान कतिपय विरोधाभासों, जो प्रतिपरीक्षण के अनुक्रम के दौरान प्रकाश में आए और जिनका उल्लेख सुस्पष्ट रूप से नीचे किया गया है, की ओर आकर्षित किया :–

"(क) तारीख 22/23 दिसंबर, 1949 को प्रातःकाल की आरंभिक बेला में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई । इस स्थान पर घटित हुई इस चमत्कारी घटना के पश्चात् राम चबूतरा पर स्थापित मूर्ति को वहां से हटाकर 'गर्भगृह' में स्थानांतरित कर दिया गया ।

(ख) केवल रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि में स्थापित किया गया था ... यह कथन अनेक अन्य साक्षियों जिन्होंने यह अभिकथित किया है कि अन्य मूर्तियां भी स्थापित की गई थीं, द्वारा किए गए कथनों के विरोधाभास में है ।

(ग) जब शीर्ष गुंबद को गिराया गया, तो उसके नीचे रामलला की कोई मूर्ति नहीं थी । इससे यह दर्शित होता है कि विवादित ढांचे का ध्वंस, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सर्वथा अतिक्रमण में था, सुनियोजित था, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि तारीख 22/23 दिसंबर, 1949 को अपवित्रीकरण का कार्य ।

(घ) इस साक्षी ने प्रथमतः यह अभिकथित किया कि संपूर्ण परिक्रमा 'गर्भगृह' के अंतर्गत आती थी, किंतु बाद में कहा कि परिक्रमा अन्य स्थान पर थी ।"

ये विरोधाभास उस साक्ष्य की बुनियाद, जिसके पहलुओं के आधार पर उपरोक्त अविश्वास को उजागर किया गया, को प्रभावित नहीं करते । जब इस साक्षी ने शपथपूर्वक कथन किया था, तो उसकी आयु 90 वर्ष थी और वह सात दशकों से भी अधिक समय से विवादित स्थल के साथ सहबद्ध रहा था । भगवान राम के जन्मस्थान के संबंध में हिंदुओं की आस्था और विश्वास के बाबत उसका साक्ष्य, मध्य गुंबद के नीचे वाले स्थान के साथ संलग्न पवित्रता और श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की जा रही उपासना इस परिसाक्ष्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं ।

516. **श्री देवकी नंदन अग्रवाल (मूल वादी साक्षी-2)** – जब श्री देवकी नंदन अग्रवाल की मुख्य परीक्षा तारीख 16 और 18 जून, 2001 के मध्य अभिलिखित की गई थी, तब उनकी उम्र 80 वर्ष थी । वे वाद संख्या 5 में तृतीय वादी थे जिन्होंने देवताओं के वाद मित्र के रूप में वाद फाइल किया था । यद्यपि, इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं की जा सकी, किंतु फिर भी डा. धवन ने अभिकथित किया कि वे उनके साक्ष्य का अवलंब लेने के हकदार हैं । डा. धवन ने मूल वादी साक्षी 2 के परिसाक्ष्य का विशेष रूप से उल्लेख विश्व हिंदू परिषद् और राम जन्मभूमि न्यास के मध्य मेल-जोल के संबंध में किया । इसके अतिरिक्त जहां तक मूर्तियों को स्थानांतरित किए जाने का संबंध है, डा. धवन ने अपने निवेदनों में इस साक्षी के साक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं को प्रमुखता के साथ उठाया :–

> "(i) रामलला का विग्रह एक पालने में बैठा था और यह पालना राम चबूतरा पर स्थापित था । रामलला का विग्रह गतिशील था और इसलिए श्रद्धालुओं की इच्छाओं के अनुसार उसको राम चबूतरा से स्थानांतरित किया गया था और केंद्रीय गुंबद के नीचे स्थापित किया गया था ।
>
> (ii) तारीख 22 दिसंबर, 1949 तक मूर्तियां विवादित भवन के भीतर नहीं थीं ।
>
> (iii) चबूतरा पर रामलला की मूर्ति विराजमान थी, जिसको बाद में विवादित स्थान पर गुंबद के नीचे रखा गया था ।"

डा. धवन ने उपरोक्त पहलुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बिंदुओं का भी अवलंब लिया :–

> (i) इस साक्षी की स्वीकारोक्ति कि उसने मूर्तियों की उपासना नहीं की थी और उसके घर में कोई पूजा का स्थान नहीं था;
>
> (ii) इस साक्षी की मूर्ति का नाम अभिकथित किए जाने या उन अवसरों की संख्या बता पाने, जब उसने 1984-85 में दर्शन किया, में असमर्थता;
>
> (iii) इस साक्षी का उसके इस विश्वास के संबंध में कथन

किया कि 'गर्भगृह' ऐसे स्थान पर स्थित था, जहां पर मंदिर को ध्वस्त किया गया था, मात्र एक जनश्रुति था; और

(iv) इस साक्षी द्वारा उत्तरी दिशा या विवादित स्थल पर जन्मभूमि मंदिर, जिसको ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सड़क के निर्माण के प्रयोजनार्थ दो भागों में बांट दिया गया था, को संदर्भित किया जाना ।

साक्षी (मूल वादी साक्षी-2) की विश्वसनीयता को चुनौती

517. मूल वादी साक्षी-2, जो वाद संख्या 5 में तृतीय वादी है, ने वादपत्र में अभिकथित किया है कि वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान इस बात को दोहराया किया कि वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और हिंदू है और उसने वाद संख्या 5 में प्रथम और द्वितीय वादियों के वाद मित्र की हैसियत से वाद फाइल किया है और उसका इस मामले में कोई व्यक्तिगत या निहित हित अंतर्वलित नहीं है बल्कि उसका एकमात्र आशय देवता की सेवा करना है । उसने अभिकथित किया कि वह वर्ष 1932-34 के दौरान जब भी अपनी माता के साथ विवादित स्थान पर जाता था, तो राम चबूतरा पर भगवान राम की मूर्ति की उपासना होते हुए देखता था । उसके अनुसार विवादित ढांचे के भीतर भगवान राम का एक चित्र था और पुजारी उपासकों से फूल और मालाएं प्राप्त करते थे और उनको दूर से अर्पित कर देते थे । उसने द्वार और विवादित ढांचे के भीतर पत्थर के स्तंभों की उपस्थिति को भी निर्दिष्ट किया । तथापि, उसके अनुसार पुलिस ताले, जो विवादित ढांचे के भीतरी परिसर के द्वार पर लगाए गए थे, के परिणामस्वरूप उपासकों को भीतर प्रवेश करने और उपासना करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करती थी, जो द्वार के बाहर से ही की जाती थी :–

"विवादित ढांचे के द्वार पर कसौटी के दो स्तंभ विद्यमान थे, जिनका प्रयोग उस मंदिर, जो वहां पर पूर्व में विद्यमान था, को ध्वस्त किए जाने के पश्चात् विवादित ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता था । विवादित ढांचे के भीतर भी इसी प्रकार के दो स्तंभ थे, जिनको दूर से देखा जा सकता था । किंतु विवादित ढांचे के भीतरी परिसर के द्वार पर दो ताले लगा दिए गए थे और

पुलिस इन्हीं तालों के कारण किसी को भीतर प्रवेश करने और भगवान श्री रामलला, जो भीतर विराजमान थे, की उपासना इत्यादि करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करती थी, जो द्वार के बाहर से की जाती थी और बाहरी परिसर में निरंतर रूप से भगवान के नाम का सस्वर पाठ और जप चलता रहता था ।"

इस साक्षी ने इस बात को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि हिंदू श्रद्धालु भीतरी परिसर के द्वार पर ताले लगा दिए जाने के कारण बाहर से उपासना करते थे, चूंकि पुलिस भीतर अहाते में प्रवेश की अनुज्ञा प्रदान नहीं करती थी ।

518. डा. धवन का इस साक्षी को ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो उपासक नहीं था, अविश्वसनीय बनाने का प्रयास मूल वादी साक्षी-2 की प्रतिपरीक्षा से पूर्ण नहीं होता । उसने (मूल वादी साक्षी-2 ने) अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि वर्ष 1940 और 1952 के मध्य, जब वह अध्ययनरत था, ईंट भट्ठे का कारबार करता था और ठेकेदार के रूप में भी कार्य करता था । इस साक्षी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक अभिकथित किया कि उस समय के दौरान, जब वह कारबार कर रहा था, तब उसके पास धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेने का समय नहीं था और वह मूर्ति की भी पूजा नहीं करता था । तथापि, उसने बताया कि वह धार्मिक त्यौहारों के अवसरों पर हिंदू धार्मिक देवताओं की उपासना करता था । उसकी प्रतिपरीक्षा के इस भाग को उसके जीवन के विशिष्ट चरण के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जब वह विधि व्यवसाय में प्रविष्ट होने के पूर्व कारबार करता था । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान प्राप्त किए गए उत्तरों से इस बाबत अनुमान लगाना गलत होगा कि वह भगवान राम में विश्वास नहीं रखता था या उनकी उपासना नहीं करता था । वाद में किए गए अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर इस साक्षी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता ऐसे व्यक्ति के रूप में साबित हो जाती है, जो भगवान राम की मूर्ति में हितबद्ध रहा हो ।

519. **हरिहर प्रसाद तिवारी (मूल वादी साक्षी-4)** – तारीख 1 अगस्त, 2002 को, जब हरिहर प्रसाद तिवारी की मुख्य परीक्षा अभिलिखित की गई, तब उनकी उम्र 85 वर्ष थी । उनका जन्म वर्ष

1917 में हुआ था और वे वर्ष 1938 में अयोध्या आए थे जहां उन्होंने निवास किया और चार वर्षों तक आयुर्वेद का अध्ययन किया । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि वह राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किया करते थे । सैद्धांतिक रूप से इस साक्षी के साक्ष्य का अवलंब वाद संख्या 5 के वादियों द्वारा इस विश्वास के समर्थन में लिया गया है कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थान था । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया :–

> "अयोध्या हिंदुओं के लिए प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां परमब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम के रूप में अवतार लिया । हिंदू धर्म के अनुयायियों की प्राचीन काल से यह आस्था है कि भगवान विष्णु अयोध्या में भगवान श्रीराम के रूप में अवतरित हुए थे । यह स्थान उपासना योग्य है । इसी आस्था और विश्वास के कारणवश लोग श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन और परिक्रमा (चक्कर लगाने) के लिए आते हैं । वर्ष 1934 से 1938 के दौरान मेरे अध्ययन के समय मेरे परिवार के सदस्य, मेरे दादा और बड़े बुजुर्ग, संन्यासी और अयोध्या के तपस्वी कहते थे कि भगवान विष्णु इसी स्थान पर भगवान श्रीराम के रूप में अवतरित हुए थे और यही स्थान श्रीराम जन्मभूमि है । मैं इसी आस्था और विश्वास के आधार पर दर्शन के लिए श्रीराम जन्मभूमि जाता रहा हूं । मैं अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् जब कभी भी अयोध्या आता हूं तो मैं निरपवाद रूप से वहां दर्शन के लिए जाता हूं । मैं विगत 8-9 वर्षों से अधिकांशत: अयोध्या के सुग्रीव किला, रामकोट में रहता हूं और प्राय दर्शन के लिए राम जन्मभूमि जाता हूं ।"

इस साक्षी ने दो द्वारों – हनुमत द्वार और सिंह द्वार के द्वारा बाहरी बरामदे में प्रवेश, सीता रसोई की उपस्थिति, राम चबूतरा और भीतर स्थित भंडार के बारे में भी अभिकथन किया है । उसने उन तीर्थ यात्रियों को भी निर्दिष्ट किया है, जो बड़ी संख्या में विशेष रूप से चैत्र रामनवमी और अन्य धार्मिक त्यौहारों और सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा नियमित रूप से की जा रही परिक्रमा के अवसर पर अयोध्या आते हैं । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसने विवादित स्थल के भीतर कभी

किसी मुस्लिम को नमाज अदा करते हुए नहीं देखा । इस साक्षी ने अभिकथित किया :–

> "मैं वर्ष 1934-38 के दौरान नियमित रूप से विवादित स्थल पर भगवान राम के दर्शन के प्रयोजनार्थ जाता था । विवादित स्थल पर भवन के भीतर भगवान राम की बैठी हुई मुद्रा में कोई मूर्ति नहीं थी किंतु दीवार पर उनकी एक फोटो टंगी हुई थी जो द्वार के बाहर से दिखाई देती थी । द्वार पर ताला लगा हुआ था और इसलिए मैं बाहर से फोटो को देखता था ।"

अत: इस साक्षी ने स्वीकार किया कि हिंदू श्रद्धालु भीतरी बरामदे के ताला लगे हुए द्वार के बाहर से दर्शन करते थे । इस साक्षी ने वर्ष 1934 और 1938 के मध्य बाहरी बरामदे में उपासना के बारे में भी बताया ।

> "मंदिर की सीमाओं की उत्तरी दिशा में एक द्वार था । इस द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता था । सिंह द्वार के भीतर जाते हुए बाईं तरफ चबूतरे पर चौका बेलन, चूल्हा और चरण चिह्न इत्यादि बने हुए थे । चरण चिह्न चार जोड़ों में थे । श्रद्धालुओं के विश्वास के अनुसार यह चरण चिह्न राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के थे । वर्ष 1934 से 1938 के दौरान उपरोक्त सभी वस्तुएं चबूतरे पर विद्यमान थीं । पुजारियों द्वारा चबूतरे पर भी उपासना की जाती थी । पुजारी प्रथमत: राम मंदिर के चबूतरे पर उपासना करते थे और तत्पश्चात् उपासना के लिए उपरोक्त चबूतरे पर जाते थे ।"

उस स्थान, जिसको उसने गर्भगृह के रूप में वर्णित किया है, की तरफ जाने वाले मार्ग के द्वार वर्ष 1934-38 के दौरान अभिकथित रूप से बंद कर दिए गए थे । साक्षी के अनुसार उपासना गर्भगृह के बाहर से की जाती थी । इस साक्षी ने अपनी धार्मिक आस्था के स्रोत के बाबत अभिकथित किया कि उसकी आस्था किसी धार्मिक पाठ्य पर आधारित नहीं है बल्कि उन बातों पर आधारित है, जो उसने 'बुजुर्ग व्यक्तियों से भगवान राम की जन्मभूमि के बारे में सुनी हैं । यह मूल वादी साक्षी-4 की आस्था और विश्वास की सत्यता को नकारे जाने का कोई कारण नहीं

है । उसने विनिर्दिष्ट रूप से उस नियमितता के बारे में शपथपूर्वक वर्णन किया है, जिसके साथ वह उपासना के प्रयोजनार्थ जन्मभूमि का दौरा किया करता था और उसके साक्ष्य के इस पहलू को डिगाया नहीं जा सका । इस साक्षी ने निष्पक्षतापूर्वक अभिकथित किया है कि वह विवादित भवन के भीतर नहीं जाता था क्योंकि वहां पर ताला लगा हुआ था और चूंकि वर्ष 1938 के पश्चात् प्रवेश प्रतिषिद्ध था, इसलिए चबूतरे पर दर्शन के इंतजाम किए गए थे ।

520. **श्रीरामनाथ मिश्रा** उर्फ **बनारसी पंडा (मूल वादी साक्षी-5)** – तारीख 6 अगस्त, 2022 को इस साक्षी की आयु 91 वर्ष थी, जब उसकी मुख्य परीक्षा अभिलिखित की गई । उसने अभिकथित किया है कि उसका विवाह पंडित रामकृष्ण उपाध्याय, जो विख्यात 'तीर्थ पुरोहित' थे, की पुत्री के साथ संपन्न हुआ था । उसने अपने विवाह के समय से राम जन्मभूमि की उपासना और परिक्रमा किए जाने के बाबत शपथपूर्वक बताया । उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ वर्ष 1932 में अयोध्या आया था और अपने ससुर के स्वामित्वाधीन सौ घाटों समेत उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की देखभाल और प्रबंधन करने लगा । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि चैत्र रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या आते थे और सरयू नदी में स्नान के पश्चात् राम जन्मभूमि, कनक भवन और हनुमान गढ़ी के दर्शन के लिए रवाना हो जाते थे । उसने अभिकथित किया कि हजारों श्रद्धालु जन्मभूमि के दर्शन के प्रयोजनार्थ ग्रामों से आते थे । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि अयोध्या का महत्व ब्रह्मपुराण, स्कंदपुराण और बाराहपुराण में वर्णित किया गया है ।

मूल वादी साक्षी-5 के परीक्षण के मुख्य पहलुओं में से कुछ पहलू निम्नलिखित हैं :–

(i) इस साक्षी ने राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो द्वारों का उल्लेख किया । प्रथम द्वार पूर्व दिशा से हनुमत द्वार था और द्वितीय द्वार उत्तर दिशा से सिंह द्वार था;

(ii) हनुमत द्वार के दोनों कोनों पर काले पत्थर के स्तंभ थे

जिन पर फूलों, पत्तियों और देवताओं के चित्र अंकित थे । इसी प्रकार से सिंह द्वार के ऊपरी भाग में 'गरुण' का चित्र अंकित था जिसके दोनों तरफ से शेरों के चित्र अंकित थे ।

(iii) मुख्य द्वार, जिसे हनुमत द्वार कहा जाता था, से प्रवेश करने पर उत्तरी दिशा में एक चबूतरा था, जिसको राम चबूतरा कहा जाता था और जिसके ऊपर भगवान राम की मूर्ति के साथ अन्य मूर्तियां रखी हुई थीं । राम चबूतरा के दक्षिणपूर्वी कोने में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गणेश, भगवान शंकर और अन्य देवताओं की मूर्तियों के साथ कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं । मुख्य द्वार के भीतर उत्तर दिशा में एक फूस का घेरा था, जिसे भंडार या स्टोर के नाम से जाना जाता था और जिसमें सामान रखा जाता था ।

(iv) ईंट की दीवार, जिसके ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी, के भीतर पश्चिम दिशा में राम चबूतरा स्थित था, जिसको उसने 'गर्भगृह' मंदिर के रूप में वर्णित किया और जिसके ऊपर तीन गुंबद स्थित थे और यह आस्था का विषय है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे वाला स्थान भगवान राम का जन्मस्थान था । यह साक्षी और अन्य हिंदू श्रद्धालु इसी स्थल पर राम जन्मभूमि, जिसको पवित्र स्थान माना जाता है, के दर्शन करते थे;

(v) इसी परिसर के भीतर सीता रसोई स्थित थी, जिसमें चौका-बेलन, चूल्हा और चरण चिह्न स्थित थे;

(vi) गुंबद वाले ढांचे के भीतर काले कसौटी के स्तंभ स्थित थे, जिन पर फूल, पत्तियां और देवताओं के चित्र अंकित थे । उसने वर्ष 1928-1949 के मध्य भगवान राम का चित्र देखा था, जो गर्भगृह के भीतर दीवार पर टंगा हुआ था और उसका दावा है कि उसने भगवान राम की मूर्ति वर्ष 1949 तक देखी;

(vii) ईंट की दीवार, जिसके ऊपर लोहे की जाली स्थित थी, में दो द्वार थे, जिनमें ताला बंद था और जिनको निर्मोही अखाड़ा के पुजारी द्वारा खोला जाता था । तीर्थ यात्रियों के लिए 'गर्भगृह' के दर्शन का इंतजाम लोहे के घेरे से किया जाता था जहां एक दानपात्र भी रखा हुआ था;

(viii) इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान 'गर्भगृह' की उपासना के बारे में चर्चा करते हुए निम्नलिखित उत्तर अभिप्राप्त किए गए थे –

> "'गर्भगृह' में प्रवेश के लिए दीवार में दो द्वार थे । तीन शिखरों के नीचे कसौटी के स्तंभ थे । ये स्तंभ हनुमत द्वार के स्तंभों के समरूप थे । 'गर्भगृह' में लगभग 7-8 इंच की ऊंचाई वाली काले पत्थर की एक मूर्ति थी । यह मूर्ति काले पत्थर से निर्मित थी । यह कहना कठिन है कि क्या यह मूर्ति कसौटी के पत्थर से निर्मित थी क्योंकि हम इस मूर्ति को बाहर से देख पाते थे । यह एक पत्थर में सीता और भगवान राम की मूर्ति थी । इसके अतिरिक्त मुझे स्मरण नहीं कि वहां पर भगवान शालिग्राम थे या नहीं क्योंकि मैं इस स्थान को बाहर से देख पाता था और इस स्थान में सदैव ताला बंद रहता था । मैंने भीतर राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति नहीं देखी । ताले की चाबी निर्मोही अखाड़ा के लोगों के कब्जे में रहती थी और उन्हीं का पुजारी ताले को खोलता था, ताले को बंद करता था और आरती पूजा इत्यादि का निर्वहन करता था और घंटियां और बिगुल बजाता था । जब कभी भी मैं वहां गया, तो श्रद्धालुओं को बाहर से ही चढ़ावा चढ़ाते और प्रसाद ग्रहण करते हुए पाया । वे भीतर नहीं जाते थे । मैंने वर्ष 1932 से 1949 तक इसी प्रकार से सब कुछ घटित होते हुए देखा ।"

मूल वादी साक्षी 5 ने भीतरी परिसर के द्वार पर ताले के बारे में बताया, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है । मूल वादी साक्षी-5 ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उपासना बाहर से भी की जा रही थी, किंतु उसके अनुसार चाबियां निर्मोही अखाड़ा के कब्जे में थीं ।

(ix) इस साक्षी ने श्री जफरयाब जीलानी द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान तीन प्रकार की परिक्रमाओं के बारे में बताया अर्थात् –

(क) चौदह कोसी;

(ख) पांच कोसी;

(ग) अंतरगढ़ी ।

(x) पुन:, इस साक्षी ने श्री जीलानी द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिकथित किया –

"मैं विवादित परिसर में तीन स्थानों पर दर्शन किया करता था – प्रथम बाईं तरफ स्थित चबूतरे के, तत्पश्चात् बाहर लोहे के घेरे से (शिखर वाले) गुंबद के और तत्पश्चात् उत्तर दिशा में स्थित सीता रसोई के ।"

(xi) इस साक्षी ने अभिकथित किया कि वर्ष 1928 और 1949 के मध्य लोहे के घेरे वाली दीवार के दोनों द्वारों में ताले बंद थे, जिसके परिणामस्वरूप दर्शन केवल लोहे के घेरे से किए जाते थे और वहीं से फूलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था ।

521. **डा. राजीव धवन** ने इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने का जोशपूर्वक प्रयास उसके द्वारा इस बाबत पहचान किए जाने में असमर्थ रहने के आधार पर किया कि क्या वे फोटोग्राफ, जो उसको दर्शित किए गए थे, विवादित स्थल के थे । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि वर्ष 1990 में एक बंदर ने विवादित भवन को ढहा दिया था । यह उत्तर स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना के आधार पर गढ़ी हुई बात है और वह विवादित भवन को ढहाए जाने का कोई सही वृत्तांत प्रस्तुत नहीं कर सका । प्रतिपरीक्षक द्वारा दर्शित फोटोग्राफों का उत्तर देते समय इस साक्षी की असमर्थता निश्चित रूप से एक पहलू है, जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए किंतु वह पहलू इस साक्षी को अविश्वसनीय बनाए जाने का आधार नहीं हो सकता । इस साक्षी की आयु प्रतिपरीक्षा की तारीख पर 90 वर्ष से अधिक की थी और इसलिए अंतर्विरोधों पर साक्ष्य की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए । ढांचे के ढह जाने के संबंध में इस साक्षी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निश्चित रूप से काल्पनिक है । तथापि, साक्ष्य को संपूर्णता में पढ़े जाने पर यह उपदर्शित होता है कि वे उत्तर जिनको श्री जीलानी द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिप्राप्त किया गया, इस साक्षी की मुख्य परीक्षा

की बुनियाद को हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा विवादित स्थल पर उपासना की प्रकृति के आधार पर डिगा नहीं पाते । यह साक्षी उपासना की प्रकृति और तरीके से भली-भांति अवगत था और एक उपासक के रूप में विवादित स्थल पर उसकी उपस्थिति या उन तौर-तरीकों के बाबत जागरूकता, जिनका विवादित स्थल पर उपासना के अनुक्रम के दौरान अनुसरण उसके द्वारा और अन्य श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता था, के बाबत कोई संदेह नहीं हो सकता ।

522. **हौसला प्रसाद त्रिपाठी (मूल वादी साक्षी-6)** – जब इस साक्षी की तारीख 13 अगस्त, 2002 को प्रतिपरीक्षा अभिलिखित की गई, तब उसकी आयु 80 वर्ष थी । उसका गांव अयोध्या से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वह अयोध्या सर्वप्रथम दिसंबर, 1935 में आया था, जब उसकी आयु मात्र 12 या 13 वर्ष थी । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसके चाचा अयोध्या स्थित संस्कृत विद्यालय में वर्ष 1932 और 1945 के मध्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । यह साक्षी इस अवधि के दौरान 3 से 4 बार अयोध्या आया । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि वह इसके पश्चात् भी श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन के प्रयोजनार्थ अयोध्या आता था । इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के दौरान राम जन्मभूमि पर दर्शन के बारे में बताया :–

> "रामनवमी के समय देश के प्रत्येक कोनों से लाखों लोग अयोध्या आते थे । अधिसंख्य तीर्थ यात्री और आगंतुक राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या आते थे और वहां पर उपासना करते थे । मैंने श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन के पश्चात् सैकड़ों लोगों को संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर की बाहर से परिक्रमा करते हुए देखा । मैं भी दर्शन के पश्चात् अपने पिता और दादी के साथ संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा करता था । मेरी दादी वृद्धावस्था के कारण श्रीराम जन्मभूमि की केवल एक बार परिक्रमा कर पाती थी जबकि मैं और मेरे पिता पांच बार परिक्रमा करते थे ।"

इस साक्षी के साक्ष्य के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं :–

(i) इस साक्षी ने राम चबूतरा के साथ लोहे के घेरे, जिसके

पीछे तीन गुंबद वाला ढांचा स्थित था और जो उसके अनुसार राम जन्मभूमि के गर्भगृह का द्योतक है, की निकटता के बारे में बताया –

> "राम चबूतरा और भंडार के ठीक सामने पश्चिमी दिशा में एक दीवार थी, जिसमें लोहे की छड़ों वाली अनेक खिड़कियां और दो द्वार थे । ये द्वार सदैव बंद रहते थे । दीवार की पश्चिमी दिशा में तीन शिखरों वाला भवन था जिसमें केंद्रीय शिखर वाला भाग श्रीराम जन्मभूमि का स्थान है, जिसको हिंदू परंपरा, आस्था और विश्वास के अनुसार गर्भगृह कहा जाता है । मैं भी इसी आस्था और विश्वास के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन और परिक्रमा के लिए जाता था ।"

ईंट की दीवार, जिसके ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी, की राम चबूतरा से अतिनिकटता महत्वपूर्ण मामला है । इस साक्षी ने उल्लेख किया है कि दीवार 'राम चबूतरा के ठीक सामने' स्थित थी ।

(ii) इस साक्षी ने उस तरीके के बारे में बताया, जिसमें श्रद्धालु बरामदे में प्रवेश करते थे और दर्शन के लिए अग्रसर हो जाते थे –

> "समस्त तीर्थ यात्री – दर्शनार्थी श्रीराम जन्मभूमि परिसर में पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार से प्रविष्ट होते थे और नीम और पीपल के पेड़ के नीचे राम चबूतरा पर स्थित मूर्तियों और साथ ही सीता रसोई और चरण चिह्नों इत्यादि के दर्शन करते थे, जो राम जन्मभूमि परिसर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित था और वे लोहे के घेरे वाली दीवार के भीतर स्थित पवित्र श्रीराम जन्मभूमि के भी दर्शन करते थे, जिसको गर्भगृह माना जाता है ।"

(iii) इस साक्षी ने तीन गुंबदों वाले ढांचे के भीतर काले पत्थरों के स्तंभों की उपस्थिति और उनके ऊपर देवताओं के चित्रों के उत्कीर्णन के बारे में भी शपथपूर्वक कथन किया । इस साक्षी के अनुसार गर्भगृह का स्थान भगवान राम के जन्मस्थान का द्योतक है –

"श्रीराम जन्मभूमि में स्थित गर्भगृह में कसौटी के काले स्तंभ विद्यमान थे, जिनके ऊपर फूल, पत्तियों और देवी-देवताओं के चित्र अंकित थे । शिखरों के साथ मंदिर ही पवित्र स्थान है जबकि प्राचीन विश्वास के अनुसार यहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था ...

कसौटी के (काले पत्थर के) स्तंभ गर्भगृह के द्वारों पर स्थापित किए गए थे । हिंदू तीर्थ यात्री इन स्तंभों के ऊपर अंकित मूर्तियों के भी दर्शन करते थे ।"

(iv) साक्षियों से प्रतिपरीक्षा के दौरान कतिपय तात्विक कथन अभिप्राप्त किए गए थे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं –

(क) जब वह वर्ष 1935 और 1949 के मध्य राम जन्मभूमि गया था, तब उसने समस्त धार्मिक स्थानों पर भगवान राम के दर्शन किए थे, जैसेकि राम चबूतरा, सीता रसोई और मुख्य पवित्र स्थान;

(ख) पवित्र स्थान पर लोहे के घेरे के बाहर से दर्शन किए जाते थे और प्रसाद भी वहीं से प्राप्त किया जाता था;

(ग) पूर्वी द्वार के सामने लोहे की सरियों वाली एक दीवार थी, जिसमें दो द्वार थे । द्वार के भीतर और गुंबद के नीचे पवित्र स्थान था । पवित्र स्थान के भीतर भगवान राम का चित्र भी था । तथापि, इस साक्षी ने स्वयं पवित्र स्थान के भीतर किसी आरती का निर्वहन होते नहीं देखा; और

(घ) कोई भी मुस्लिम साधुओं और वैरागियों के भय से परिसर में प्रवेश नहीं करता था ।

डा. राजीव धवन ने उन बातों का अवलंब लेते हुए, जिनको उन्होंने इस साक्षी द्वारा कतिपय फोटोग्राफों की पहचान के प्रयोजनार्थ विरोधाभासी माना है, अपने लिखित निवेदनों में इस साक्षी के परिसाक्ष्य की आलोचना की । उन्होंने इस साक्षी के इस कथन का भी उल्लेख किया कि रामलला मध्य गुंबद के नीचे वर्ष 1949 में प्रकट हुए थे । इस साक्षी ने उस नुकसान, जो भवन को वर्ष 1934 में कारित हुआ था, के

बाबत कुछ स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया । ये विरोधाभास हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा विवादित स्थल पर उपासना की प्रकृति के बिंदु पर इस साक्षी या उसके संपूर्ण परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बना सकते । इस साक्षी के इस कथन पर कि वह विवादित स्थल का नियमित रूप से दर्शनार्थी और उपासक था, पर संदेह का कोई कारण नहीं है । उपासना की प्रकृति और स्थल के बाबत मुख्य परीक्षा में उसके परिसाक्ष्य को प्रतिपरीक्षा के अनुक्रम में डिगाया नहीं जा सका । उन असंगतताओं, जिनका उल्लेख डा. राजीव धवन द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से ऐसी प्रकृति की नहीं हैं, जो उपरोक्त पहलुओं पर शपथपूर्वक कथन की बुनियाद को संदेह के दायरे में लाती हों ।

523. **राम सूरत तिवारी (मूल वादी साक्षी-7) –** जब इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तारीख 19 सितंबर, 2002 को अभिलिखित की गई, तो उसकी आयु 73 वर्ष थी । उसका ग्राम अयोध्या से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि वह प्रथम बार अयोध्या वर्ष 1942 में ग्रीष्म ऋतु के दौरान आया था और अपने भाई के साथ निवास करता था, जो वहां पर सेवारत था । तत्पश्चात् वह प्रत्येक वर्ष 4 से 5 बार अयोध्या आता था । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से हनुमत द्वार के दोनों तरफ काले पत्थर के स्तंभों और उन पर उत्कीर्णन का उल्लेख किया है :–

> "हनुमत द्वार के दोनों तरफ कसौटी के काले पत्थर द्वारा निर्मित स्तंभ विद्यमान थे, जिनके ऊपर फूल, पत्तियां और मनुष्यों के चित्रों का उत्कीर्णन था । मनुष्यों की छवियां द्वारपाल जैसी दिखाई देती थीं परंतु उनके चेहरे खरोंच दिए गए थे । मेरे भाई ने बताया था कि ये मूर्तियां जय और विजय की हैं ।"

उपरोक्त उद्धरण में साक्षी ने जिन छवियों का उल्लेख किया है, वे द्वारपाल की छवियों से मिलती-जुलती हैं और जय और विजय की छवियां हैं । मूल वादी साक्षी-7 ने अन्य साक्षियों की भांति इस तथ्य का उल्लेख किया है कि श्रद्धालु राम चबूतरे के दर्शन करते थे और तत्पश्चात् 'गर्भगृह' के दर्शन के लिए जालीदार दीवार के साथ-साथ चलते हुए आगे चले जाते थे । इस साक्षी ने शपथपूर्वक कथन किया कि सिंह

द्वार के ऊपर शेरों की दो मूर्तियां विद्यमान थीं और उनके मध्य गरुण जी विद्यमान थे । उन्होंने यह भी अभिकथन किया कि वाराह 'सूअर' की मूर्ति मुख्य प्रवेश द्वार के दक्षिणी दीवार पर स्थापित की गई थी । इस साक्षी ने मध्य गुंबद के मुख्य द्वार के भीतर और बाहर कसौटी के पत्थर के बारह स्तंभों के बारे में भी बताया :–

> "लोहे की जालीदार दीवार के भीतर तीन गुंबदों वाले भवन के मध्य गुंबद के मुख्य द्वार के भीतर और बाहर कसौटी के बारह स्तंभ निर्मित किए गए थे और इन स्तंभों पर एक घाट-पल्लव, फूल और पत्तियां और हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्णित थीं परंतु उन मूर्तियों के चेहरे, हाथ और पैर खरोंच दिए गए थे ।"

524. **कौशल किशोर मिश्रा (मूल वादी साक्षी-12)** – जब इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तारीख 19 सितंबर, 2002 को अभिलिखित की गई, तब उसकी आयु 75 वर्ष थी । यह साक्षी अयोध्या का निवासी है और एक आचार्य हैं और पुजारियों के परिवार से संबंधित हैं । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि वह 14 या 15 वर्ष की आयु से राम जन्मभूमि में उपासना का निर्वहन कर रहा है । इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि त्यौहारों के अवसर पर लाखों लोग इस स्थान पर उपासना के लिए एकत्रित होते थे और तब वे राम चबूतरा, सीता रसोई और पवित्र स्थल, जहां तीन गुंबदों वाले ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म हुआ था, के दर्शन करते थे । श्रद्धालु परिक्रमा भी करते थे । इस साक्षी ने यह भी अभिकथित किया कि अयोध्या का कोई भी मुस्लिम कभी भी नमाज के प्रयोजनार्थ राम जन्मभूमि परिसर के निकट नहीं आता था और वहां पर कभी भी नमाज अदा नहीं की गई ।

इस साक्षी के अनुसार चबूतरे पर रामलला और शालीग्राम की मूर्तियां स्थित थीं जहां चढ़ावा चढ़ाया जाता था । वहां पर बैरागी और साधु भी रहते थे और वे निर्मोही अखाड़ा से संबंधित थे । निर्मोही अखाड़ा के भंडार में देवताओं के लिए प्रसाद तैयार किया जाता था और राम मंदिर और सीता रसोई की देखभाल के लिए एक पुजारी की भी नियुक्ति की गई थी । इस साक्षी ने बाहरी बरामदे में दो द्वारों के बारे में और साथ ही विवादित भवन और बाहरी बरामदे को पृथक् करने वाली

ईंट की दीवार, जिसके ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी, के बारे में भी बताया । लोहे की सरियों वाली दीवार के दोनों द्वार खुलते थे और इस साक्षी ने बताया कि वह भगवान राम की मूर्ति की उपासना के लिए इन्हीं द्वारों के द्वारा जाता था । यद्यपि इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के दौरान यह अभिकथित किया कि वह अपने पिता और दादा के साथ राम जन्मभूमि जाता था और तीर्थ यात्रियों को पवित्र स्थल में विवादित ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे प्रार्थना करते हुए देखता था, किंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया कि वह वर्ष 1934 में विवादित भवन के भीतर नहीं गया था और केवल राम चबूतरा तक गया था । तथापि, उसने दावा किया कि वह वर्ष 1934 से तीन गुंबदों वाले भवन के भीतर जाता रहा है । उसने दावा किया कि भवन में प्रवेश के लिए लोहे के दो द्वार थे; जिनमें से एक द्वार उत्तरी दिशा में था, जो सदैव खुला रहता था । उसके अनुसार वर्ष 1949 में गुंबदों वाले भवन के भीतर कोई मूर्ति नहीं थी बल्कि मध्य गुंबद के नीचे निर्मित चबूतरे पर एक कैलेंडर रखा हुआ था । इस साक्षी के अनुसार उसने भवन के भीतर उस समय उपासना की जब वहां पर कोई भीड़ नहीं होती थी किंतु जब वहां पर लोगों की भीड़ होती थी, तो उपासना बाहर राम चबूतरा के निकट की जाती थी । तथापि, वह श्रद्धालुओं को 1949 के पश्चात् विवादित भवन के भीतर ले जाता था और उसके पहले नहीं । उसने रिसीवर से भवन के भीतर जाने की मौखिक अनुज्ञा वर्ष 1949 और 1986 के मध्य प्राप्त कर ली थी । वर्ष 1934-1949 के दौरान कुछ लोग अपने चढ़ावे बाहर राम चबूतरे पर चढ़ाते थे; अन्य लोग भीड़ के कारण लोहे के द्वार के निकट यह चढ़ावा पुजारी को दे देते थे जबकि कुछ लोग अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए भीतर भी जाते थे । मध्य गुंबद के नीचे बैठे हुए पुजारी चढ़ावे को स्वीकार करते थे । इस प्रश्न के उत्तर में कि वर्ष 1934 और 1949 के मध्य, जब वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी, आरती और भोग कैसे अर्पित किए जाते थे, तो इस साक्षी ने अभिकथित किया :–

> "प्रश्न – वर्ष 1934 से 1949 के दौरान गुंबद के नीचे कोई मूर्ति नहीं थी, तब आरती और भोग इत्यादि किसको अर्पित किए जाते ?

उत्तर – विवादित भवन का महत्व, कैलेंडरों पर चित्र, मानसिक उपासना और ध्यान वे मार्ग थे जिनके द्वारा उपासना, भोग, सस्वर पाठ, आरती इत्यादि का निर्वहन किया जाता था ।"

तथापि, इस साक्षी ने स्वीकार किया कि ऐसा कोई अन्य सार्वजनिक मंदिर नहीं है जहां पवित्र स्थान पर मूर्ति अनुपस्थित हो । उसके अनुसार रामलला की मूर्ति विवादित भवन के मध्य गुंबद के नीचे तारीख 22/23 दिसंबर, 1949 की रात्रि के दौरान रखी गई थी । इस साक्षी के अनुसार वर्ष 1949 के पूर्व विवादित ढांचे का उत्तरी दिशा वाला द्वार खुला हुआ था जबकि दक्षिणी द्वार में ताला बंद रहता था, जिसकी चाबी पुलिस की अभिरक्षा में थी । अतः, वह वर्ष 1934 और 1949 के मध्य केवल उत्तरी द्वार से गुंबद के नीचे से होते हुए विवादित ढांचे में प्रवेश करता था । वर्ष 1934 और 1949 के मध्य वहां पर पुलिस तैनात रहती थी चूंकि भीड़ बढ़ने लगी थी और दक्षिणी द्वार को ताला बंद रखा जाता था । उसके अनुसार उसने वर्ष 1934-49 के दौरान मध्य गुंबद के नीचे से विवादित ढांचे के दर्शन किए थे और वहां पर कैलेंडर में चित्रित मूर्ति को चढ़ावा अर्पित किया था ।

525. **नारद शरण (मूल वादी साक्षी-13)** – जब इस साक्षी की मुख्य परीक्षा 27 जनवरी, 2003 को अभिलिखित की गई, तब उसकी आयु 76 वर्ष थी । वह 1946 में अयोध्या आया था और उसके गुरु की मृत्यु के पश्चात् वर्ष 1979 में सूरजकुंड के महंत के रूप में उनका उत्तराधिकारी बन गया था । इस साक्षी ने स्वीकार किया कि मूर्तियां तारीख 22/23 दिसंबर, 1949 की रात्रि में राम चबूतरा से केंद्रीय गुंबद के नीचे स्थानांतरित की गई थीं । उसके समक्ष 'अल्लाह' शब्द समाविष्ट करने वाले शिलालेख का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया । इस साक्षी के अनुसार शिलालेखों में केवल फूल और पत्तियां अंक्ति थे । उसने स्वीकार किया कि जहां पर अल्लाह लिखा है वह दीवार मंदिर की दीवार नहीं हो सकती । यह साक्षी इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि क्या मुस्लिमों ने विवादित भवन में उन तारीखों पर नमाज अदा की थी, जिन तारीखों पर वह दर्शन के लिए नहीं गया था । इस साक्षी ने इस विश्वास के बाबत बताया कि पवित्र स्थान मध्य गुंबद के नीचे स्थित है । इस साक्षी

ने शपथपूर्वक कथन किया कि हनुमत द्वार के दोनों तरफ कसौटी के खंभे स्थित थे, जिन पर जय और विजय के चित्र उत्कीर्णित थे ।

सुन्नी साक्षी

526. वाद संख्या 5 के वादियों ने सुन्नी साक्षियों द्वारा किए गए कथनों का अवलंब लिया । चूंकि वे कथन उनके मामले को मजबूती प्रदान करते हैं । निम्नलिखित सुन्नी साक्षियों के कथनों का अवलंब लिया गया :–

मोहम्मद हाशीम (वादी साक्षी-1) – जब इस साक्षी का कथन जुलाई, 1996 में अभिलिखित किया गया, तो उसकी आयु 75 वर्ष थी । वह पेशे से दर्जी था और अयोध्या के मोहल्ला कोठिया का निवासी था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसका निवास विवादित स्थल से तीन फर्लांग की दूरी पर स्थित है और वह बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1938 में गया था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उस समय शुक्रवार की नमाज दोनों मस्जिदों में अदा की जाती थी जबकि तरावी की नमाज (विशेष प्रार्थना/नमाज जो रमजान के पवित्र माह के दौरान ईशा की नमाज के पश्चात् अदा की जाती है) केवल बाबरी मस्जिद में अदा की जाती थी । इस साक्षी का दावा है कि उसने विवादित स्थल पर अंतिम नमाज तारीख 22 दिसंबर, 1949 को अदा की थी और तत्पश्चात् उसको सरकारी अधिकारियों द्वारा इस स्थल पर जाने से और नमाज अदा करने से रोक दिया गया था, उसने और अन्य अनेक लोगों ने नमाज अदा करने का प्रयास किया किंतु उनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का भंग कारित करने के लिए अभियोजित किया गया था और उनको दो माह के कारावास और पचास रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी । साक्षी ने इस कथन के दौरान शपथपूर्वक कथन किया कि गंज-ए-शाहिदान विवादित स्थल की पूर्व दिशा में स्थित था । उसने बताया कि विवादित स्थल की उत्तरी दिशा में सड़क थी और सड़क के उस पार एक जन्मस्थान मंदिर था जिस पर जन्मस्थान का साइन बोर्ड भी लगा था । उसने बताया कि विवादित स्थल की दक्षिणी दिशा में एक कब्रिस्तान था । उसने बताया कि विवादित स्थल के उत्तरी और पूर्वी, दोनों तरफ द्वार थे और प्रवेश के

लिए अधिकांशत: पूर्वी द्वार का प्रयोग किया जाता था । उसने बताया कि पूर्वी द्वार से प्रवेश करने पर एक चबूतरा स्थित था, जिस पर कभी-कभी पुजारी बैठा करते थे । उसने बताया कि मस्जिद के उत्तरी द्वार के निकट एक 'चूल्हा' स्थित था जिसे सीता रसोई कहा जाता था । इस साक्षी के अनुसार सीता रसोई के साथ एक दीवार थी और जब भीड़ बढ़ जाती थी, तो रास्ते के लिए उत्तरी द्वार खोल दिया जाता था । उत्तरी और पूर्वी द्वारों को एक चाहरदीवारी द्वारा घेरा गया था । उसने बताया कि मस्जिद की एक अन्य दीवार थी, जिसमें मुख्य द्वार था, जिस पर ताला लगा हुआ था । ये ताला उस तारीख पर लगाया था, जब मस्जिद को कुर्क किया गया था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि विवादित स्थल के भीतर तारीख 22 दिसंबर, 1949 तक कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी और तीन गुंबदों वाले ढांचे के भीतर कोई उपासना कभी भी संपन्न नहीं की गई थी ।

इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा आरंभिकत: तारीख 24 जून, 1996 को की गई । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने अभिकथित किया कि विवादित स्थल, जिसको तारीख 22/23 दिसंबर, 1949 को कुर्क किया गया, को हिंदुओं द्वारा राम जन्मभूमि कहा जाता था और मुस्लिमों द्वारा बाबरी मस्जिद कहा जाता था । उसने अभिकथित किया कि जन्मस्थान मंदिर राम जन्मभूमि मंदिर था और 1885 के वाद में भी विवादित स्थल को राम जन्मभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान आगे अभिकथित किया कि चूंकि अयोध्या को भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है, इसलिए यह हिंदुओं के लिए उसी प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है, जैसेकि मुस्लिमों के लिए मक्का । उसने आगे अभिकथित किया कि त्यौहारों के अवसरों पर भारत के बाहर से भी तीर्थ यात्री जन्मस्थान मंदिर के दर्शन के लिए आते थे और उनके लिए चढ़ावे, जैसेकि फूल, हार और बताशा इत्यादि के विक्रय की अस्थाई दुकानें भी बनाई जाती थीं । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसने हिंदुओं को विवादित संपत्ति के चारों तरफ पंचकोसी और चौदहकोसी परिक्रमा करते हुए अपने बचपन से देखा है और इस प्रथा का पालन सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है । इस साक्षी ने कसौटी के स्तंभों के फोटोग्राफ संख्या 45, 46 और 54 और ए-2/41 को देखने के पश्चात्

अभिकथित किया कि स्तंभों पर मूर्तियां या उत्कीर्णन हिंदू देवताओं के थे और वे स्तंभ, जो पूर्वी मुख्य द्वार पर दृश्यमान थे, उन द्वारों के समरूप थे, जिनका प्रयोग गुंबद में किया जाता था । इस साक्षी ने इस बात की पुष्टि की कि पत्थर के स्तंभ वर्ष 1992 में विवादित परिसर के ध्वंस तक यथावत् थे । इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कोई मुस्लिम किसी ऐसे स्थान पर नमाज अदा करने के लिए जा सकता है, जहां देवी-देवताओं या फूलों के चित्र बने हुए हों, तो इस साक्षी ने उत्तर दिया कि किसी देवता के चित्र के सामने नमाज अदा करना प्रतिषिद्ध है ।

527. **हाजी महबूब अहमद (वादी साक्षी-2)** – जब इस साक्षी का कथन सितंबर, 1996 में अभिलिखित किया गया, तो उसकी आयु 58 वर्ष थी । वह अयोध्या के टेढ़ी बाजार का निवासी था और उसका मकान विवादित स्थल से लगभग तीन फर्लांग की दूरी पर स्थित था । उसने अभिकथित किया कि उसने विवादित स्थल में सैकड़ों बार नमाज अदा की और शुक्रवार के नमाज के अलावा भी पांच वक्त की नमाज अदा करने के लिए वहां तारीख 22 दिसंबर, 1949 तक जाता था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसने विवादित स्थल के भीतर हिंदुओं द्वारा किसी उपासना या पूजा का निर्वहन होते हुए कभी नहीं देखा । इस साक्षी की आरंभिक रूप से प्रतिपरीक्षा तारीख 17 सितंबर, 1996 को की गई थी । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान लोहे की जाली वाली दीवार को निर्दिष्ट किया, जो तीन गुंबदों वाले ढांचे की चाहरदीवारी तक जाती थी और अभिकथित किया कि इस ढांचे को मुस्लिमों द्वारा मस्जिद माना जाता था और हिंदुओं द्वारा मंदिर । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि जिस प्रकार से जैसे अयोध्या हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान है, उसी प्रकार से यह स्थान मुस्लिमों के लिए भी तीर्थ स्थान है, जो इसको 'खुर्द मक्का' कह कर निर्दिष्ट करते हैं । उसने अभिकथित किया कि परिक्रमा शीतऋतु में की जाती थी और जो लोग परिक्रमा में सम्मिलित होते थे, वे दर्शन के लिए मंदिर भी जाते थे । यह साक्षी इस बात का अभिनिर्धारण कर पाने में असमर्थ था कि क्या स्तंभ पत्थर के थे या कसौटी के पत्थर के । इस साक्षी ने फोटोग्राफ संख्या 29 और 30 में दर्शित मूर्तियों और मंदिर के अन्य चिह्नों की विद्यमानता से इनकार किया और अभिकथित किया कि जब वह विवादित स्थल पर नमाज के लिए जाता था, तो वहां पर वे विद्यमान नहीं थे ।

528. **मोहम्म्द यासीन (वादी साक्षी-4)** – जब इस साक्षी का कथन नवंबर, 1996 में अभिलिखित किया गया तब उसकी आयु 66 वर्ष थी । वह अयोध्या के मोहल्ला रायगंज का निवासी था और जूते बनाने का कार्य करता था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि विवादित ढांचे का प्रयोग नमाज अदा करने के लिए किया जाता था और वह विवादित स्थल पर शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए निरंतर रूप से जाता रहता था । उसने अभिकथित किया कि विवादित ढांचे में काले पत्थर के स्तंभ विद्यमान थे किंतु उनके ऊपर देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्णित नहीं थीं । इस साक्षी के अनुसार उनके ऊपर गुलदस्ते के आकार में फूलों और पत्तियों की आकृतियां अंकित थीं । इस साक्षी की प्रथमत: प्रतिपरीक्षा तारीख 29 नवंबर, 1996 को की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि विवादित ढांचा भगवान राम का जन्मस्थान है और वे इस स्थान को उपासना के लिए पवित्र स्थान मानते हैं । इस साक्षी ने आगे अभिकथित किया कि यह उपधारणा करना गलत होगा कि मंदिर या मूर्ति का ध्वंस कुरान के अनुसार अपराध नहीं होता । इस साक्षी ने आगे अभिकथित किया कि किसी भी मुस्लिम को किसी विशिष्ट स्थान पर निर्मित मंदिर का ध्वंस करने और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती और यदि कोई व्यक्ति इस बात को साबित कर सकता कि मंदिर का ध्वंस किए जाने के पश्चात् मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो यह साबित हो जाता कि मस्जिद विधिमान्य नहीं थी ।

529. **हसमत उल्ला अंसारी (मूल वादी साक्षी-7)** – जब इस साक्षी का कथन दिसंबर, 1996 में अभिलिखित किया गया, तब उसकी आयु 65 वर्ष थी । वह अयोध्या के मोहल्ला काजियाना का निवासी था और टाइपिस्ट था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि विवादित ढांचा मस्जिद था और उसने वहां पर सर्वप्रथम नमाज वर्ष 1943 में और तत्पश्चात् वर्ष 1949 तक अदा की थी । उसने यह दावा भी किया कि विवादित ढांचा मंदिर कभी नहीं था और किसी भी हिंदू ने वहां पर तारीख 22 दिसंबर, 1949 तक उपासना नहीं की । इस साक्षी की

प्रतिपरीक्षा प्रथम बार तारीख 5 दिसंबर, 1996 को हुई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिकथित किया :–

> "श्रावण मास में यहां पर मेला लगता है । एक मेले का आयोजन मणि पर्वत पर किया जाता है और दूसरे का आयोजन वशिष्ट कुंड पर । चैत्र के माह में रामनवमी का मेला लगता है । यह कहा जाता है कि रामनवमी मेला भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है । इस अवसर पर बाहर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आते हैं । हमारे बचपन के दिनों के दौरान बाहर से हजारों लोग यहां पर आते थे । आजकल लाखों लोग आते हैं । यहां पर परिक्रमाएं भी आयोजित की जाती हैं । दो परिक्रमाओं में से एक परिक्रमा पंचकोसी है और दूसरी चौदहकोसी परिक्रमा है । हिंदू देश के विभिन्न भागों से यहां आते हैं और वे इस अवसर पर परिक्रमा भी करते हैं ।"

530. **मोहम्मद कासिम अंसारी (वादी साक्षी-23)** – जब इस साक्षी ने जनवरी, 2022 में (साक्ष्य में) शपथ-पत्र फाइल किया, तब उसकी आयु 74 वर्ष थी । वह अयोध्या के मोहल्ला कुटिया का निवासी था और पेशे से मोटर मैकेनिक था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसका निवास विवादित स्थल से तीन फर्लांग की दूरी पर स्थित है । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसने विवादित स्थल पर फज़िर जौहर, असिर, मगरिब, ईशा, तरावी और यहां तक कि जुम्मा की भी नमाज अनेकों बार अदा की । इस साक्षी के अनुसार उसने (विवादित स्थल पर) तारीख 22 दिसंबर, 1949 को अंतिम बार नमाज अदा की थी और जब तक वह नमाज अदा करता रहा, तब तक तीन गुंबदों वाले ढांचे के भीतर कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी और विवादित स्थल पर किसी भी हिंदू ने कभी कोई उपासना नहीं की थी । इस साक्षी की प्रथम बार प्रतिपरीक्षा तारीख 16 जुलाई, 2002 को की गई थी । इस प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने अभिकथित किया कि हिंदू भगवान राम को अपना भगवान मानते हैं और उनका यह विश्वास है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि बाबरी मस्जिद को हिंदुओं द्वारा जन्मभूमि कहकर निर्दिष्ट किया जाता था और उसको पंचकोसी मार्ग और पंचकोसी परिक्रमा के बारे में जानकारी है । उसने अभिकथित

किया कि विवादित स्थल पंचकोसी मार्ग से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और अयोध्या के समस्त प्रसिद्ध मंदिर, जिनमें विवादित स्थल भी सम्मिलित है, पंचकोसी मार्ग पर स्थित है । इस साक्षी के अनुसार कार्तिक माह के दौरान अयोध्या में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें दुकानें लगाई जाती थीं और लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री राम जन्मभूमि, कनक भवन और हनुमान गढ़ी के दर्शनों के लिए आते थे । इस साक्षी ने यह भी अभिकथित किया कि चौदहकोसी परिक्रमा का आयोजन वर्ष में एक बार कार्तिक माह के दौरान किया जाता था और लाखों की संख्या में लोग इसमें भाग लेते थे । इस साक्षी ने चैत्र माह में आयोजित होने वाले रामनवमी मेले और सावन के त्यौहार, जिसमें अयोध्या के लाखों लोग आते थे, का भी उल्लेख किया । इस साक्षी ने बताया कि तीर्थ यात्री सरयू नदी में डुबकी लगाते थे और कनक भवन, जन्मस्थान मंदिर और जन्मभूमि के भी दर्शन करते थे । इस साक्षी के अनुसार त्यौहारों में हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही प्रेम और शांति के साथ हिस्सा लेते थे ।

531. उपरोक्त साक्षियों द्वारा दिए गए शपथपूर्वक कथनों के विश्लेषण के पश्चात् निम्नलिखित पहलू हमारे समक्ष विचारार्थ उद्भूत हुए:–

(i) हिंदू अयोध्या को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं । हिंदू शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में इस स्थान को धार्मिक महत्व के स्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है;

(ii) हिंदुओं की आस्था और विश्वास यह है कि भगवान राम का जन्म तीन गुंबदों वाले ढांचे के केंद्रीय गुंबद के ठीक नीचे पवित्र स्थान या 'गर्भगृह' के भीतर हुआ था;

(iii) जिसको मुस्लिम बाबरी मस्जिद कहते हैं उसी को हिंदू राम जन्मभूमि या भगवान राम का जन्मस्थान कहते हैं;

(iv) हिंदुओं की आस्था और विश्वास कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, निर्विवाद है;

(v) हिंदुओं और सुन्नी, दोनों तरफ के साक्षियों के परिसाक्ष्यों से यह उपदर्शित होता है कि विवादित स्थल का प्रयोग दोनों आस्थाओं के श्रद्धालुओं द्वारा उपासना के प्रयोजनार्थ किया जाता है;

(vi) हिंदुओं और सुन्नी, दोनों तरफ के साक्षियों ने निम्नलिखित तरीके में विवादित ढांचे की भौतिक संरचना को वर्णित किया है –

(क) विवादित परिसर में दो प्रवेश द्वार थे - एक हनुमत द्वार के द्वारा पूर्वी दिशा से और दूसरा सिंह द्वार के द्वारा उत्तरी दिशा से । हनुमत द्वार के दोनों तरफ काले कसौटी के स्तंभ विद्यमान थे, जिन पर फूलों, पत्तियों और हिंदू देवी-देवताओं के चित्र उत्कीर्णित थे । हिंदू इन स्तंभों पर उपस्थित उत्कीर्णनों की पूजा करते थे और उपासना अर्पित करते थे । हिंदू साक्षियों ने 'जय और विजय' के उत्कीर्णनों के बारे में भी बताया;

(ख) मुख्य द्वार के बाहर 'जन्मभूमि नित्य यात्रा' शब्द लिखा हुआ एक पत्थर स्थिरीकृत था । इस द्वार के भीतर प्रवेश करने पर बाईं तरफ राम चबूतरा स्थित था, जिस पर भगवान राम की मूर्तियां रखी हुई थीं । श्रद्धालु और संत राम चबूतरा के निकट कीर्तन करते थे;

(ग) बाहरी बरामदे के एक कोने में गणेश, नंदी, शिवलिंग, पार्वती और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां गूलर और नीम के वृक्षों के नीचे रखी हुई थीं;

(घ) वहां पर एक ढांचा था, जिसकी छत फूस की बनी हुई थी और जिसमें भोजन और खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने के लिए भंडारण की व्यवस्था थी;

(ङ) विवादित परिसर के बाहर दक्षिणी-पूर्वी कोने में 200-250 गज की दूरी पर सीता कूप स्थित था;

(च) विवादित स्थल का उत्तरी प्रवेश द्वार सिंह द्वार था जिसके ऊपर मध्य में गरुण जी के चित्र का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्कीर्णन था और उसके दोनों तरफ दो शेर उत्कीर्णित थे । सिंह द्वार से प्रवेश करने पर सीता रसोई में पहुंचा जा सकता था, जिसमें एक चौका-बेलन-चूल्हा, चरण चिह्न और धार्मिक महत्व के अन्य चिह्न उपस्थित थे;

(छ) राम चबूतरे की पश्चिमी दिशा में लोहे की छड़ों वाली एक दीवार थी । इस बाड़े के भीतर तीन गुंबदों वाला ढांचा स्थित था, जिसके बाबत हिंदुओं का विश्वास है कि यह भगवान राम का जन्मस्थान है । हिंदुओं का विश्वास है कि यह स्थान 'गर्भगृह' है, जिसको पवित्र और पूज्यनीय स्थान माना जाता है । तीन गुंबदों वाले ढांचे में काले कसौटी के पत्थर के स्तंभ विद्यमान थे । साक्षियों ने अभिकथित किया है कि इन स्तंभों पर फूलों, पत्तियों, देवियों और देवताओं के उत्कीर्णन उपस्थित थे;

(vii) साक्षियों के परिसाक्ष्यों के आधार पर उपासना और प्रार्थना की एक पद्धति प्रकट होती है । हिंदू हनुमत द्वार से प्रवेश करने के पश्चात् बाहरी बरामदे में चबूतरे पर रखे हुए भगवान राम की मूर्तियों की प्रार्थना और उपासना करते थे और तत्पश्चात् उन मूर्तियों की भी उपासना करते थे, जो गूलर और नीम के वृक्षों के नीचे रखी हुई थी । सीता रसोई पर भी उपासना की जाती थी और तत्पश्चात् तीर्थयात्री लोहे के घेरे, जिसके द्वारा भीतरी और बाहरी बरामदे को विभाजित किया गया था, के निकट खड़े होकर तीन गुंबदों वाली संरचना के भीतर 'गर्भगृह' को सम्मान देते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे । हिंदू राम जन्मभूमि की परिक्रमा भी करते थे;

(viii) हिंदू और मुस्लिम साक्षियों, दोनों ने अभिकथित किया है कि देश के अनेक भागों से आने वाले हिंदू तीर्थयात्री धार्मिक अवसरों और त्यौहारों जैसेकि रामनवमी, सावन झूला, कार्तिक पूर्णिमा, परिक्रमा मेला और राम विवाह इत्यादि के अवसरों पर विवादित परिसर के दर्शन करते थे । ये उपासना करने वाले सरयू नदी में डुबकी लगाते थे और राम जन्मभूमि, कनक भवन और हनुमान गढ़ी के दर्शन करते थे । तीर्थयात्री विवादित परिसर के चारों तरफ परंपरागत परिक्रमा भी करते थे;

(ix) हिंदू और मुस्लिम, दोनों पक्षों के साक्षियों ने पंचकोसी और चौदहकोसी परिक्रमाओं का उल्लेख किया है कि ये परिक्रमाएं वर्ष में एक बार कार्तिक माह के दौरान की जाती थी, जिनमें भाग लेने के लिए लाखों तीर्थयात्री अयोध्या आते थे ।

विवाद के क्षेत्र

532. हिंदू और सुन्नी मुस्लिमों के साक्ष्य के आधार पर विवाद के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्भूत होते हैं :–

(i) प्रथम क्षेत्र तीन गुंबदों वाले ढांचे, जो मुस्लिमों की बाबरी मस्जिद का भाग था और जिसको हिंदू 'गर्भगृह' मानते हैं, के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियों की उपस्थिति के बारे में है । मौखिक रूप से किए गए कथनों में एक कैलेंडर, जिस पर मूर्ति का फोटोग्राफ अंकित है, की उपस्थिति का एकाकी संदर्भ समाविष्ट है और इस प्रकार से चित्र के द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त देवता की उपासना की जा रही थी । तथापि, हिंदू साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि भगवान राम की मूर्ति को तारीख 22-23 दिसंबर, 1949 की मध्य रात्रि में भीतरी बरामदे में केंद्रीय गुंबद के नीचे स्थानांतरित किया गया था । अत: तारीख 22-23 दिसंबर, 1949 के पूर्व केंद्रीय गुंबद के नीचे किसी मूर्ति की उपस्थिति संभाव्यताओं की प्रधानता के आधार पर अपवर्जित हो जाती है;

(ii) द्वितीय क्षेत्र यह है कि हिंदू साक्षियों के कथनों के संबंध में इस बाबत विविधता पाई जाती है कि क्या तारीख 22-23 दिसंबर, 1949 के पूर्व भीतरी पवित्र स्थान में उपासना अर्पित की जा रही थी और यदि ऐसा था तो उसकी प्रकृति क्या थी । जबकि कुछ साक्षियों ने अभिकथित किया है कि वे केंद्रीय गुंबद के नीचे से होते हुए अपनी उपासना को अर्पित करने के लिए विवादित ढांचे के भीतर प्रवेश करते थे, फिर भी कुछ अन्य साक्षियों ने अभिकथित किया है कि उपासना केवल लोहे के घेरे, जो भीतरी और बाहरी बरामदों को पृथक् करता है, के पास से अर्पित की जा रही थी । यह पक्षकथन कि उपासना घेरे के पास से अर्पित की जा रही थी, इस दावे के संबंध में असंगत है कि हिंदुओं द्वारा उपासना वर्ष 1934 और 1949 के मध्य तीन गुंबदों वाले ढांचे के भीतर अर्पित की जा रही थी । मुस्लिम साक्षियों के अनुसार हिंदुओं द्वारा कोई भी उपासना तीन गुंबदों वाले ढांचे के भीतर अर्पित नहीं की जा रही थी; और

(iii) तृतीय क्षेत्र यह है कि हिंदू और मुस्लिम साक्षियों के कथनों के मध्य इस बाबत विविधता पाई जाती है कि क्या वर्ष 1934 और 1949 के मध्य नमाज मस्जिद के तीन गुंबदों वाले ढांचे के भीतर अदा की जाती थी । मुस्लिम साक्षियों ने निरंतर रूप से शपथपूर्वक कथन किया है कि नमाज अदा की जाती थी और तारीख 22 दिसंबर, 1949 को अंतिम शुक्रवार की नमाज अदा की गई थी । इसके विपरीत हिंदू साक्षियों के अनुसार किसी भी मुस्लिम ने तीन गुंबदों वाले ढांचे के भीतर कभी नमाज अदा नहीं की और यदि कभी किसी ने इस परिसर के निकट आने का प्रयास भी किया, तो उनको पड़ोस में उपस्थित साधुओं और बैरागियों के भय से वापस जाना पड़ा ।

ढ.11 विवादित ढांचे के फोटोग्राफ

आयुक्त की तारीख 3 अगस्त, 1950 की रिपोर्ट

533. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा दिए गए विनिश्चय में यह अभिलिखित है कि एलबमों के तीन समुच्चय तैयार किए गए थे, जिनमें तारीख 10 जनवरी, 1990 के आदेश के अनुसरण में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा लिए गए फोटोग्राफ समाविष्ट थे । डा. राकेश तिवारी (मूल वादी साक्षी-14) जो राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, ने इन फोटोग्राफों का सत्यापन किया है । इन एलबमों के मध्य रंगीन फोटोग्राफ का एक एलबम, जिसमें 204 फोटोग्राफ समाविष्ट थे, को कागज संख्या 200 सी.-1/1-204 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । काले और सफेद फोटोग्राफ के द्वितीय एलबम में 111 फोटोग्राफ समाविष्ट हैं, जिसे कागज संख्या 201 सी.1/1-111 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । इस एलबम में कसौटी पत्थर के स्तंभों और विवादित ढांचे के अन्य लक्षणों को दर्शित करने वाले फोटोग्राफ समाविष्ट हैं ।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड की तरफ से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल डा. राजीव धवन ने वाद संख्या 1 में प्लीडर आयुक्त बशीर अहमद खान द्वारा प्रस्तुत तारीख 3 अगस्त, 1950 की रिपोर्ट का अवलंब लिया । इस रिपोर्ट में 13 फोटोग्राफ समाविष्ट हैं । इस रिपोर्ट के फोटोग्राफ संख्या 1 और 8 से 10 में फोटोग्राफ 1, 8, 9 और 10 के

बारे में स्पष्टीकरण समाविष्ट है । फोटोग्राफ 1 में 'अल्लाह' शब्द चित्रित है, जो विवादित ढांचे के बाहर मुख्य द्वार के मेहराब के ऊपर अरबी में उत्कीर्णित है । आयुक्त रिपोर्ट में अभिकथित किया गया है :–

> "फोटो संख्या 1 विवादित भवन का फोटोग्राफ है, जो मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर से लिया गया है । मुख्य द्वार के मेहराब के थोड़ा ऊपर दाहिनी ओर बाईं तरफ छोटे घेरे हैं, जिनमें अरबी में 'अल्लाह' शब्द लिखा हुआ है (उत्कीर्णित है) । इसके ठीक ऊपर हनुमान जी का एक चित्र झूल रहा है । (चित्र के फोटो फ्रेम के नीचे 'अल्लाह हो अकबर' अरबी शैली में दीवार पर उत्कीर्णित है) । इस उत्कीर्णन को उक्त फोटोग्राफ में ढक दिया गया है और इसलिए यह उत्कीर्णन फोटोग्राफ में दृश्यमान नहीं है और मैं अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट करता हूं कि इस भाग का फोटो हनुमान जी का चित्र हटाए बिना नहीं लिया जा सकता था । मैंने किसी परेशानी या द्वेषपूर्ण स्थिति, जो उत्पन्न हो सकती थी, से बचने के लिए हनुमान जी के चित्र को हटाए जाने पर जोर नहीं दिया ।"
>
> (अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

534. फोटोग्राफ 8 में अरबी शैली में 'अल्लाह' के तीन उत्कीर्णन समाविष्ट हैं । यह फोटोग्राफ भवन के बरामदे से पूर्वी दीवार में स्थित मध्य मेहराब से लिया गया है । आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में अभिकथित किया है :–

> "फोटोग्राफ संख्या 8 भवन के बरामदे की पूर्वी दीवार में स्थित मध्य मेहराब से लिया गया है । मेहराब के शीर्ष के थोड़ा सा नीचे तीन स्थानों पर अरबी शैली में 'अल्लाह' उत्कीर्णित है । मध्य में 'अल्लाह' के नीचे 'तोघरा' (...) उत्कीर्णित है, को फोटो में धुंधला कर दिया गया है 'किंतु स्थल पर इसे पढ़ा जा सकता है' ।"
>
> (अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

फोटोग्राफ संख्या 9 पश्चिमी दीवार में भीतरी केंद्रीय मेहराब का है इसके बारे में आयुक्त ने अभिकथित किया है :–

> "9. फोटोग्राफ संख्या 9 वाद में अंतर्वलित भवन की पश्चिमी

दीवार के भीतर केंद्रीय मेहराब का है । इस मेहराब के शीर्ष पर अरबी शैली में अल्लाह का सुलेख उत्कीर्णित है और इसके नीचे 'बिस्मिल्लाह-रहमान-रहीम' और उसके नीचे 'ला इलाहा-इल्लल्लाह मुहम्मदुर सूलुल्लाह' उत्कीर्णित है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

फोटोग्राफ संख्या 10 उपदेश मंच का फोटो है, जिसके संबंध में आयुक्त ने अपने रिपोर्ट में अभिकथित किया है :–

"फोटोग्राफ संख्या 10 वह मंच है, जिस पर मूर्तियां रखी हुई हैं । इस मंच के बाईं तरफ फारसी भाषा में एक शिलालेख उपस्थित है, जिसको फोटो में धुंधला कर दिया गया है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

अंततः आयुक्त की रिपोर्ट में फोटोग्राफ संख्या 11 और 12 के संबंध में निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां समाविष्ट हैं :–

"11. फोटोग्राफ संख्या 11 उत्तर की दिशा में संख्या 10 की तरफ पश्चिमी दीवार में भीतरी उत्तरी मेहराब का फोटो है । दीवार में अरबी शैली में अल्लाह की कैलीग्राफी उपस्थित है ।

12. फोटोग्राफ संख्या 12 भवन के भीतर से पश्चिमी दीवार में उत्तरी मेहराब का फोटो है, जिस पर अरबी शैली में अल्लाह का उत्कीर्णन उसी प्रकार से उपस्थित है, जैसेकि फोटोग्राफ संख्या 11 में ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

फोटोग्राफ संख्या 13 में वज़ू या प्रक्षालन के स्थान का चित्रण समाविष्ट है । अन्य फोटोग्राफ, जिनको आयुक्त की तारीख 3 अगस्त, 1950 की रिपोर्ट में संलग्न किया गया है, में अल्लाह का उत्कीर्णन, जैसाकि ऊपर अनेक स्थानों पर अभिकथित किया गया है, प्रकट होता है । इन फोटोग्राफों के मध्य फोटोग्राफ संख्या 10 में मूर्तियों के मंच पर स्थापित होने के कारण यह उत्कीर्णन दृश्यमान नहीं है । आयुक्त ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि वहां पर फारसी भाषा का एक शिलालेख विद्यमान है, जिसको फोटोग्राफों में धुंधला कर दिया गया है । इसी

प्रकार से आयुक्त ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि फोटोग्राफ संख्या 1 में दर्शित शिलालेख दृश्यमान नहीं था, चूंकि इसको हिंदू देवता के फोटोग्राफ द्वारा आच्छादित कर दिया गया था । आयुक्त ने पाया कि फोटोग्राफ संख्या 8 में शिलालेख धुंधला कर दिया गया था किंतु इस शिलालेख को स्थल पर भी पढ़ा नहीं जा सका । चाहे कुछ भी हो हमने सुनवाई के दौरान विद्वान् काउंसेल की सहायता से फोटोग्राफ संख्या 9, 11 और 12 में 'अल्लाह' के शिलालेख को अवेक्षित किया ।

535. हम रंगीन और काले सफेद फोटोग्राफों के एलबम पर पुन: ध्यान केंद्रित करते हुए रंगीन एलबम के फोटोग्राफ संख्या 40 पर विचार करते हैं, जिसमें प्रवेश द्वार के ऊपर एक प्रतीक चिह्न है और जिसमें गरुण जी को दो शेरों ने दोनों तरफ से घेरा हुआ है । रंगीन फोटोग्राफों के एलबम में अन्य फोटोग्राफों के अलावा काले कसौटी पत्थर के स्तंभों को चित्रित करने वाले फोटोग्राफ भी उपलब्ध हैं । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने उनको संदर्भित किया है और साथ ही काले और सफेद फोटोग्राफों वाले एलबमों में से निम्नलिखित उद्धरणों का उल्लेख किया है :–

> "3435. एलबमों के तीन समुच्चय हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 10 जनवरी, 1990 के आदेश के मतावलंबन में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा लिए गए फोटोग्राफ समाविष्ट हैं । मूल वादी साक्षी 14 डा. राकेश तिवारी राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, जिन्होंने मूल वादी साक्षी 14 के रूप में शपथपूर्वक कथन किया और इन सभी फोटोग्राफों का सत्यापन किया । एक एलबम जिसको पक्षों के विद्वान् काउंसेलों ने 'फोटोग्राफों के रंगीन एलबम' के नाम से सदंर्भित किया, में 204 फोटोग्राफ समाविष्ट हैं और जिनको कागज संख्या 200 सी.1/1-204 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । दूसरे एलबम में 211 काले और सफेद फोटोग्राफ समाविष्ट हैं और पक्षों के विद्वान् काउंसेलों ने सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको 'काले और सफेद फोटोग्राफों का एलबम' के रूप में संदर्भित किया है । 'काले और सफेद' फोटोग्राफों का यह एलबम कागज संख्या 201 सी./1-111 हैं । रंगीन एलबम में इन स्तंभों के सुसंगत फोटोग्राफ कागज संख्या 200 सी.1/48, 200 सी.1/50, 200 सी.1/51, 200 सी.1/52, 200 सी.1/54, 200 सी.1/87, 200

सी.1/104, 200 सी.1/105, 200 सी.1/109, 200 सी.1/114, 200 सी.1/115, 200 सी.1/141, 200 सी.1/146, 200 सी.1/147, 200 सी.1/166, 200 सी.1/167, 200 सी.1/181, 200 सी.1/186, 200 सी.1/187, 200 सी.1/195, 200 सी.1/199 और 200 सी.1/200 हैं । इसी प्रकार से काले और सफेद फोटोग्राफों के एलबम में संबंधित स्तंभ 201 सी.1/55, 201 सी.1/57, 201 सी.1/76, 201 सी.1/88, 201 सी.1/91, 201 सी.1/103, 201 सी.1/104 और 201 सी.1/106 के फोटोग्राफ समाविष्ट हैं । ये सभी फोटो इस निर्णय के साथ सामूहिक रूप से संलग्नक 5(ए.) से 5(डी.डी.) के रूप में संलग्न किए गए हैं ।"

536. इस न्यायालय ने सुनवाई के दौरान एलबमों में कुछ फोटोग्राफों का परिशीलन किया, जो विद्वान् न्यायाधीश द्वारा की गई उपरोक्त मताभिव्यक्तियों से मेल खाते हैं । काले कसौटी पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्णनों की नक्काशी की गई है, जिनमें से अधिकांश सिंदूरी रंग में लिप्त हो गए हैं । काले कसौटी पत्थर के कुछ स्तंभों को अपवित्र कर दिया गया है । उन साक्षियों जिन्होंने इन फोटोग्राफ के बाबत शपथपूर्वक कथन किए, में डा. टी. पी. वर्मा (मूल वादी साक्षी 3/5) भी थे, जिनको वाद संख्या 5 में श्री देवकीनंदन अग्रवाल के मृत्यु के पश्चात् प्रथम और द्वितीय वादियों का वादमित्र बनाया गया था । डा. टी. पी. वर्मा ने शपथपूर्वक कथन किया कि वे स्थान जहां सिंदूरी रंग लगा दिया गया, वहां पर देवताओं की आकृतियां हो सकती हैं, किंतु वे विनिर्दिष्ट रूप से यह बता पाने में असमर्थ थे कि ये आकृतियां किसी यक्ष-यक्षिणी या जय-विजय की थीं । चूंकि डा. टी. पी. वर्मा के परिसाक्ष्य पर डा. धवन द्वारा अपनी दलीलों के दौरान जोर दिया गया है, हम उनके परिसाक्ष्य के सुसंगत भाग को नीचे उद्धृत करते हैं :–

"यह संभव है कि उन स्थानों पर मूर्तियां उपस्थित रही हों, जहां फोटोग्राफ संख्या 104, 105, 109, 110, 114 और 115 में सिंदूरी या लाल रंग का प्रयोग दर्शित है किंतु इन फोटोग्राफों में यह स्पष्टत: दृश्यमान नहीं है कि वे मूर्तियां कौन से देवी-देवता या यक्ष-यक्षिणी या जय-विजय का प्रतिनिधित्व करती हैं । यक्ष-यक्षिणी या जय-विजय के चित्र उस स्थान पर दृश्यमान नहीं हैं, जहां स्तंभों

में रंग का प्रयोग किया गया है और पूर्वोक्त फोटोग्राफों (कागज संख्या 130-131) में से शेष फोटोग्राफों में दर्शित हो रहा है । मैं इन स्तंभों के काले-सफेद फोटोग्राफों में किसी देवी-देवता, यक्ष-यक्षिणी या जय-विजय को पहचान पाने में असमर्थ हूं । फोटोग्राफ संख्या 55 में 'घाट कलश' के ऊपर धुंधली सी आकृति दर्शित हो रही है, जो किसी देवी-देवता या यक्ष-यक्षिणी की हो सकती है ।"

डा. वर्मा ने आगे अभिकथन करते हुए यह अभिकथित किया :–

"फोटोग्राफ संख्या 141, 146 और 147 के रंगीन भाग में कुछ मूर्तियां दृश्यमान हैं, जो किसी देवी-देवता की हो सकती हैं, किंतु मैं उनको पहचान नहीं सकता । मुझे शेष फोटोग्राफों में कोई मूर्ति दिखाई नहीं देती । इन सभी फोटोग्राफों में जिस स्थान पर लाल रंग दर्शित नहीं हो रहा, मैं किसी देवी-देवता, यक्ष-यक्षिणी या जय-विजय के चित्र देख पाने में असमर्थ हूं ।

मैं इन फोटोग्राफों में दर्शित स्तंभों के ऊपर किसी देवी-देवता, यक्ष-यक्षिणी या जय-विजय की मूर्ति को पहचान पाने में असमर्थ हूं ।"

इसके विपरीत अन्य साक्षियों ने इन फोटोग्राफों में हिंदू देवताओं की उपस्थिति के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से अभिकथन किए हैं । इन साक्षियों में रघुनाथ प्रसाद पांडे (प्रतिवादी साक्षी 3/5) महंत धर्मदास (प्रतिवादी साक्षी 13/1-1, रमेश चंद्र त्रिपाठी (प्रतिवादी साक्षी 17/1) और शशीकांत रुंगटा (प्रतिवादी साक्षी 20/1) सम्मिलित हैं । उच्च न्यायालय ने इन साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभासों का उल्लेख किया है, विशेष रूप से फोटोग्राफों की स्पष्टता और आकृतियों की पहचान के संबंध में । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मताभिव्यक्ति की कि साक्षियों के कथनों में इस प्रकार के फेरफार सामान्य बात है, चूंकि ये साक्षी प्रतिमा विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हैं । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने डा. टी. पी. वर्मा के परिसाक्ष्य, जिन्होंने फोटोग्राफ संख्या 188, 193-195, 189 और 200 के रंगीन भागों में देवियों और देवताओं की आकृतियों का उल्लेख किया है । तथापि, उन्होंने यह भी अभिकथित किया है कि वे आकृतियों की धुंधली प्रकृति के कारण बिल्कुल ठीक से नहीं पहचान सके कि इन फोटोग्राफ में कौन से देवी और देवताओं के चित्र हैं । न्यायमूर्ति सुधीर

अग्रवाल ने साक्ष्य के पुनर्विलोकन के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :–

> "3443. उपरोक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए हमको यह मत व्यक्त करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित भवन के भीतर और बाहर स्थापित किए गए स्तंभों में कुछ मानवीय आकृतियां समाविष्ट हैं और कुछ स्थानों पर ये आकृतियां हिंदू देवी और देवताओं की आकृतियों जैसी प्रतीत होती हैं ।"

अभिलेख पर उपलब्ध फोटोग्राफों में इस्लामिक काल के शिलालेख और हिंदुओं द्वारा उपासना की जाने वाली आकृतियों के चित्र समाविष्ट हैं । विवादित ढांचे में दोनों एक साथ विद्यमान थे ।

537. न्यायमूर्ति शर्मा ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मस्जिद के भीतर स्तंभों में हिंदू देवियों और देवताओं की आकृतियां समाविष्ट थीं, यह अभिनिर्धारित किया कि विवादित ढांचा इस्लाम के नियमों के अंतर्गत मस्जिद की प्रकृति का नहीं था । न्यायमूर्ति एस. यू. खान ने न्यायमूर्ति अग्रवाल के विचार के विपरीत सहमति व्यक्त की ।

वाद संख्या 4 में विवाद्यक संख्या 19(च) :–

> "क्या प्रश्नगत भवन के भीतर और बाहर स्तंभों पर हिंदू देवियों और देवताओं की आकृतियां समाविष्ट थीं ? यदि इसका निष्कर्ष सकारात्मक में है, तो क्या इस आधार पर प्रश्नगत भवन इस्लाम के नियमों के अंतर्गत मस्जिद की प्रकृति का भवन नहीं हो सकता ?"

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रश्नगत भवन के भीतर और बाहर कुछ स्तंभों पर हिंदू देवियों और देवताओं की कतिपय आकृतियों की विद्यमानता के बावजूद मस्जिद के ढांचे की प्रकृति अप्रभावित बनी रही । उनका विचार था कि यद्यपि इस्लामिक नियमों के अंतर्गत किसी भी ऐसे स्थान, जहां नमाज अदा की जाती है, पर मनुष्यों या पशुओं की आकृतियां अनुज्ञेय नहीं होती यद्यपि इन आकृतियों को समाविष्ट करने वाले स्तंभों की विद्यमानता के बावजूद मुस्लिम इस विवादित भवन को मस्जिद मानते रहे और लगभग 80

वर्षों तक वहां पर नमाज अदा करते रहे, जब तक कि तारीख 29 दिसंबर, 1949 को कुर्की का आदेश जारी नहीं कर दिया गया । उनके विचार में ऐसे मामले, जहां लोग किसी विशिष्ट प्रकार की उपासना में विश्वास रखते हैं और किसी भवन को इस्लामिक उपासना स्थल के रूप में मानते हैं, तो किसी भी तृतीय पक्ष को इस पर विरोध करने का अधिकार नहीं होगा, विशेष रूप से लंबा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् और वह भी तब जबकि उस भवन को उस धर्म के नियमों के अनुसार मस्जिद के रूप में निर्मित नहीं किया गया था । मामले के इस पहलू पर इस्लाम के नियमों पर श्री पी. एन. मिश्रा द्वारा किए गए निवेदनों की सुनवाई के दौरान पहले ही विचार किया जा चुका है । यह उल्लेख किया जाना पर्याप्त होगा कि तारीख 3 अगस्त, 1950 की आयुक्त की रिपोर्ट और साथ ही रंगीन और काले सफेद फोटोग्राफों के एलबमों को समाविष्ट करने वाले अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य प्रथमत: विवादित ढांचे पर 'अल्लाह' के शिलालेख और द्वितीयत: हिंदू देवियों और देवताओं की कुछ आकृतियों को समाविष्ट करने वाले काले कसौटी पत्थर के स्तंभों की विद्यमानता को उपदर्शित करते हैं और तृतीयत: गरुण का चित्रण, जिनको दो शेरों ने दोनों तरफ से घेर रखा है और जो गैर इस्लामिक काल का चित्रण प्रतीत होता है । विवादित ढांचे में इस्लामिक धार्मिक काल के शिलालेख और हिंदू धार्मिक प्रकृति के उत्कीर्णन एक साथ विद्यमान रहे हैं । ये शिलालेख और उत्कीर्णन दर्शाते हैं कि इस उप-महाद्वीप में अनेक संस्कृतियों की विविधता में एक सार्वभौमिक सत्य विद्यमान है, जो मानव जाति के लिए आवश्यक एकता में पाया जाता है ।

538. डा. धवन ने दलील दी कि कसौटी के स्तंभों पर हिंदू देवियों और देवताओं की आकृतियां उपस्थित नहीं थी । उन्होंने दलील दी कि फूलों के डिजाइन, जो इन स्तंभों के ऊपर पाए गए, इस्लामिक वास्तुकला में पाए जाते हैं । उनकी दलील यह है कि अलंकृत उत्कीर्णन और शिलालेख की उपस्थिति के आधार पर माननीय न्यायालय का ध्यान मस्जिद की प्रकृति से भटकाया नहीं जा सकता और इसीलिए हिंदुओं द्वारा इस बाबत एक धर्मशास्त्र आधारित प्रश्न उठाया गया कि इस भवन में पाई गई नक्काशी गैर इस्लामिक है । डा. धवन यह प्रकथन

करने में न्यायसंगत नहीं है कि कसौटी पत्थर के स्तंभों पर हिंदू देवी और देवताओं को कोई चित्रण नहीं है । डा. धवन ने दो विनिर्दिष्ट फोटोग्राफों का अवलंब लिया, जो रंगीन फोटोग्राफों वाले एलबम के फोटोग्राफ संख्या 128 और 129 है । ये फोटोग्राफ भीतरी गुंबद के नीचे रखे हुए थे । डा. धवन ने निवेदन किया कि इन फोटोग्राफों में से एक फोटोग्राफ गुरुदत्त सिंह का है, जो सुसंगत समय बिंदु पर नगर मजिस्ट्रेट थे, जबकि दूसरा फोटोग्राफ के. के. नायर का है, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, जब दिसंबर, 1949 में घटना घटित हुई थी । डा. धवन के अनुसार ये फोटोग्राफ विवादित ढांचे के भीतर वर्ष 1990 से यथास्थिति के लिए पारित आदेश के अतिक्रमण में रखे हुए हैं । डा. धवन ने इस न्यायालय का ध्यान महंत भास्कर दास (प्रतिवादी साक्षी 13/1) के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया, जिनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान फोटोग्राफ संख्या 128 और 129 दर्शित किए गए थे । इस साक्षी के शपथपूर्वक कथन के उद्धरणों से के. के. नायर के कैरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उनके कैरियर का अवलंब लिया गया । इन फोटोग्राफों के आधार पर यह निवेदन किया गया कि के. के. नायर और गरुदत्त सिंह ने पक्षपातपूर्ण आचरण अपनाया था, जब मस्जिद को दिसंबर, 1949 में अपवित्र किया गया था ।

हमने अभिलेख की संपूर्णता के प्रयोजनार्थ डा. धवन के निवेदनों का उल्लेख किया और उनके निवेदन इस कारण पर आधारित है कि विवादित ढांचे के दक्षिणी गुंबद में राज्य सरकार के दो लोक प्राधिकारियों के फोटोग्राफ कैसे रखे गए ।

ढ.12 विष्णु हरि शिलालेख

539. वाद संख्या 5 में वादियों के काउंसेल ने तारीख 7 फरवरी, 2002 को उच्च न्यायालय के समक्ष डा. के. वी. रमेश की तारीख 3 फरवरी, 2002 की 'अयोध्या विष्णु हरि मंदिर शिलालेख' से संबंधित रिपोर्ट फाइल की गई । इस दस्तावेज को 'आक्षेप और सबूत के अध्यधीन रहते हुए अभिलेख पर लिया गया, जैसाकि 1872 के साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों द्वारा अपेक्षित है । विचारण के दौरान वाद संख्या 5 के वादियों ने दावा किया कि उपरोक्त शिलालेख तारीख 6/7 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था, के मलबे से

प्राप्त हुआ था । यह शिलालेख 115 सें. मी. × 55 सें. मी. के आकार के पत्थर पर है । न्यायालय के आदेशानुसार एक ई-स्टाम्प (कागज संख्या 203 सी.1/1) तैयार किया गया और डा. के. वी. रमेश (मूल वादी साक्षी-10), जो पुरालेखविद् हैं, द्वारा समझा गया । वाद संख्या 5 में इस शिलालेख के पाठ के अनुवाद को प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । वादियों का पक्षकथन यह है कि विवादित स्थल पर विष्णु हरि मंदिर था और इस मंदिर को ध्वस्त करने के पश्चात् उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था । निर्णय के इस खंड में यह शिलालेख निवेदन का आधार सृजित करता है ।

540. न्यायालय की कार्यवाहियों के दौरान अनुवाद के महत्वपूर्ण भागों का उल्लेख किया गया है जिनको नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "पंक्ति 13-14, छंद 19 – उसका भतीजा (अन्य शब्दों में भाई का पुत्र), मेघसुता, जोकि एक व्यापक रूप से प्रख्यात व्यक्ति था और जिसने अनयकन्द्र का स्थान ग्रहण किया था; जिसने अपने बुजुर्गों, अर्थात् पृथ्वी के स्वामी गोविन्दचन्द्र के आशीर्वाद से साकेत मंडल का स्वामित्व प्राप्त किया था ।
>
> पंक्ति 14, छंद 20 – वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसने अभिमानी योद्धाओं, जो उसके द्वारा निरंतर रूप से लड़े गए युद्धों में विजय के पश्चात् अनियंत्रित पागलपन में उत्सव मना रहे थे, को नियंत्रित किया बल्कि उसने (अपने लोगों को) एक सर्वश्रेष्ठ सेना भी दी, जो फलदायी वृक्षों (के समान सैनिकों) से परिपूर्ण थी।
>
> पंक्तियां 14-15, छंद 21 – उसके द्वारा, जो सांसारिक आसक्ति के सागर से शीघ्रता पूर्वक पार पाने के सबसे आसान साधन पर अपने मन में ध्यान कर रहा था, (भगवान) विष्णु हरि का यह सुंदर मंदिर बनाया गया था, जो [एक पैमाने पर] पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा पहले कभी नहीं किया गया था, जिसे सघन रूप से गठित [अर्थात् निर्मित] बड़े और ऊंचे पत्थरों की पंक्तियों के साथ तराशा गया था ।
>
> पंक्ति 15-16, छंद 22 – अलहाना, जिसके कभी न थकने वाले कंधे राजा गोविंदचन्द्र के साम्राज्य की स्थिरता के लिए सुरक्षा

कुंडी की तरह थे, की स्थिति पर बाद में राजा गोविंदचन्द्र के छोटे (पुत्र ?) आयुषचन्द्र ने कब्जा कर लिया ।

पंक्ति 16, छंद 23 – महान कवियों ने उनकी तुलना सहसांका और शूद्रक से करने का साहस नहीं किया; भय के कारण प्रेम के देवता के अतिरिक्त किसी ने भी उसकी उपस्थिति में धनुष की प्रत्यंचा खींचने का साहस नहीं किया ।

पंक्ति 17, छंद 24 – उसने, जो अच्छे आचरण का था और घृणा से दूर रहता था, अयोध्या, जिसमें विशाल निवास, बुद्धिजीवी और मंदिर थे, में निवास करते हुए, साकेत-मंडल, जो हजारों कुओं, जलाशयों, भिक्षा घरों, टैंकों से संपन्न था, को धर्मस्व प्रदान किया था ।"

रमेश ने शिलालेख के बाबत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में यह अभिलिखित है :–

"जुड़े हुए पत्थर का शिलालेख एक आयताकार पत्थर की पटिया पर उत्कीर्णित है, जिसका लिखित क्षेत्र लगभग 115 से. मी. x 55 से. मी. के क्षेत्र को आक्षादित करता है । वर्तमान में यह पटिया दो तिरछे हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसके कारण लगभग हर पंक्ति में कुछ अक्षर लुप्त हो गए हैं । इसके अलावा पहली और आखिरी, दो पंक्तियों को भारी क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप कई अक्षर नष्ट हो गए हैं । कुल मिलाकर, अक्षरों के खो जाने से अभिलेखशास्त्रियों और संस्कृतज्ञों के लिए पाठ की सामग्री की पूर्ण व्याख्या करने में बाधा उत्पन्न हुई है । फिर भी, इसके अर्थ का समग्र अभिप्राय और सार संदेह के परे स्पष्ट है । नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सोसायटी के अध्यक्ष डा. एस. पी. गुप्ता द्वारा पहले उदाहरण में जल्दबाजी में तैयार किए गए एक मुद्रांकन (स्टैम्पेज) और हाल के दिनों में एक उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रांकन (स्टैम्पेज) के साथ-साथ कुछ तस्वीरें भी प्रदान की गईं, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं ।

शिलालेख का पाठ काफी शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, वर्तनी संबंधी विशेषताएं उस अवधि के लिए सुव्यवस्थित हैं, जिस

अवधि का शिलालेख है, अर्थात् 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का शिलालेख । यह शिलालेख किसी भी प्रकार से दिनांकित नहीं है, किंतु पुरालेखीय आधारों के साथ-साथ प्रश्नगत शिलालेखीय पाठ द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक की अवधि के लिए विश्वास के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

किंतु आरंभिकत: शिव को समर्पित नमस्कार के प्रयोजनार्थ शिलालेख का पूरा पाठ काफी उच्च साहित्यिक उत्कृष्टता के संस्कृत छंद में रचा गया है । जैसाकि ऊपर कहा गया है, पुरालेखीय और वर्तनी संबंधी विशेषताएं उस अवधि के लिए सामान्य हैं, जिससे शिलालेख संबंधित है अर्थात् 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की अवधि से । यह शास्त्रीय संस्कृत से उत्तर भारतीय स्थानीय भाषाओं के लिए महत्वपूर्ण संक्रमण काल था । इसे समकालीन शिलालेखों, जिनमें वर्तमान शिलालेख भी सम्मिलित है, वर्ग नासिका और अनुस्वार के प्रयोग में भ्रांति और सिसकार के वर्ण और तालु के प्रयोग में आसानी से पहचाना जा सकता है ।

जहां तक पाठ की सामग्री का प्रश्न है, यह पूरी तरह से मध्ययुगीन महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है । इस पुरालेख से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, वह गोविंदचन्द्र का उल्लेख है, जो निश्चित रूप से गहदवाला वंश के थे और जिन्होंने 1114 से 1155 ईस्वी तक काफी विशाल साम्राज्य पर शासन किया । छंद 1 पूर्णतया नष्ट हो गया है । छंद 2, जो बुरी तरह से विकृत हो गया है, में त्रिविक्रम का संदर्भ समाविष्ट है और इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी भगवान विष्णु की स्तुति की गई होगी । छंद 3, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, भार्गव-परशुराम द्वारा योद्धा कुलों के लगभग पूर्ण विनाश की ओर संकेत करता प्रतीत होता है । छंद 4 में क्षत्रिय परिवार के उद्भव का उल्लेख है, जिसमें जन्मे नायकों ने पतनशील योद्धा कुलों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया । छंद 5 के अनुसार, उस कुलीन परिवार में लोगों के प्रिय, मामे का जन्म हुआ । छंद 7 सांसारिक चीजों से उनकी विरक्ति की बात करता है जबकि छंद 8 हमें

सूचित करता है कि उन्होंने अपना राज्य और धन अपने पुत्र सल्लक्षण को दे दिया था । छंद 9 से 14 में सल्लक्षण की पारंपरिक प्रशंसा समाविष्ट है, जिसमें कवि ने उच्च स्तर की काव्यात्मक कल्पना का प्रदर्शन किया है । छंद 15 में उनके पुत्र, जिसकी अपने पिता से अद्भुत समानता के बारे में लोगों के मध्य चर्चा थी, के जन्म का उल्लेख है । छंद 16 में इस पुत्र के अल्हाना के रूप में संदर्भ समाविष्ट है और उसे अपने परिवार की पिछली शक्ति और गौरव को पुनः प्राप्त करने का श्रेय देता है । अगले दो छंदों (17 और 18) में उनकी पारंपरिक प्रशंसा है, छंद 19 में यह सूचना समाविष्ट है कि उनका भतीजा, जिसका नाम मेघसुता है, पृथ्वी के वरिष्ठ प्रभु गोविंदचन्द्र की कृपा से, एक निश्चित अनयकंद्र का अधिक्रमण करने वाला और साकेत-मंडल का आधिपत्य प्राप्त करने वाला है, जबकि छंद 20 में इस नायक की सैन्य शक्ति की प्रशंसा की गई है, छंद 21 यह महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि मेघसुता ने स्वर्ग में उसके आसान मार्ग को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक ऊंचे पत्थर पर भगवान विष्णु हरि के मंदिर का निर्माण कराया । छंद 22 से हमें यह ज्ञात होता है कि वह, जो गोविंदचन्द्र के साम्राज्य की स्थिरता के लिए जिम्मेदार था, का उत्तराधिकारी साकेत-मंडल के स्वामी के रूप में युवा आयुषचन्द्र बना । छंद 23 में उसकी पारंपरिक प्रशंसा समाविष्ट है । छंद 24 के अनुसार उसने अयोध्या नगरी में अपना निवास निर्मित किया, जिसको ऊंचे निवासों, बुद्धिजीवियों और मंदिरों द्वारा सजाया गया, संपूर्ण साकेत-मंडल में हजारों छोटे-बड़े जलाशयों का निर्माण किया गया । छंद 25 और 26 में आयुषचन्द्र की अधिक पारंपरिक प्रशंसा सम्मिलित है । छंद 27, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, में विष्णु के अवतारों जैसेकि नरसिंह, कृष्ण, वामन और राम से संबंधित सुविख्यात घटनाओं का उल्लेख है । बुरी तरह से क्षतिग्रस्त छंद 28 एक राजा (संभवतः आयुषचन्द्र) को पश्चिम से (अर्थात् आक्रमणकारी मुस्लिम सेनाओं से) आक्रमण के खतरे को दूर करने के लिए निर्दिष्ट करती है । छंद 29, जो अधूरा है, में राजा आयुषचन्द्र का उल्लेख समाविष्ट है ।

साकेत-मंडल का निर्देश रोचक है । यह सुविख्यात है कि उत्तर भारत बिल्कुल वैसे ही जैसेकि दक्षिण भारत प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित था, जिन्हें मंडल कहा जाता है (देखें 'द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया', द्वितीय संस्करण 1973, दिल्ली में सूचकांकों में मंडला शब्द एच. सी. रे की स्मारकीय दो खंडीय कृति) ।"

541. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने इस साक्षी के साक्ष्य पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया है कि पुरालेखविद् के रूप में मूल वादी साक्षी 10 की विशेषज्ञता को किसी भी पक्ष द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता था । मूल वादी साक्षी 10 न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ था और उसने पत्थर के शिलालेख पर लिखी हुई सामग्री के अनुवाद को साबित किया था । इस साक्षी के अनुसार यह शिलालेख बारहवीं शताब्दी ए. डी. का था, जिसमें अयोध्या में बारहवीं शताब्दी ए. डी. में विष्णु हरि मंदिर के विद्यमान होने के बारे में उल्लेख किया गया है । मूल वादी साक्षी 10 ने अभिकथित किया कि इस अभिव्यक्ति से यह उपदर्शित होता है कि अयोध्या साकेत मंडल का मुख्यालय था । इसके अतिरिक्त इस मंदिर का निर्माण मेघसुता द्वारा कराया गया था और यह शिलालेख उनके उत्तराधिकारियों द्वारा लिखवाया गया था । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने अपने विनिश्चय के अनुक्रम में मताभिव्यक्ति की कि इस शिलालेख की सत्यता और प्रमाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता, यद्यपि इस बाबत मुस्लिम पक्षों की तरफ से दलील दी गई कि वह तरीका जिसमें इस मंदिर की पुनर्प्राप्ति का दावा किया गया है, विश्वसनीय नहीं है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसको विवादित स्थल वाले भवन में उसके ध्वंस के पहले स्थिरीकृत कराया गया था । अतः, उनके द्वारा यह दलील दी गई कि पत्थर का यह शिलालेख स्वयमेव ही यह अभिनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ साक्ष्य नहीं माना जा सकता कि विवादित स्थल पर विष्णु हरि मंदिर का निर्माण किया गया था या वहां पर वह मंदिर विद्यमान था ।

542. डा. के. वी. रमेश (मूल वादी साक्षी 10) में अपनी मुख्य परीक्षा के स्थान पर फाइल किए गए शपथपत्र में अभिकथित किया है कि वे मद्रास विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा और साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण करते हैं और उन्होंने वर्ष 1965 में कर्नाटक

विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएच.डी. की डिग्री पूर्ण की । वे वर्ष 1965 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सरकारी पुरालेखविद् के कार्यालय में सेवा में सम्मिलित हुए और वर्ष 1966 में उनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिलालेखों के लिए उप-अधीक्षण वास्तुविद् के रूप में उनका चयन किया गया । उनको वर्ष 1992 में प्रोन्नति मिली और उनको अंततः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, जहां से वे तारीख 30 जनवरी, 1993 को सेवानिवृत्त हुए । डा. रमेश ने अभिकथित किया है कि उनसे श्री देवकी नंदन अग्रवाल और उनके काउंसेल ने 20 पंक्तियों के पत्थर के शिलालेख को पढ़ने और समझने के लिए संपर्क किया था और इस प्रयोजनार्थ उन्होंने उनको इस शिलालेख का एक ई-मुद्रांकन उपलब्ध कराया, जो वाद संख्या 5 के अभिलेख का कागज संख्या 203 सी-1/1 था । तद्नुसार, उन्होंने ई-मुद्रांकन का अनुवाद तैयार किया और अपनी रिपोर्ट देवकी नंदन अग्रवाल को सौंप दी । डा. रमेश ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि उन्होंने दिसंबर, 1992 में इस शिलालेख का एक अतिरिक्त पठनीय फोटोग्राफ देखा था, जब वह फोटोग्राफ उनके संज्ञान में दिल्ली में डा. एस. पी. गुप्ता द्वारा लाया गया था । उन्होंने यह भी अभिकथित किया कि उन्होंने इस शिलालेख को दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय में स्वयं पढ़ा था । उन्होंने अभिकथित किया कि वे एक बार भारतीय पुरातत्व सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष डा. एस. पी. गुप्ता थे, के कार्यालय में अनेक अन्य लोगों से मिले थे । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि वह गहदवाला नागरी लिपि के शिलालेखों को भली-भांति जानता था और उन्होंने उस राजवंश के लगभग 10 से 20 शिलालेखों, जिनको एपिग्राफिया इंडिका में प्रकाशित किया गया था । इस साक्षी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए गए संस्कृत शिलालेखों पर 50 से अधिक लेख लिखे हैं । इन शिलालेखों में 10 शिलालेख उत्तर भारत से संबंधित हैं, जिनमें से सभी बारहवीं शताब्दी ए. डी. के अंत या उसके पहले की अवधि से संबंधित हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उस आधार के बारे में स्पष्टीकरण दिया, जिसके आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकालना था कि यह शिलालेख बारहवीं शताब्दी का है :–

"मेरे अनुसार प्रश्नगत शिलालेख की अवधि बारहवीं शताब्दी के कालखंड की हो सकती है और जब भी मैं विनिर्दिष्ट रूप से बारहवीं शताब्दी के मध्य की अवधि का प्रयोग करता हूं, तो मेरा आशय होता है कि यह अवधि लगभग 1130 ए. डी. से 1170 ए. डी. के मध्य के कालखंड की है । यदि एक बार मैं बारहवीं शताब्दी के मध्य की अवधि का प्रयोग करता हूं, तो वह वही अवधि होगी, चाहे मैं बाद में इसके लिए बारहवीं शताब्दी को निर्दिष्ट करूं । यह पुरालेखात्मक आधारों के कारण होता है और आंतरिक साक्ष्य, जैसाकि मेरे द्वारा मेरी रिपोर्ट (प्रदर्श ओ. ओ. एस. 5-2) के पृष्ठ एक के पैरा 2 में वर्णन किया गया है कि मैं प्रश्नगत शिलालेख के पाठ की सन्निकट अवधि तक पहुंचा ।'

543. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर डा. के. वी. रमेश की विशेषज्ञता अभिलेख का विषय है । तथापि, सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल डा. राजीव धवन ने डा. रमेश के परिसाक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर बल देने की ईप्सा की :–

(i) छंद 27 के अनुच्छेद में भगवान विष्णु के अवतारों नरसिंह, कृष्ण, वामन और राम का उल्लेख है । अत:, उनके इस निवेदन के अनुसार इस शिलालेख में भगवान राम को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है;

(ii) डा. रमेश उत्तर भारत के इतिहासकार नहीं हैं और उनके (डा. राजीव धवन के) अनुसार शिलालेखों का निर्वचन असंभव है जब तक कि पुरालेखविद् समकालीन इतिहास का जानकार न हो;

(iii) डा. रमेश को भारतीय पुरातत्व सोसाइटी (जो सरकारी निकाय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से भिन्न संस्था है) के कार्यालय में डा. एस. पी. गुप्ता के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था;

(iv) डा. एस. पी. गुप्ता, जो मूल विपक्षी साक्षी 3 हैं, ने स्वीकार किया है कि वे वर्ष 1975 के पूर्व आर. एस. एस. के सदस्य थे, अत: उनके द्वारा पक्षपात से इनकार नहीं किया जा सकता;

(v) डा. रमेश ने छंद 5 पर अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर स्पष्ट किया है कि इस छंद की पंक्ति 4 और 5, जिसमें आदर्श परिवार को संदर्भित किया गया है, में उन्होंने राम जन्मभूमि का अनुवाद पराक्रम के जन्मस्थान के रूप में किया है – तद्द्वारा इसका अर्थ साम्राज्य के राजसी क्षत्रिय परिवार के जन्मस्थान से है । उन्होंने स्पष्ट किया कि बाद में इस परिवार के सदस्य मेघसुता के काल के दौरान साकेत मंडल के प्रमुख बने । उनके निवेदन के अनुसार इससे यह दर्शित होता है कि (इस शिलालेख में) राम जन्मभूमि को भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में संदर्भित नहीं किया बल्कि तत्कालीन राजसी साम्राज्य के जन्मस्थान के रूप में संदर्भित किया गया था; और

(vi) रिपोर्ट के पैरा 13 में छंद 27 भगवान विष्णु की प्रशंसा से संबंधित है किंतु इस छंद में भगवान राम का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है ।

544. हम आरंभिकत: इस निवेदन का मूल्यांकन करते हुए उल्लेख करते हैं कि डा. के. वी. रमेश की शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव पर संदेह किए जाने का कोई भी तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है । डा. रमेश अनेक वर्षों तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में नियोजित थे और इसी क्रम में संयुक्त महानिदेशक के पद पर भी आसीन हुए थे । उन्होंने मूल शिलालेख का अनुवाद प्रस्तुत किया है और उस आधार को भी उपदर्शित किया है, जिसका आश्रय लेते हुए उन्होंने लेखबद्ध किया कि यह शिलालेख भी बारहवीं शताब्दी से संबंधित है । उन्होंने उल्लेख किया है कि पुरालेखविदों ने गोविंदचंद्र के नाम का उल्लेख किया है, जो गहदवाला साम्राज्य से संबंधित थे और जिन्होंने 1114 ए. डी. और 1155 ए. डी. के मध्य शासन किया था । इसके अतिरिक्त (डा. रमेश के अनुसार) पवित्र संस्कृत भाषा, वर्तनी संबंधी विशेषताएं और प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिलालेख बारहवीं शताब्दी से संबंधित है । डा. रमेश ने छंद 21 से 24 के बारे में भी बताया, जिनमें मेघसुता द्वारा भगवान विष्णु हरि को समर्पित ऊंचाई पर स्थित पत्थर के मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है । उनके पश्चात् आयुषचन्द्र सिंहासन पर बैठे और उन्होंने

अयोध्या पर शासन करते हुए साकेत मंडल को जलाशयों का निर्माण कराया । (शिलालेख पर उल्लिखित) छंद 27, जो भागत: क्षतिग्रस्त हो गया है, का निर्वचन डा. रमेश द्वारा उनकी मुख्य परीक्षा के दौरान किया गया :–

> "13. (भागत: क्षतिग्रस्त) छंद 27 में नरसिंह (जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था), कृष्ण (जिन्होंने बाणासुर का वध किया था), वामन (जिन्होंने बाली को नष्ट किया था) और राम (जिन्होंने दशानन रावण का वध किया था) के रूप में भगवान विष्णु के अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है ।"

अत: उन्होंने उल्लेख किया कि मेघसुता द्वारा निर्मित कराया गया विष्णु मंदिर बारहवीं शताब्दी ए. डी. से अयोध्या के मंदिर नगर में अवश्य विद्यमान रहा होगा । हमको इस प्रक्रम पर इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहिए कि इस शिलालेख की प्रमाणिकता को चुनौती नहीं दी गई है । पत्थर की पट्टी पर लिखी भाषा बारहवीं शताब्दी ए. डी. की संस्कृत भाषा है । इस मामले में दी गई चुनौती उस स्थान और उस तरीके से संबंधित है, जिसमें शिलालेख को अभिकथित रूप से प्राप्त किया गया, जिस पर अब विचार किया जाएगा ।

545. जहां तक पत्थर के शिलालेख की प्राप्ति का संबंध है, वाद संख्या 5 में वादियों ने अशोक चंद्र चटर्जी (मूल वादी साक्षी 8) के साक्ष्य का अवलंब लिया है । यह साक्षी, जो फैज़ाबाद का निवासी है, ने अभिकथित किया है कि वह मैजेस्टिक ऑटोमोबाइल्स नाम फर्म में भागीदारी था और मैजेस्टिक टाकीज़ नामक सिनेमाघर का स्वामी था । उसने दावा किया कि वह फैज़ाबाद क्षेत्र के 'पांचजन्य' नामक साप्ताहिक जर्नल का 15 वर्ष से अधिक की अवधि तक संवाददाता भी रहा । मूल वादी साक्षी 8 ने पत्थर के इस शिलालेख की प्राप्ति पर अभिकथित किया कि तारीख 6 दिसंबर, 1992 को, जब विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया था, वह समाचार संग्रहण के लिए विवादित स्थल पर तीन गुंबदों वाले ढांचे के पश्चिम की तरफ उपस्थित था । उसने अभिकथित किया कि जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम जन्मभूमि परिसर की पश्चिमी दिशा में भूमि को समतल किए जाने का कार्य संपन्न कराया जा रहा था, तो कुछ ऐसे पत्थर पाए गए, जो मंदिर के अवशेषों जैसे

प्रतीत हो रहे थे । इस सूचना की प्राप्ति पर वह विवादित स्थल पर गया और भूमि को समतलीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए गए मंदिर के अवशेषों समेत समस्त मूर्तियों को उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग के राम कथा संग्रहालय, राज सदन अयोध्या की अभिरक्षा में ले लिया गया था ।

546. मूल वादी साक्षी 8 ने अभिकथित किया कि तारीख 6 दिसंबर, 1992 को, जब वह विवादित ढांचे के पीछे खड़ा था, तभी उसने देखा कि पश्चिमी दीवार, जिसमें एक ही आकार के पत्थर और ईंटें लगे हुए थे, के एक भाग का प्लास्टर तोड़ा जा रहा था । इस ढांचे के ध्वस्त किए जाने के दौरान एक पट्टी (जिसकी लंबाई साढ़े तीन फीट, चौड़ाई दो फीट और ऊंचाई छह इंच थी) नीचे गिर गई थी । उन्होंने अभिकथित किया कि अनेक पट्टियां, जो नीचे गिर गई थीं, को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी मंदिर के अवशेष हैं और स्थल पर उपस्थित एक संत ने उसको बताया कि यह पट्टी किसी प्राचीन मंदिर का शिलालेख प्रतीत होती है । यह शिलालेख कारसेवकों द्वारा उठा लिया गया था, जो उसको राम कथा कुंज स्थित भवन में ले आए थे । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि तत्पश्चात् पुलिस ने इस पट्टी को अपनी अभिरक्षा में ले लिया था । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि तारीख 6 दिसंबर, 1992 अर्थात् मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की तारीख पर उसकी मुलाकात डा. सुधा मल्लाया से हुई थी । डा सुधा मल्लाया ने उससे तारीख 13 दिसंबर, 1992 को इन पट्टियों, जो ध्वस्तीकरण के दौरान प्राप्त की गई थीं, के निरीक्षण में सहायता प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ संपर्क किया था । तद्नुसार डा. एस. पी. गुप्ता और डा. सुधा मल्लाया राम कथा कुंज स्थित भवन में आए । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि तारीख 15 दिसंबर, 1992 को 'आज' नामक दैनिक समाचार के लखनऊ संस्करण में इस शिलालेख का फोटोग्राफ प्रकाशित किया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि वह दीवार के उस निश्चित स्थान के बारे में नहीं जानता जहां यह पट्टी वास्तव में लगी हुई थी । उसने दावा किया कि पत्थर के शिलालेख का फोटोग्राफ उसको रात्रि में किसी व्यक्ति द्वारा सौंपा गया था, जिसको वह नहीं पहचान सकता । उसने यह भी अभिकथित किया कि इस पट्टी

का फोटोग्राफ तारीख 13/20 दिसंबर, 1992 के पांचजन्य में प्रकाशित किया गया था ।

547. डा. धवन द्वारा मूल वादी साक्षी 8 के परिसाक्ष्य को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है :–

(i) इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथित किया है कि वह विवादित भवन के ध्वस्तीकरण के समय उसकी पश्चिमी दिशा में खड़ा था;

(ii) इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि वह विवादित भवन के ध्वस्तीकरण के समय उसकी दक्षिणी दिशा में खड़ा था और उस समय धूल के कारण कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था;

(iii) इन सभी बातों के बावजूद उसका दावा है कि उन्होंने शिलालेख को समाविष्ट करने वाली पट्टी को गिरते हुए देखा था;

(iv) तत्पश्चात् उन्होंने अभिकथित किया कि वह ध्वस्तीकरण के पश्चात् अगले दिन डा. सुधा मल्लाया और डा. एस. पी. गुप्ता के साथ शिलालेख के चित्र अभिप्राप्त करने के लिए गया था;

(v) डा. एस. पी. गुप्ता वर्ष 1975 के पूर्व आर. एस. एस. के सदस्य थे और डा. रमेश ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि वे डा. एस. पी. गुप्ता से मिले थे;

(vi) यह साक्षी यह कहते हुए विवादित स्थल के चित्रों की पहचान करने में अक्षम था कि चित्रों से यह स्पष्ट नहीं है कि यह पश्चिमी चाहरदीवारी थी, चूंकि वह इस स्थान पर अपने जीवनकाल में प्रथम बार आया था; और

(vii) आरंभिकत: इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसको दर्शित पत्थर का शिलालेख, जो दक्षिणी गुंबद के पश्चिमी दीवार से गिरा था, किंतु उसने चित्र को देखने के पश्चात् कहा कि पत्थर का शिलालेख, जो ढांचे के ध्वस्तीकरण के पश्चात् उपलब्ध था, के बाबत ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह दीवार पर लगा हुआ था ।

इस साक्षी के परिसाक्ष्य में असंगतताएं, जिनका डा. धवन द्वारा सक्रियतापूर्वक विश्लेषण किया गया, इस साक्षी की विश्वसनीयता, स्थल पर उसकी उपस्थिति और 6 दिसंबर, 1992 को ध्वस्तीकरण के दौरान विवादित ढांचे से पट्टी की प्राप्ति के बाबत उसकी गवाही पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं । ध्वस्तीकरण की घटना, जो तारीख 6 दिसंबर, 1992 को घटित हुई, के पश्चात् विवादित स्थल से पत्थर के शिलालेख की प्राप्ति को साबित नहीं किया गया है । अभिरक्षा की श्रृंखला को भी साबित नहीं किया गया है । पत्थर के शिलालेख की प्राप्ति पर मूल वादी साक्षी 8 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत उसके परिसाक्ष्य को पढ़े जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्षी को धूल के गुबार के उठ जाने के कारण कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था । उसने उस विशिष्ट पत्थर के शिलालेख या उस पट्टी जिसमें यह शिलालेख समाविष्ट था, किस प्रकार से गिरते हुए देखा, युक्तिसंगत स्पष्टीकरण के परे है । वास्तव में इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया था कि :–

> "पत्थर का शिलालेख/पट्टी, जो ढांचे के ध्वस्तीकरण के पश्चात् उपलब्ध हुआ, के बाबत यह प्रतीत नहीं होता कि वह दीवार में लगा हुआ था ।'

अत: मूल वादी साक्षी 8 के साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि पत्थर के शिलालेख/पट्टी को विवादित स्थल से प्राप्त किया गया था ।

548. चूंकि विवादित ढांचे से पत्थर के शिलालेख की प्राप्ति को साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया है, इसलिए इस मामले में एक महत्वपूर्ण संपर्क, जिसे वाद संख्या 5 के वादियों द्वारा इस शिलालेख के आधार पर निर्मित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, अनुपस्थित पाया जाता है । यह पत्थर का शिलालेख अयोध्या में विष्णु हरि मंदिर की विद्यमानता को उपदर्शित करता है, जिसका निर्माण बारहवीं शताब्दी ए. डी. में किया गया था । किंतु यदि एक बार विवादित स्थल से शिलालेख की प्राप्ति के प्रश्न पर अविश्वास किया जाता है, तो यह

शिलालेख इस निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ आधार नहीं हो सकता कि विष्णु हरि मंदिर, जिसको शिलालेख में निर्दिष्ट किया गया है, एक मंदिर था, जो विवादित ढांचे वाले स्थान पर विद्यमान था ।

ढ.13 आस्था और विश्वास का ध्रुवतारा

549. इतिहास से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर हिंदुओं की आस्था और विश्वास की इमारत की आधारशिला भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम के जन्मस्थान में है । उनकी आस्था मुख्य रूप से अयोध्या के साथ जुड़े हुए महत्व में पाई जाती है:–

(i) धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम के पीठासीन देवता के साथ अयोध्या का संबंध, स्कंदपुराण और श्रीरामचरितमानस । (वाद संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 20 अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से उपस्थित) श्री पी. एन. मिश्रा द्वारा अपने निवेदन प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने इतिहास के ताने बाने के माध्यम से धर्म और पौराणिक कथाओं पर प्रकाश डाला; और

(ii) यात्रा वृत्तांत, गज़ेटियर और पुस्तकें ।

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के कोष के माध्यम से मामले पर प्रकाश डालते हुए यह आवश्यक है कि यात्रा वृतांत, गज़ेटियरों और पुस्तकों के साक्ष्यिक मूल्यों का अवलंब लेते हुए उनके आधार पर आस्था और विश्वास, दोनों के उत्तर न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा तक दिए जाएं ।

550. स्कंदपुराण का प्रथम उद्धरण, जिसका अवलंब लिया गया, इस प्रकार है :–

"मैं अपरिवर्त्य राम, सर्वोच्च ब्रह्म, जिनकी आंखें कमल के सदृश्य हैं, जो इतने नीले रंग (वर्ण) के हैं, जितना कि तीसी (flax) का फूल होता है और जिन्होंने रावण का वध किया, के समक्ष शीश झुकाता हूं ।

वह अयोध्या महान और पवित्र है, जो बुरे कर्म करने वालों के लिए दुर्गम है । कौन अयोध्या, जहां भगवान हरि स्वयं निवास करते थे, के दर्शन करना नहीं चाहेगा ?

यह दिव्य और भव्य नगर सरयू नदी के तट पर स्थित है । यह नगर अमरावती (इंद्र की राजधानी) के समान है और अनेक संन्यासियों का घर है । (श्रीमद् स्कंदपुराणम् II, VIII ... 29-31)"

स्कंदपुराण में भगवान राम को उपासना अर्पित किए जाने के प्रयोजनार्थ श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक आज्ञा समाविष्ट है । इसी पुराण के अन्य उद्धरण में भगवान राम के जन्मस्थान का संदर्भ है :–

"श्रद्धालु सरयू के जल में पवित्र स्नान करते हैं और तत्पश्चात् पिंडारक, की उपासना करते हैं, जो सदैव पापियों की बुद्धि का नाश करते हैं और अच्छे कर्म करने वाले मनुष्यों को सदबुद्धि प्रदान करते हैं । (वार्षिक) उत्सव नवरात्र के दौरान अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है । श्रद्धालुओं को इसके (अयोध्या के) पश्चिम में मनुष्यों की बाधाओं का नाश करने वाले विघनेश्वर की उपासना करनी चाहिए । इसलिए विघनेश्वर, समस्त इच्छित फलों के दाता ... (श्रीमद् स्कंदपुराणम् II, VIII, 10,15-17)

उस स्थान (पिंडारक) के उत्तर-पश्चिम में राम का जन्मस्थान है । जन्म का पवित्र स्थान मोक्ष इत्यादि प्राप्त करने का स्थान है । यह कहा जाता है कि जन्मस्थान विघनेश्वर के पश्चिम में वशिष्ठ के उत्तर में और लौमासा के पश्चिम में स्थित है । इसके मात्र दर्शन से ही मनुष्य गर्भ (अर्थात् पुनर्जन्म) में (निरंतर) बने रहने से छुटकारा प्राप्त कर सकता है । इसके दर्शन से धर्मार्थ उपहारों, तपस्या या त्याग या पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं रहती । मनुष्यों को नवमी के दिन होली व्रत का पालन करना चाहिए । वह पवित्र स्नान और धर्मार्थ उपहारों के द्वारा वे लाभ प्राप्त कर सकता है, जो मात्र उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, जो गहरे पीले रंग की हजारों गायों का प्रतिदिन दान करता हो । मनुष्य जन्मस्थान का दर्शन करके आश्रम में तपस्या कर रहे

तपस्वी और प्रत्येक वर्ष हजारों राजसूय और अग्निहोत्र भेटें करने वाले की योग्यता प्राप्त कर लेता है । विशेष रूप से जन्मस्थान पर पवित्र अनुष्ठानों का निर्वहन करते हुए व्यक्ति का दर्शन करने वाले को भी माता और पिता और साथ ही गुरु के प्रति समर्पित पवित्र व्यक्ति की योग्यता प्राप्त हो जाती है । (श्रीमद् स्कंदपुराणम् II, VIII, 10,18-25)"

551. सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड की तरफ से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री जफरयाब जीलानी ने उन निवेदनों का संक्षिप्त उत्तर ऐसी बातों के आधार पर दिया, जो धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती हैं और जिनका अवलंब श्री पी. एन. मिश्रा द्वारा लिया गया । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि :–

(i) वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में राम जन्मभूमि का कोई वर्णन नहीं है, पश्चात्वर्ती ग्रंथ की रचना 1574 ए. डी. में की गई थी; और

(ii) धार्मिक ग्रंथों में राम जन्मभूमि मंदिर या जन्मस्थान मंदिर का कोई वर्णन नहीं है ।

यह निवेदन किया गया कि हिंदुओं की इस आस्था और विश्वास के बाबत कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, किंतु जन्मस्थान मंदिर, जिसकी उपासना की जाती है, विवादित स्थल के उत्तर में स्थित है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी अभिकथित किया कि वर्ष 1855 के पश्चात् बाहरी बरामदे में स्थित चबूतरे की उपासना जन्मस्थान के रूप में की जाती थी । अत: जीलानी के अनुसार केंद्रीय गुंबद के नीचे उस क्षेत्र के बाबत कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं है, जिसकी उपासना विवादित स्थल पर भगवान राम की जन्मस्थान के रूप में की जा रही है और जिसके बाबत विवाद वर्ष 1949 में उद्भूत हुआ ।

552. ऊपर रेखांकित धार्मिक पाठ्यों में हिंदुओं के दावे के आधार पर विचार करते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य एक ऐसे साक्षी, जिनके ऊपर जीलानी द्वारा दृढ़तापूर्वक विश्वास व्यक्त किया गया, के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया जाए । जीलानी ने इस साक्षी को 'अत्यंत विद्वान् व्यक्ति, जो धर्म को जानता है', के रूप में वर्णित

किया है । उनको रामानंदचार्य की उपाधि प्राप्त है । यह साक्षी जन्म से दृश्य विकलांगता से ग्रसित हैं । उसने इस चुनौती के बावजूद वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रथम, विद्यावृद्धि और वाचस्पति नामक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हुए आचार्य की उपाधि प्राप्त की । इस साक्षी के पास पी एच. डी. और डी.लिट् की उपाधियां हैं और उसने अपनी मुख्य परीक्षा के प्रयोजनार्थ निर्धारित साक्ष्य की तारीख तक 76 प्रकाशित पुस्तकें लिखी हैं । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि उसको उर्दू के अतिरिक्त लगभग सभी भारतीय भाषाओं का ज्ञान है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया :–

> "मेरे अध्ययन और सूचना के अनुसार अयोध्या स्थित विवादित स्थल भगवान श्रीराम का जन्मस्थान है और अनादिकाल से रहा है और परंपराओं और आस्थाओं के अनुसार विवादित स्थल को भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है और उस स्थान की निरंतर रूप से उपासना की जाती रही है ।"

इस साक्षी ने गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित श्री तुलसी दोहा शतक और वाल्मीकि रामायण के अध्याय 18 (बालकांड) और स्कंदपुराण के वैष्णव खंड के उद्धरणों का अवलंब भगवान राम के जन्मस्थान में आस्था और विश्वास को साबित करने के प्रयोजनार्थ लिया । इस साक्षी को अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान श्रीरामचरितमानस के संबंध में अपने ज्ञान के बाबत एक अन्वेषणात्मक जांच के अध्यधीन किया गया और तब उन्होंने यह अभिकथित किया :–

> "... 'उत्तर कांड' नामक शीर्षक वाली पुस्तक के समापन भाग में । मुझे जन्मभूमि से संबंधित उत्तर कांड में चौथे दोहे की पांचवीं पंक्ति का स्मरण है, जो इस प्रकार है – जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिसि बह सरयू पावन (मानस 7/4/5) । इस दोहे का अर्थ है – मेरे सुखद नगर में जन्मभूमि स्थल स्थित है, जिसकी उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है । यहां पर यह सुझाव देना गलत होगा कि इस दोहे में जन्मभूमि का कोई उल्लेख नहीं है । वास्तविकता यह है कि इस दोहे में यह कहा गया है कि यह सुखद नगर मेरा जन्मस्थान है, जिसका अन्य अर्थ यह है कि मेरे सुखद नगर में मेरा जन्मभूमि स्थल है ।"

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पांचवें और सातवें दोहों के महत्व को स्पष्ट किया :–

> "पांचवां दोहा, जो 'जन्मभूमि' शब्द के साथ शुरू होता है, में नगर शब्द का आशय संपूर्ण नगर से है और न कि किसी विशिष्ट स्थल से और यही बात सातवें दोहे में 'इहन' शब्द द्वारा उल्लिखित की गई है और यही बात चौथे दोहे में 'अवधपुरी' के रूप में उल्लिखित की गई है । यह कहना गलत है कि इन समस्त दोहों में 'पुरी' शब्द का प्रयोग जन्मभूमि के भाव में किया गया है । यह कहना सत्य है कि रामचरितमानस में इस दोहे के आलावा राम जन्मभूमि का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है । यह सत्य है कि रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर अयोध्या और अवधपुरी का उल्लेख है । श्रीरामचरितमानस में अयोध्या में प्राकट्य या निवास का कोई उल्लेख नहीं है । तथापि, वाल्मीकि रामायण के पांचवें भाग 'बालकांड' में इस बाबत शब्द का उल्लेख पाया जाता है ।"

553. स्वामी अविमुक्तेश्वानंद सरस्वती (प्रतिवादी साक्षी 20/2) ने अभिकथित किया कि उनके 'अध्ययन और ज्ञान' के अनुसार अयोध्या स्थित विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थान है और इस स्थान की उपासना नियमित रूप से श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है । उनका विश्वास ग्रंथों पर आधारित है, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण पर, जिसको उन्होंने निर्दिष्ट किया :–

> "भगवान नारायण ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 15वें सर्ग के तृतीय छंद दोहे में स्वयं अवतार लेने के पूर्व इस स्थान को अपना जन्मस्थान मानते हुए उसके महत्व को साबित किया ।"

इस साक्षी ने अयोध्या महात्म्य के दसवें अध्याय को निर्दिष्ट करते हुए जन्मस्थान के महत्व का अवलंब लिया :–

> "अयोध्या की यात्रा का तरीका स्कंदपुराण, जो स्थलपुराण के नाम से प्रसिद्ध है, के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म्य के दसवें अध्याय में वर्णित किया गया है । जहां श्रीराम के जन्मस्थान का स्पष्ट रूप से निर्देश है और उसके महत्व के बारे में बताया गया है ।

उपरोक्त प्रसंग के संदर्भ में पुराणों में वर्णित स्थल आज भी अयोध्या में विद्यमान हैं । ऐसा इसलिए है चूंकि सनातन धर्म का प्रत्येक अनुयायी इन स्थानों के दर्शन करता है, वह विशेष रूप से अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि का दर्शन करता है, उसकी परिक्रमा करता है और उस स्थान की धूल अपने माथे पर धारण करता है और स्वयं को कृतार्थ महसूस करता है ।"

उसने पूर्वी मुख्य द्वार की दक्षिणी दीवार पर वाराह (सुअर भगवान) की छवि का उल्लेख किया । इस साक्षी ने अयोध्या में अन्य मंदिरों का भी वर्णन किया जहां उसने राम जन्मभूमि के अतिरिक्त अन्य मंदिरों में पूजा-अर्चना की थी । उसने अभिकथित किया कि वर्ष 1990 में पूर्ण ढांचा खड़ा था । वह इस ढांचे में पूर्वी द्वार से प्रवेश करता था और मुख्य द्वार पर लोहे की जाली के साथ एक दीवार थी । उसने राम चबूतरे के भी दर्शन किए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि श्रीरामचरितमानस में राम जन्भूमि मंदिर का निर्देश समाविष्ट नहीं है और न ही मंदिर के ध्वस्त किए जाने के पश्चात् किसी मस्जिद के निर्माण का विनिर्दिष्ट संदर्भ समाविष्ट है ।

इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के दौरान विवादित भवन में उस शिलालेख का वर्णन किया, जिसको 1960 के उत्तर प्रदेश गज़ेटियर में निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें फैज़ाबाद में एक स्थान पर एक ऐसे भवन के निर्माण का उल्लेख है, जहां देवदूत उतरते रहे होंगे । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि यह स्थल भगवान राम के अवतार के स्थान का द्योतक है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान शपथपूर्वक इस बाबत कथन किया कि क्या धर्मग्रंथों में भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में कोई उल्लेख है । इस साक्षी ने अभिकथित किया कि पुराणों में भगवान राम के किसी विशिष्ट जन्मस्थान का कोई उल्लेख नहीं है, सिवाय स्कंदपुराण में अयोध्या महात्म्य और वैभव खंड के । तथापि, उसने अभिकथित किया कि वह विवादित स्थल से किसी स्थान की दूरी नहीं बता सकता । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान राम चबूतरा पर की जा रही उपासना के लिए स्पष्टीकरण भी यह अभिकथित करते हुए प्रस्तुत किया कि वर्ष 1858 में मस्जिद के निकट एक बाहरी घेरे का निर्माण किया गया था, हिंदुओं को भीतर जाने की इजाजत नहीं थी,

जिसके परिणामस्वरूप वे बाहरी चबूतरे से पूजा अर्चना करते थे । इस साक्षी के अनुसार इस स्थिति में वर्ष 1949 में मस्जिद के भीतर मूर्तियों की स्थापना के पश्चात् परिवर्तन हो गया ।

554. सत्य नारायण त्रिपाठी (प्रतिवादी साक्षी 3/3) ने अभिकथित किया कि श्रीरामचरितमानस में 'रामचंद्र जी के जन्म के संबंध में किसी विशेष स्थान' का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु केवल अयोध्या के बारे में उल्लेख है । महंत रामजी दास (प्रतिवादी साक्षी 3/7) से प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रश्न किया गया कि क्या रामचरितमानस में भगवान राम के जन्मस्थान के बारे में कोई संदर्भ है । इस प्रश्न के उत्तर में साक्षी द्वारा दिए गए उत्तर को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "प्रश्न – क्या 'श्रीरामचरितमानस' के उत्तरकांड के उपरोक्त दोहा संख्या 71(ख) के पश्चात् तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं चौपाइयों में रामचंद्र जी की प्रशंसा का उल्लेख है और इन चौपाइयों में रामचंद्र जी के जन्मस्थान के बाबत कोई उल्लेख नहीं है ?
>
> उत्तर – उपरोक्त चौपाइयों में रामचंद्र जी के जन्मस्थान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, इन चौपाइयों में केवल रामचंद्र जी के जन्म लेने के बारे में उल्लेख है ।"

इस साक्षी ने अयोध्या महात्म्य का अवलंब लेते हुए सीताकूप के स्थान के संबंध में जन्मस्थान के संदर्भ का उल्लेख किया अर्थात् विवादित स्थल के निकट वाली दीवार । इस साक्षी के अनुसार :–

> "सीताकूप अग्निकोन में स्थित है और जन्मस्थान सीताकूप के पश्चिमी में स्थित है ।"

उसने स्पष्ट किया कि सीताकूप से जन्मस्थान की दूरी लगभग 200 कदम होगी । डा. राजीव धवन और जफरयाब जीलानी, दोनों ने हिंदुओं के इस दावे का प्रतिवाद किया कि विवादित ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे वाला स्थान भगवान राम के जन्मस्थान का द्योतक है । उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य का अवलंब जीलानी द्वारा यह निवेदन करते हुए लिया गया कि :–

"(i) धर्मग्रंथों में किसी ऐसे स्थान का संदर्भ समाविष्ट नहीं जिसको राम जन्मभूमि कहा गया हो;

(ii) धर्मग्रंथों में राम जन्मभूमि या जन्मस्थान मंदिर के बाबत कोई संदर्भ समाविष्ट नहीं है; और

(iii) इस बाबत कोई भी साक्ष्य अनुपस्थित है कि हिंदुओं द्वारा केंद्रीय गुंबद के नीचे वाले स्थान की उपासना भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में 1950 के पूर्व की जाती थी, जिससे यह संकल्पना गलत साबित हो जाती है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे वाले स्थान के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह स्थान भगवान राम के जन्मस्थान का द्योतक है ।"

555. हिंदू साक्षियों, जिनको पूर्व में संदर्भित किया गया है, ने केंद्रीय गुंबद के नीचे वाले स्थान के बाबत अपनी इस आस्था और विश्वास के कथन प्रस्तुत किए कि यह स्थान भगवान राम का जन्मस्थान है । इन साक्षियों ने अपने विश्वास के आधार को धर्मग्रंथों – अयोध्या महात्म्य, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के पाठ का निर्वचन करते हुए स्पष्ट भी किया है । इन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी भी आधार को साबित नहीं किया गया है, जिसके द्वारा न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि हिंदुओं की आस्था और विश्वास, जिसको इन साक्षियों द्वारा चित्रित किया गया, वास्तविक नहीं है या मात्र बहाना है । आस्था और विश्वास के मामले विश्वास करने वाले के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मामले होते हैं । यह ऐसे मामले होते हैं, जो आत्मा को संतुष्टि प्रदान करते हैं और इन मामलों की संवीक्षा नहीं की जा सकती । यह प्रश्न कि क्या कोई विश्वास न्यायसंगत है, न्यायिक जांच के क्षेत्र के परे होता है । यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें साक्षी के कथनों से यह उपदर्शित होता हो कि आस्था और विश्वास मात्र दिखावा है या इसको किसी मुकदमे में मात्र एक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है । यदि एक बार किसी साक्षी ने अपने विश्वास के आधार पर शपथपूर्वक कथन किया है और उसके कथन की सत्यता पर संदेह का कोई कारण नहीं है, तो न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके विश्वास के आधार पर शंका करे । धर्मग्रंथों के निर्वचन अनुमानों की बहुलता के कारण अत्यधिक

संवेदनशील होते हैं । न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह धर्मग्रंथों के निर्वचन का न्यायनिर्णयन करने के द्वारा इस क्षेत्र में दखल अंदाजी न करे और इनको परस्पर विरोधी निर्वचन, यदि कोई हो, की दशा में स्वीकार किया जाना चाहिए । आस्था व्यक्तिगत रूप से विश्वास करने वाले का मामला होता है । यदि एक बार न्यायालय के समक्ष इस बात को स्वीकार किए जाने के प्रयोजनार्थ तात्विक सामग्री उपलब्ध हो जाती है कि आस्था या विश्वास वास्तविक है और मात्र दिखावा नहीं है, तो उसको उपासक के विश्वास को आस्थगित करना चाहिए । हमको इस बात को मान्यता प्रदान करनी चाहिए कि यह विधिक स्थिति धर्मों, जिनमें हिंदुत्व और इस्लाम भी सम्मिलित है, से संबंधित संपूर्ण पाठ्यों पर लागू होती है । पंथनिरपेक्ष संविधान का महत्व समान आदर की परंपरा में निहित होता है ।

556. यह तथ्य कि आस्था और विश्वास के मामले भी अभिनिर्धारित किए जाते हैं, यद्यपि ये ऐसे मामले होते हैं जो किसी ऐसे वास्तविक स्थान, जहां उपासना अर्पित की जाती है, से सुभिन्न होते हैं । पश्चात्वर्ती मामले को निर्णीत करते हुए साक्ष्यिक अभिलेख का सतर्कतापूर्वक अधिमूल्यन किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में साक्ष्यिक सामग्री में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित भी समाविष्ट हैं :–

(i) यात्रा वृतांत;

(ii) गज़ेटियर;

(iii) इस विवाद की उत्पत्ति से संबंधित दस्तावेजी अभिलेख और वह प्रक्रिया, जिसका अनुगमन प्रश्नगत स्थल से संबंधित विवादों के दौरान किया गया; और

(iv) तीन गुंबदों वाले ढांचे के प्रयोग से संबंधित दस्तावेजी सामग्री ।

557. हमको मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए दोहरी कठिनाई, जिसका अनुभव उच्च न्यायालय द्वारा भी किया गया, का सामना करना पड़ेगा । इस कठिनाई का प्रथम पहलू इतिहास के 500 वर्षों से अधिक के कालखंड पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ दस्तावेजी साक्षियों की संवीक्षा से संबंधित है । उच्च न्यायालय ने

इतिहास को खंगालने में आने वाली कठिनाई को अभिव्यक्ति प्रदान की है :–

> "2672. भूमि के नीचे क्या दबा है ? इतिहास के 500 वर्षों से अधिक के कालखंड की अवधि से अंतर्वलित यह प्रश्न अत्यंत जटिलता से परिपूर्ण है । इतिहास की विभिन्न पुस्तकों के आधार पर भी कोई स्पष्ट परिदृश्य उपस्थित नहीं होता ... वास्तव में समसामयिक अभिलेख निश्चिततापूर्वक इन विवाद्यकों के उत्तर किसी भी प्रकार से नहीं देते किंतु लगभग 200 वर्षों अर्थात् 18वीं शताब्दी के पश्चात् लिखे गए कुछ अभिलेख मंदिर, उसके ध्वस्तीकरण और विवादित भवन के निर्माण की विद्यमानता के बारे में अभिकथित करते हैं, जबकि कुछ विख्यात इतिहासविद् इसका विरोध करते हैं और कुछ इतिहास की पुस्तकें इस विषय पर मौन हैं ।"

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अन्य भाग में (i) अयोध्या के धार्मिक महत्व; और (ii) वैष्णवों के लिए उसके महत्व पर बल दिया । उच्च न्यायालय ने इस निर्विवाद विश्वास कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, पर विचार करते हुए एक अन्य कठिनाई का सामना किया । यह कठिनाई भगवान राम के जन्मस्थान को साक्ष्यिक अभिलेखों में पहचाने गए स्थल, जैसाकि धर्मग्रंथों में भी उल्लिखित है, के साथ संबद्ध किए जाने के प्रयास से संबंधित है ।

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि धर्मग्रंथ अयोध्या में जन्मस्थान के रूप में किसी विशिष्ट स्थान की पहचान नहीं करते । हिंदू साक्षियों द्वारा विशिष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण और अयोध्या महात्म्य के आधार पर प्रस्तुत किए गए निर्वचन का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । उच्च न्यायालय का यह विचार था कि अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में 'विनिर्दिष्ट रूप से पहचाने गए' किसी स्थल की अनुपस्थिति में यह कठिन है कि इतिहास को खंगालते हुए किसी संक्षिप्त निर्णय पर पहुंचा जा सके और धार्मिक विश्वास को धरातल पर उपस्थित स्थिति के साथ संबद्ध किया जा सके । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा पारित निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण से यह स्थिति प्रकट होती है :–

"हमको अपने मस्तिष्क को अत्यधिक साहित्य इत्यादि में उलझाने के बजाय कतिपय पहलुओं, जो किसी भी आधार पर उद्भूत होते हों और जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, का सार निकालना चाहिए, जो हमको अधिसंभाव्य रूप से इस बाबत कुछ सुराग दे सकते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाए । अयोध्या की प्राचीनता के बाबत कोई विवाद नहीं है । यह भी विवादित नहीं है कि अयोध्या धर्म के प्रमुख स्थान के रूप में जाना जाता रहा है और मुख्यत: वैष्णवों अर्थात् भगवान राम के श्रद्धालुओं से संबंधित है । भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उन्होंने वहां पर शासन भी किया । धार्मिक ग्रंथ जैसेकि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और अन्य धर्मग्रंथ जैसेकि स्कंदपुराण इत्यादि में यह उल्लेख है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और यह उनका जन्मस्थान है, किंतु इन धर्मग्रंथों में अयोध्या में किसी विशिष्ट स्थान की पहचान नहीं की गई है, जिसके बाबत यह कहा जा सके कि यही उनका जन्मस्थान है । हमको एक तरफ तो एकदम निश्चित स्थान या स्थल के बारे में कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ, किंतु तत्समय हम युक्तिसंगत रूप से यह अवधारणा कर सकते हैं कि यदि इस बाबत कोई विवाद न हो कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो निश्चित रूप से अयोध्या में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए, जिसको उनके जन्मस्थान स्थल के रूप में वर्णित किया जा सके । यह सत्य है कि आज भी यदि कोई मात्र तीन या चार पीढ़ियों पीछे जाकर जन्मस्थान की खोज करना चाहे, तो यह दीर्घ अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आसान कार्य नहीं होता । इसलिए ... इस प्रकार के प्राचीन मामले में ऐसी जांच लगभग असंभव होती है । किंतु जब ऐसे किसी मामले में कोई विवाद उद्भूत होता है, तो हम साक्ष्य विधि, जैसाकि सिविल मामलों में लागू होता है, में सुस्थापित सिद्धांतों द्वारा मामले की जांच करते हैं । अर्थात् अधिसंभाव्यताओं की प्रधानता के आधार ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

558. वर्तमान मामले, जिसमें आस्था सुनी-सुनाई परंपराओं और

साथ ही लिखित पाठ्यों, जिनमें विश्वास धर्म और साथ ही महाकाव्यों में उद्भूत दंतकथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं, संगीत और त्यौहारों की खुशी, जो धर्म के मानने वालों की अंतर आत्मा पर औषधि लेप की भांति कार्य करते हैं, द्वारा पोषित होता है, में पाया जाता है और उनसे उद्भूत मामलों में किसी संतुलन या अधिसंभाव्यताओं की प्रधानता का परीक्षण लागू किए जाने में अनेक परिसीमाएं होती हैं । उच्च न्यायालय ने इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विचार व्यक्त किए हैं और अब यह आवश्यक है कि दस्तावेजी सामग्री के विभिन्न भागों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया जाए ।

559. हमारे समक्ष एक तरफ अबूफ़जल की 'आइन-ए-अकबरी' है और दूसरी तरफ कर्नल एच. एस. जेरेट्स का अंग्रेजी अनुवाद है, जो प्रथमत: वर्ष 1893-96 में प्रकाशित किया गया था । इस अनुवाद का द्वितीय संस्करण सुधार और आगे व्याख्या के पश्चात् सर जादुनाथ सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें भी 'आइन-ए-अकबरी' को निर्दिष्ट किया गया है :–

> "...जैसाकि साहित्यिक सम्मेलन द्वारा समान विषय पर हिंदू विचारों के साथ तुलनात्क अध्ययन के लिए अपेक्षित है, हिंदुओं के धर्म, दर्शन और विज्ञान का विश्वकोश (Encyclopedia), जो मुस्लिमों के कालक्रम और ब्रह्मांड विज्ञान के पहले का है ।"

जेरेट ने तारीख 17 मई, 1894 को लिखित अपने संपादकीय परिचय में सम्मिलित किए गए विषयों की श्रेणी और विविधता को संदर्भित किया है :–

> "इसके विषयों (जैसेकि आइन-ए-अकबरी) की श्रेणी और विविधता और अथक प्रयत्न, जिसके द्वारा इन विषयों से संबंधित सामग्री को अपरिचित भाषा के बावजूद सूचना के अनेक विषयों से लेकर सूक्ष्मतम विवरण तक, गूढ़ विज्ञान के उपचार, सूक्ष्म दार्शनिक समस्याओं और भिन्न जाति और पंथ के रीति-रिवाजों को संगृहीत किया गया और उनका क्रमबंधन किया गया और यह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से विद्वतापूर्ण और धैर्यपूर्ण परिश्रम के एक स्थायी स्मारक के रूप में खड़ा रहेगा ...

यद्यपि इससे भी अधिक अपेक्षित है, किंतु फिर भी उनके द्वारा किया गया विस्तारपूर्वक और प्रशंसनीय सर्वेक्षण आज भी अधिकतम प्रशंसा का पात्र है ।"

आइन-ए-अकबरी का एक अन्य भाग है, जिसका शीर्षक है – रामावतार या राम-अवतार, जिसमें यह अभिकथित है :–

"वे तद्नुसार त्रेता युग में राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या नगर में चैत्र (मार्च-अप्रैल) माह के शुक्लपक्ष में जन्मे थे ।"

एक अन्य भाग जिसका शीर्षक है 'अवध की सुबह' में अवध का संदर्भ है, जो इस प्रकार है :–

"अवध (अजोध्या) भारत के विशालतम नगरों में से एक है । यह 118 डिग्री के देशांतर में स्थित और इस अक्षांश 27 डिग्री, 22 है । प्राचीन समय में इसकी आबादी स्थल की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 36 कोस थी और ऐसा अनुमान है कि यह पुरातनता पवित्रतम स्थानों में से एक था । इस नगर के लोग नगर के चारों तरफ मिट्टी को छानकर सोना प्राप्त करते थे । यह रामचंद्र जी का निवास था, जो त्रेता युग में अपने व्यक्तित्व में आध्यात्मिक पराकाष्ठा और राजसीय पद, दोनों धारण करते थे ।"

इस पुस्तक के पाद टिप्पण में भगवान राम का संदर्भ है :–

"सातवें अवतार, जो सूर्यवंश की इस राजधानी में ब्रह्मा के रथ के पहिए पर पाए जाते हैं, जो सूर्यवंश के राजकुमारों की 60 पीढ़ियों के वैभव से परिपूर्ण है और राम के रूप में अवतरित हुए विख्यात महाकाव्य, जो उनके नाम पर है, के नायक हैं ।"

जीलानी ने इस बात पर जोर दिया कि उपरोक्त उद्धरण में राम जन्मभूमि के द्योतक के रूप में किसी मंदिर की विद्यमानता का कोई विनिर्दिष्ट निर्देश नहीं है । तथापि, अयोध्या भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में निर्दिष्ट है । ऐसे नकारात्मक अनुमानों के बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता, जिनके आधार पर किसी पुस्तक में कुछ समाविष्ट न हो । किसी मंदिर के निर्देश की अनुपस्थिति

मंदिर की अनुपस्थिति का साक्ष्य नहीं हो सकती । इसी प्रकार से उपरोक्त उद्धरण में किसी मस्जिद का निर्देश भी अनुपस्थित है ।

यात्रावृत्तांत गज़ेटियर और पुस्तकें

560. वाद 5 में वादी की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने विभिन्न यात्रियों (के यात्रावृत्तांतों) और गज़ेटियरों का अवलंब अयोध्या और हिंदुओं के लिए विवादित स्थल से जुड़े हुए धार्मिक महत्व को प्रकाश में लाने के प्रयोजनार्थ लिया;

प्रदर्शनी 19 – वाद संख्या 5 : विलियम फोस्टर* ने 'अर्ली ट्रेवेल्स इन इंडिया (1583-1619)' नामक शीर्षक वाली एक पुस्तक का संपादन किया था जिसमें सात अंग्रेजों, जिन्होंने अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान उत्तरी और पश्चिमी भारत की यात्राएं की थीं, का वर्णन समाविष्ट है । ये यात्री निम्नलिखित हैं :–

> "राल्फ फिच (1583-91); जॉन मिल्डेनहॉल (1599-1606); विलियम हॉकिन्स (1608-13); विलियम फिंच (1608-11); निकोलस विथिंगटन (1612-16); थॉमस कोरियात (1612-17) और एडवर्ड टेरी (1616-19)"

इन सभी यात्रियों में से विलयम फिंच अगस्त, 1608 में भारत के सूरत में कैप्टन हॉकिन्स के साथ पहुंचे थे । हिंदू पक्षों के अनुसार विलयम फिंच, जिसने 1608-11 के मध्य अयोध्या की यात्रा की थी, के यात्रावृत्तांत का महत्व यह है कि उसको इस्लामिक काल के महत्व वाला कोई भवन अयोध्या में नहीं मिला था । उसके यात्रावृत्तांत में विलियम फिंच की अयोध्या यात्रा भी निदेशित है :–

> "यहां से अउदे (अजोध्या) 50 मील की दूरी पर है; प्राचीन महत्व का एक नगर और पोटन शासक का साम्राज्य, जो वर्तमान में अत्यधिक जीर्णशीर्ण अवस्था में है; यहां पर 400 वर्ष पूर्व का महल है । यहां पर रानीचंद का महल और मकानों के खंडहर भी हैं, जिनके बारे में भारतीय स्वीकार करते हैं कि वे महान ईश्वर के लिए है और वे कहते हैं कि ईश्वर ने यहां के लोगों को संसार का

* विलियम फोस्टर 'अर्ली ट्रेवेल्स इन इंडिया (1583-1619)' लंदन (1921) पृ. 176.

तमाशा देखने के लिए जन्म दिया । इन खंडहरों में कुछ ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनके पास ऐसे सभी भारतीयों के नाम अभिलिखित हैं, जो निकट में प्रवाहित हो रही नदी में स्नान करते हैं; वे जिन प्रथाओं का पालन करते हैं वे चार लाख वर्ष पुरानी है (वे संसार के सृजन के पूर्व के तीन सौ, चौरानवे हजार और पांच सौ वर्ष की है) । नदी के उस पार लगभग दो मील की दूरी पर एक गुफा है, जिसका सकरा रास्ता है, किंतु वह गुफा भीतर से अत्यधिक उत्तम आकृति की है और उसमें कई घुमावदार मार्ग हैं और यह मार्ग ऐसे हैं, जिनमें कोई व्यक्ति भटक भी सकता है, यदि उसके साथ कोई मार्गदर्शक न हो; यह वह स्थान है, जिसके बारे में कोई भी यह विचार कर सकता है कि उसकी अस्थियां यहां पर भूमि के नीचे दबाई गई होंगी । यह स्थान भारत के सभी भागों के लोगों के लिए विश्राम स्थल है, जो यहां पर यादगार के रूप में कतिपय मात्रा में चावल के कुछ दाने लाते हैं, जो इतने काले होते हैं कि जैसे कि बारूद, जिनके बारे में वे कहते हैं कि इन चावल के दानों को अत्यधिक प्राचीनकाल से संभाल कर रखा गया है । उपरोक्त महल के खंडहरों में से सोना निकालने का बहुत प्रयास किया गया । यहां पर अत्यधिक व्यापार होता है और यहां पर भारतीय गधे के सींग बहुतायात में है, जिनसे ढाल और पीने के विभिन्न प्रकार के कप बनाए जाते हैं । कुछ सींग ऐसे हैं, जिनके बारे में भारतीय इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान है, जिनकी तुलना किसी जेवरात से भी नहीं की जा सकती, जिनमें से कुछ लोग इन सींगों को गेंडे का सींग मानते हैं ।"

'रानीचंद्र के महल के खंडहर और मकान' अभिव्यक्ति के साथ एक पाद टिप्पण है, जिसमें यह अभिकथित किया गया है :–

"रामायण के महानायक रामचंद्र । यह निदेश उस टीले के बाबत है, जिसे रामकोट या राम के किले के नाम से जाना जाता है ।"

561. **प्रदर्श 133 – वाद संख्या 5** – जोसेफ टिफेनथेलर ने लैटिन भाषा में अपने यात्रावृत्तांत अपनी एक पुस्तक, जिसका शीर्षक

'डिस्क्रिप्सन हिस्टोरिक्वीट जियोग्रेफिक डेल इंडे' है में लिखे हैं । टिफेनथेलर, जो एक जेस्यूट मिशनरी थे, अरबी, परसीयन और संस्कृत में कथित तौर पर प्रवीण थे और वे वर्ष 1740 में भारत आए थे । उनकी यात्राएं वर्ष 1743-1785* के मध्य की हैं । अयोध्या की उनकी यात्रा को एक पाठ में वर्णित किया गया है, जो फ्रेंच में पाठ्यक्रम के परीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया गया था । इस पाठ का अंग्रेजी अनुवाद उच्च न्यायालय के मतावलंबन में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था । टिफेनथेलर का यात्रावृत्तांत इस प्रकार है :–

> "अवध, जिसे शिक्षित हिंदुओं द्वारा अदजुदिया कहा जाता है, अत्यधिक प्राचीन नगर है । इसके मकान 'अधिकांशत: केवल मिट्टी के बने हुए हैं, जिनको ऊपर से फूस और खपड़ों द्वारा आच्छादित किया जाता है । तथापि, उनमें से अधिकांश ईंटों के भी बने हुए हैं । मुख्य सड़क दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है और इसकी लंबाई लगभग एक मील है । (नगर की) चौड़ाई कुछ कम है । इसकी पश्चिमी दिशा और साथ ही उत्तरी दिशा मिट्टी की एक पहाड़ी पर स्थित है । उत्तरी-पश्चिमी दिशा टीले पर स्थित हैं । बंगले की तरफ यह नगर जुड़ा हुआ है ।
>
> आज, इस शहर में बहुत कम जनसंख्या है, चूंकि फाउंडेशन बंगला या फैज़ाबाद (1) – एक नया नगर जहां गवर्नर ने अपना निवास स्थापित किया – और जिसमें (अवध के निवासियों की) बड़ी संख्या में निवास करती है (देवा के) उत्तरी किनारे पर अनेक भवन पाए जाते हैं, जो पूर्व से पश्चिमी दिशा में विस्तारित हैं और जिनका निर्माण राम की स्मृति में धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा कराया गया ।
>
> सबसे उल्लेखनीय स्थान वह स्थान है, जिसको (2) स्वर्गादावरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है – दिव्य मंदिर । यहां के लोगों का कहना है कि राम शहर के समस्त निवासियों को अपने साथ इसी स्थान से स्वर्ग ले गए थे – यह मंदिर किसी सीमा तक

---

* जोस के. जॉन, द मैपिंग आफ हिंदुस्तान : भारत के भूले-बिसरे भूगोलशास्त्री, जोसेफ टिफेनथेलर (1710-1785), इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की कार्यवाहियां खंड 58 (1997) पृ. 400-410.

भगवान के आरोहण की सादृश्यता/समानता पर आधारित है । तत्पश्चात् नगर वीरान हो गया और पुन: बसा और इस नगर को आउद के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य द्वारा इसका पूर्ववर्ती गौरव वापस प्रदान किया गया (आउध) [आउदजेन] (3) यहां पर एक मंदिर था, जिसका निर्माण नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर किया गया था । किंतु औरंगजेब, जो मोहम्म्द के पंथ के प्रचार-प्रसार का सदैव इच्छुक रहता था और दूसरे धर्मों के लोगों से घृणा करता था, ने हिंदू अंधविश्वास के वास्तविक अनुस्मरणों सहित समस्त प्रतीक चिह्नों को मिटाने के इरादे से इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया और इस मंदिर को मस्जिद और दो शिलास्तंभों द्वारा प्रतिस्थापित करा दिया । अन्य मस्जिद जिसका निर्माण गुलामों द्वारा कराया गया, वह इसी भवन से सटा हुआ है और पूर्व दिशा में स्थित है । स्वर्गद्वार के निकट एक भवन है, जिसका निर्माण नवेराय नामक एक हिंदू व्यक्ति, जो पूर्व में इस क्षेत्र (ए) का गवर्नर (कर्ताधर्ता) था, द्वारा लंबाई वाले रास्ते में कराया गया था । किंतु एक स्थान, जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है और जिसे सीता रसोई कहा जाता है अर्थात् सीता, जो राम की पत्नी थी, का अन्न नगर के दक्षिण से सटा हुआ है और एक मिट्टी के टीले पर स्थित है ।

सम्राट औरंगजेब ने रामकोट नामक किले को ध्वस्त करा दिया था और उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसमें तीन गुंबद थे । अनेक लोगों का कहना है कि यह निर्माण बाबर द्वारा कराया गया था । चौदह काले पत्थर के पांच फुट चार इंच की ऊंचाई वाले स्तंभ, जो किले के स्थल पर विद्यमान थे, वहां पर देखे जा सकते हैं । वर्तमान में इन स्तंभों में से बारह स्तंभ मस्जिद की भीतरी महराबदार छत को सहारा देते हैं । (इन बारह स्तंभों में से) दो स्तंभ भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित है । दो अन्य स्तंभ किसी 'गुलाम' के मकबरे के भाग हैं । यह वर्णित किया गया है कि कुशलतापूर्वक निर्मित ये स्तंभ या इन स्तंभों के अवशेष लंका या सेलेनदीप (जिसको यूरोपीयन द्वारा सीयन कहा जाता था) नामक द्वीप से हनुमान जी, जो बंदरों के राजा थे, द्वारा लाए गए थे ।

इस भवन के बाएं एक वृत्ताकार बक्सा स्थित है, जिसको जमीन से पांच इंच की ऊंचाई पर निर्मित किया गया है, जिसके किनारे चूने के द्वारा निर्मित हैं और जिसकी लंबाई पांच एल्स (पांच) से अधिक है और अधिकतम चौडाई लगभग चार एल्स है । हिंदू इसको बेदी अर्थात् 'पालना' कहते हैं । इसका कारण यह है कि एक समय की बात है, एक मकान था, जहां बेसचन का जन्म राम के स्वरूप में हुआ था । यह कहा जाता है कि उनके तीन भाइयों का जन्म भी यहीं पर हुआ था । तत्पश्चात् अन्य लोगों के अनुसार औरंगजेब या बाबर ने ऋषि-मुनियों को उनकी प्रथाओं का पालन करने से रोकने के लिए इस स्थान को ध्वस्त करा दिया था । तथापि, अन्य स्थानों पर कुछ प्रथाएं आज भी विद्यमान हैं । उदाहरण के लिए वे उस स्थान, जहां राम का मूल निवास स्थान विद्यमान था, की तीन बार परिक्रमा करते हैं और फर्श पर दंडवत करते हैं । ये दोनों स्थल कम ऊंचाई वाली दीवारों से घिरे हुए हैं । सामने स्थित मंडप में प्रवेश करने के लिए कम ऊंचाई वाले अर्द्ध गोलाकार द्वार से प्रवेश करना पडता है ।

इस स्थान से कुछ दूरी पर वह स्थान है जहां काले चावल के दाने खोदकर निकाले जाते हैं और उनको जलाए जाने पर वे छोटे-छोटे पत्थर बन जाते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे जमीन की भूमि के नीचे राम के काल में छिपाए गए थे । ज्येष्ठ माह की तारीख 24 को यहां पर लोगों का भारी जमाव राम के जन्मदिवस का उत्सव मनाए जाने के लिए एकत्रित होता है, जो संपूर्ण देश में विख्यात है । यह विशाल नगर बंगला से एक मील की दूरी पर पूर्व उत्तर-पूर्व की दिशा में इस प्रकार से स्थित है कि इसका अक्षांश बंगला के अक्षांश से लगभग एक मिनट अधिक होगा ।

नदी के ऊंचे किनारे पर स्थित वर्गाकार स्वरूप में निर्मित किला गोल और कम ऊंचाई वाली मीनारों से सुसज्जित है । दीवारों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है । यह किला निवास योग्य नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है । पूर्व में यहां पर प्रांत के गवर्नर का निवास था । सादत खान को यहां पर निवास के दौरान बुरा स्वप्न आया था, जिससे भयभीत होकर उसने अपना निवास

स्थान बंगला को स्थानातरित कर दिया था । आज यह किला शीर्ष से निम्न स्तर तक नष्ट हो चुका है ।

दो मील के क्षेत्र में, वह स्थान, जहां तोपें लगाई गई हैं, से 'आउद' तक, गागरा (गंगा) पूर्व की ओर अपना मार्ग लेती है और दोहरा मोड़ बनाती है । एक मोड़ नगर की पश्चिम दिशा के निकट है और दूसरा, जो यहां से कुछ दूरी पर है, पश्चिम की दिशा में स्थित है और वहां से उत्तर-पूर्व और ¼ पूर्व की ओर मुड़ते हुए पश्चिम में नगर को स्पर्श करती है; जिसके पश्चात् यह उत्तरी दिशा के निकट पूर्व की तरफ लौटती है । किंतु यह लगभग प्रत्येक वर्ष अपना बहाव बदलती रही है । इसकी नदी भूमि (चौड़ाई में) समतल है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे बेवरिया में इनगोल्डस्टैंड की गढ़ी के निकट डेन्यूब नदी, किंतु पानी की मात्रा कम है । वर्षा ऋतु में यह चौड़ाई में कुछ इस प्रकार से बढ़ जाती है कि कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई डेढ़ मील से भी अधिक हो जाती है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

विभिन्न हिंदू पक्षों द्वारा टिफेनथैलर द्वारा लिखित वृत्तांत का अवलंब लिया गया, चूंकि इसमें निम्नलिखित लक्षणों पर जोर दिया गया :–

(i) इसमें हिंदुओं के इस विश्वास का संदर्भ समाविष्ट है कि भगवान राम मनुष्य के रूप में विष्णु के अवतार थे (जिनको इस वृत्तांत में बेसचन के रूप में वर्णित किया गया है) । इस पुस्तक में हिंदुओं के इस विश्वास का उल्लेख है कि भगवान राम का जन्म जिस स्थल पर हुआ था, उसका प्रतीक 'बेदी' या 'पालना' है;

(ii) यह वृत्तांत भगवान राम में हिंदुओं की आस्था का उल्लेख करते हुए उपासना के अन्य सहबद्ध स्थानों को भी निदेशित करता है, जिनमें 'स्वर्गादावरी' (स्वर्ग द्वार) और 'सीता रसोई' (सीता की रसोई) सम्मिलित है;

(iii) इस वृत्तांत में औरंगजेब द्वारा 'एक किले, जिसे रामकोट कहा जाता था' के अभिकथित रूप से ध्वस्तीकरण और उसी स्थान पर तीन गुंबदों वाली एक मस्जिद के निर्माण, का निदेश समाविष्ट

है । तथापि, टिफेनथेलर ने यह भी अभिकथित किया कि कुछ लोगों के अनुसार मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा कराया गया था;

(iv) टिफेनथेलर के वृत्तांत में 14 काले पत्थर के स्तंभों, जो तत्कालीन किले के स्थल पर विद्यमान थे, का निदेश समाविष्ट है । इन स्तंभों में से 12 स्तंभ अभिकथित रूप से मस्जिद के भीतरी मेहराब को सहारा देते थे । दो स्तंभों के बारे में अभिकथित है कि वे मठ के प्रवेश पर स्थित थे;

(v) उन्होंने एक वर्गाकार संदूक को वर्णित किया है, जो भूमि से पांच इंच ऊपर निर्मित किया गया था और जो हिंदुओं के अनुसार (भगवान राम के जन्म का द्योतक) पालना है;

(vi) इस वृत्तांत में उल्लेख है कि (औरंगजेब या बाबर द्वारा) अभिकथित रूप से ध्वस्तीकरण के बावजूद 'कुछ स्थानों पर कुछ अनुष्ठान आज भी संपन्न किए जाते हैं', जिनके द्वारा आज भी स्थल पर उपासना की जाती है । इसका अभिकथित रूप से एक उदाहरण वह स्थान है, जिसके बाबत यह धारणा की जाती है कि वह भगवान राम का 'मूल निवास' है और जिसके चारों तरफ हिंदू तीन बार परिक्रमा करते हैं और फर्श पर दंडवत प्रणाम करते हैं; और

(vii) इस वृत्तांत में भगवान राम के जन्मदिवस का उत्सव मनाए जाने के प्रयोजनार्थ बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने का संदर्भ भी समाविष्ट है ।

टिफेनथेलर ने वर्ष 1740 के पश्चात् अयोध्या की यात्राएं की थीं, जो औरंगजेब की मृत्यु के लगभग तीन दशकों से कुछ अधिक समय के पश्चात् का कालखंड था । उनके वृत्तांतों में हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था और अभिकथित ध्वंस का निदेश समाविष्ट है और उनके विचार में यह ध्वंस और उसी स्थान, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह भगवान राम का जन्मस्थान है, पर मस्जिद का निर्माण अधिसंभाव्य रूप से औरंगजेब के हाथों ही हुआ था । उनके वृत्तांत में मस्जिद के ढांचे में काले पत्थर के अनेक स्तंभों के प्रयोग का उल्लेख है ।

562. **प्रदर्श 20 – वाद संख्या 5** – रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन ने तीन खंडों में 'पूर्वी भारत का इतिहास, पुरावशेष, स्थलाकृति और सांख्यिकी' नामक आत्मकथा लिखी है । मार्टिन का जन्म 1801 में डबलिन में हुआ था, वे एक एंग्लो-आयरिस लेखक और सिविल सेवक थे[1] । उन्होंने कलकत्ता, जहां उन्होंने 'बंगाल हेराल्ड' नामक समाचार-पत्र की स्थापना की, में पत्रकार के रूप में कार्यरत रहने के अतिरिक्त शिलांग, पूर्वी अफ्रीका और न्यू साउथ वेल्स नामक स्थानों पर चिकित्सा व्यवसायी के रूप में कार्य करते हुए दस वर्ष व्यतीत किए थे ।[2]

अयोध्या पर मार्टिन का विस्तार इस प्रकार है :–

> "अयोध्या के लोगों की यह कल्पना है कि व्रिहदबाला की मृत्यु के पश्चात् उनका नगर वीरान हो गया था और उज्जैन के विक्रम, जो पवित्र नगर की खोज में यहां पर आए थे, के काल तक वीरान पड़ा रहा, उन्होंने रामगढ़ नामक किले का निर्माण किया, जंगलों को काटा और जिस कारणवश खंडहर अनावृत्त हुए और राम, उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और सेनापति महावीर के असाधारण कार्यों द्वारा पवित्र स्थानों पर 360 मंदिरों का निर्माण किया । अधिसंभाव्य रूप से इस परंपरा का एकमात्र आधार यह रहा होगा कि विक्रम ने कुछ मंदिरों का निर्माण किया था और महाभारत काल में भी उनका वंश उसी प्रकार से अस्तित्व में था, जैसेकि व्रिहदबाला, जो पुस्तक के विषय के प्रयोजनार्थ अनभिज्ञ था, का वंश; किंतु श्री भागवत के अनुसार व्रिहदबाला के उत्तराधिकारी 29 राजकुमार हुए और बंगसलाता में 24 राजकुमारों का वर्णन है । इनकी गणना वाल्मीकि और श्री भागवत में राम के पूर्वजों की श्रेणी के अनुसार किए जाने पर 18 राजकुमार होगी इस आधार पर हमको 279 या 558 वर्ष प्राप्त होंगे, तद्नुसार चूंकि हम इन उत्तराधिकारियों को शासनकाल या पीढ़ियों के नाम से पुकारते हैं, इसलिए परिवार की विद्यमानता को लगभग एलेक्जेंडर के कालखंड तक ले आते हैं; किंतु पश्चात्वर्ती कोई भी राजकुमार उल्लेखनीय

---

[1] रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन (आत्मकथा) – ब्रिटिश संग्रहालय ।

[2] एफ. एच. एच. किंग, सर्वे अवर एम्पायर ! रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन (1801-1868), जैव ग्रंथ सूची (1979) ।

शक्ति नहीं प्राप्त कर सके और वे मगध के राजाओं के जागीरदार बन गए । तथापि, विक्रम से संबंधित संपूर्ण वृत्तांत पर उनकी विद्यमानता के बाबत गहरा संदेह है ।

विक्रम को आमतौर पर श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, जिनके नाम से संवत के नाम से पुकारा जाने वाला कालखंड व्युत्पन्न हुआ और कोसाला के अनुसार यह कालखंड ईशा के जन्म के 57 वर्षों पूर्व आरंभ होता है और इसी कारणवश नगर लगभग 280 वर्ष पूर्व विराम हो गया था । ईश्वरीय कार्यों के लिए उल्लेखनीय स्थान इतने लंबे अंतराल के पश्चात् कैसे खोजे जा सकते हैं और वह भी वनों के मध्य, यह संदेहपूर्ण प्रतीत होता है; और संदेह तब और बढ़ जाता है, जब हम यह धारणा करते हैं कि बाद में विक्रम, जो सम्राट भोज के दामाद थे, ने अयोध्या में मंदिरों का निर्माण कराया । मैं यह समझ सकता हूं कि इस मामले में अधिसंभाव्य रूप से राम की उपासना अग्रज विक्रम के समय के पूर्व से की जाती रही होगी, फिर भी उनकी उपासना के बारे में यह प्रतीत होता है कि उसको रामानुज द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया, जो पश्चात्कथित विक्रम, जो अपने संप्रदाय के देवताओं के निशान खोजने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थे, के कालखंड के बाबत धर्मांध लोगों के एक विलक्षण वर्ग को विभेदित करने वाली उपासना थी । यदि यह मंदिर कभी विद्यमान थे, तो दुर्भाग्य से उनका छोटा सा भाग भी शेष नहीं बचा, जो हमको उस अवधि, जब उनका निर्माण किया गया, के अवशेषों के बाबत निर्णय कर पाने के समर्थ बना सकता; और हिंदुओं द्वारा ध्वंस के लिए अत्यंत सामान्य रूप से औरंगजेब, जिस पर बनारस और मथुरा के मंदिरों को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया गया है, के उग्रवाद से भरे हुए उत्साह को जिम्मेदार ठहराया जाता है ।"

मार्टिन के वृत्तांत में मस्जिद की दीवार पर स्थापित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसकी एक प्रति उसको उपलब्ध कराई गई थी, के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा किया गया था । उसमें (प्रति में) अयोध्या में स्थित मस्जिद के बारे में वर्णन किया कि यह मस्जिद 'हर प्रकार से अत्यधिक

आधुनिक दिखावट वाली है' । इस प्रति में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के उपासना के स्थानों को अभिकथित रूप से ध्वस्त किए जाने का भी उल्लेख है । मार्टिन ने मस्जिद में काले पत्थर द्वारा स्तंभों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है । इस वृत्तांत में यह उल्लेख किया गया है कि यह सभी वर्णन एक हिंदू भवन से लिए गए हैं, जिसके बारे में उसका अनुमान है कि यह वर्णन कुछ स्तंभों पर दृश्यमान आकृतियों के उत्कीर्णन से संबंधित हो सकते हैं, यद्यपि 'इन आकृतियों को धर्मांध लोगों के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बिगाड़ दिया गया है' । मार्टिन के विचार में इस बात की संभाव्यता है कि अवशेष उसी स्थान पर पड़े हैं, जहां पर उनसे संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुईं । उसके विचार में संपूर्ण वृत्तांत ऐतिहासिक न होकर अत्यधिक धार्मिक और पौराणिक महत्व के हैं । इन स्थानों पर उपासना महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण बिंदु बन जाती है और उनके बारे में हिंदुओं द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि वे वहां पर घटित हुई थीं ।

563. **प्रदर्श 5 – वाद संख्या 5** – एडवर्ड थोर्नटन का गज़ेटियर, जिसका शीर्षक है 'गज़ेटियर ऑफ द टेरिटरीज़ अन्डर द गर्वनमेंट आफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नेटिव स्टेट ऑन द कंटिनेंट आफ इंडिया[*]' सर्वप्रथम वर्ष 1958 में प्रकाशित हुआ । थोर्नटन के गज़ेटियर में 'हनुमानगढ़ या हनुमान का किला नामक व्यापक स्थापन' का संदर्भ समाविष्ट है, जिसके लिए पूर्ववर्ती नवायूब वजीर शुजा-उद-दौला द्वारा पचास हजार का वार्षिक राजस्व स्थिरीकृत किया गया था । अभिकथित रूप से इस राजस्व को 500 बैरागियों या धार्मिक संन्यासियों और विभिन्न वर्णनों के हिंदू भिक्षुकों के मध्य वितरित किया जाता था, किंतु इस किले की दीवार के भीतर 'किसी मुसलमान को जाने की अनुज्ञा नहीं थी' । थोर्नटन का गज़ेटियर में 'बड़ी मात्रा में अवशेषों का निदेश है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अवशेष राम के किले के हैं :–

> "पूर्व दिशा में नगर के निकट और घाघरा नदी के दाहिने किनारे पर बड़ी मात्रा में अवशेष विद्यमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह अवशेष रामायण के नायक आउद के राजा राम के

---

[*] एडवर्ड थोर्नटन, 1799-1875 : ए गज़ेटियर ऑफ द टेरिटरीज़ अन्डर द गवर्नमेंट आफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑफ द नेटिव स्टेट आफ इंडिया, लंदन : डब्ल्यू. एच. एलेन (1854) ।

किले के हैं और जो अन्यथा रूप से भी भारत के पौराणिक और प्रेम-प्रसंग वाली किंवदंतियों में अत्यधिक विख्यात हैं । बूचानन ने कहा है, 'यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि नदी द्वारा बहुत कुछ बहाव के साथ लाया गया, फिर भी ईंटों के ढेर बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, यह क्षेत्र लंबाई में एक किलोमीटर और चौड़ाई में आधे मील से अधिक का होगा ; और यद्यपि बड़ी मात्रा में सामग्री को मोहम्मदन अयोध्या या फैज़ाबाद के निर्माण के प्रयोजनार्थ हटा दिया गया, फिर भी अनेक भागों में अवशेषों के ऊंचे ढ़ेर लगे हुए हैं और इस बात पर संदेह का कोई कारण नहीं कि यह अवशेष जिस ढांचे से संबंधित हैं वह अत्यंत विशाल रहा होगा, जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि वह ढांचा दो हजार वर्ष पहले ढह गया होगा । इन अवशेषों पर आज भी रामगढ़ या 'राम का किला' अंकित है; 'सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थान वह है, जिसके बारे में ऋषि-मुनियों का कहना है कि वहां से राम ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था और इस नगर के सभी लोगों को भी साथ ले गए थे' । जिसके परिणामस्वरूप यह नगर लगभग आधी शताब्दी तक ईसाई युग के आगमन के पूर्व तक वीरान पड़ा रहा और तब इस नगर को 360 मंदिरों द्वारा अलंकृत किया गया । तथापि, अब इन मंदिरों के लघुतम अवशेष भी शेष नहीं है; स्थानीय लोगों के अनुसार इन मंदिरों को औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था जिसने इस स्थल के एक भाग पर मस्जिद का निर्माण कराया । तथापि, इस परंपरा का झूठ मस्जिद की दीवार पर स्थापित शिलालेख, जिसके द्वारा इस कार्य के लिए सम्राट बाबर, जिसके वंश का औरंगजेब पांचवां शासक था, को जिम्मेदार ठहराया गया, द्वारा साबित हो जाता है । मस्जिद केवल पांच से छह फीट की ऊंचाई वाले स्तंभों की चौदह कतारों, किंतु अत्यंत विस्तृत और रुचिपूर्वक की गई कारीगरी द्वारा अलंकृत है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह कारीगरी हिंदू भवनों के अवशेषों की नकल है...।

एक पत्थर का चतुष्कोणीय संदूक, जिसके ऊपर सफेद रंग का लेप चढ़ा हुआ है, जिसकी लंबाई पांच एल्स और चौड़ाई चार एल्स है और जो भूमि के पांच या छह इंच ऊपर उभरा हुआ है और

> जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वह पालना है, जिसमें राम, जो विष्णु के सातवें अवतार थे... का पता चला; और तद्नुसार इसको तीर्थ यात्रियों और हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा बहुतायत से सम्मानित किया गया । अयोध्या या आउध को हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्राचीन नगरों का सर्वोत्तम प्रमाण माना जाता है ।"
>
> (अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

इस वृत्तांत में यह उल्लेख है कि प्राचीन मंदिरों का कोई भी अवशेष शेष नहीं रहा । इस गज़ेटियर में 'मस्जिद की दीवार पर स्थापित शिलालेख' का अवलंब लिया गया, ताकि इसके निर्माण का श्रेय बाबर को दिया जा सके और साथ ही यह उल्लेख किया गया है कि 'स्थानीय लोगों' ने मंदिरों के ध्वंस और मस्जिद के निर्माण का श्रेय औरंगजेब को दिया और गज़ेटियर में बुचमैन के विचार का अवलंब लिया गया ।

564. **प्रदर्श 123 - वाद संख्या 5** – सर्जन जनरल एडवर्ड बालफोर ने 'साइक्लोपीडिया आफ इंडिया एंड आफ ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया, कामर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक – प्रोड्क्ट्स आफ द मिनरल, वेजिटेबल एंड एनीमल किंगडम्स, यूजफुल आर्ट्स एंड मैनुफेक्चरर्स'[#] में लिखा है, जिसमें अयोध्या को निर्दिष्ट किया गया है :–

> "अयोध्या, घाघरा नदी के दाहिने किनारे पर, अवध में फैज़ाबाद के निकट, 26 डिग्री 48' 20'' के देशांतर और 80 डिग्री 24' 40'' पूर्व के अक्षांश पर स्थित है । वर्तमान में इसकी जनसंख्या में 7518 हिंदू और मुसलमान हैं, किंतु प्राचीन काल में यह आधुनिक अवध के कोसाला राजवंश की राजधानी थी, जिस पर सूर्यवंश के महान राजा दशरथ, जो रामचंद्र के पिता थे, द्वारा शासन किया जाता था । एक समय ऐसा भी था जब यह कहा जाता था कि यह नगर बारह योजन अर्थात् छियानवे मील के क्षेत्र में फैला हुआ है । बौद्ध प्रभुत्व के दौरान अयोध्या का पतन हुआ

[#] सर्जन जनरल एडवर्ड बालफोर, साइक्लोपीडिया आफ इंडिया एंड आफ ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया, कामर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक – प्रोड्क्ट्स आफ द मिनरल, वेजिटेबल एंड एनीमल किंगडम्स, यूजफुल आर्ट्स एंड मैनुफेक्चरर्स, तृतीय संस्करण, लंदन – बर्नाड क्वारिच, 15 पिक्केडिली 1885.

किंतु ब्राह्मणत्व के पुनर्जीवित होने के साथ ही राजा विक्रमादित्य (ईशा पूर्व 57) द्वारा इस नगर का पुनर्स्थापन किया गया । इस नगर में हिंदू पूजा स्थलों पर अनेक जैन मंदिर और तीन मस्जिदें हैं, यहां पर स्वर्ग द्वार (मंदिर) स्थित है, जहां पर उनका दाह संस्कार किया गया था और त्रेता का ठाकुर स्थित है, जिसको उनके महान बलिदानों में से एक के परिदृश्य के रूप में विरचित किया गया है । यहां पर बाबू बेगम का मकबरा भी स्थित है, जो संपूर्ण अवध में सर्वोत्कृष्ट मकबरा माना जाता है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

565. **प्रदर्श 6 – वाद संख्या 5** – एलेक्जेंडर कुनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, ने 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - वर्षों 1862-63-64-65 के दौरान चार रिपोर्टें तैयार कीं'* । कुनिंघम ने अयोध्या का उल्लेख किया है :–

"अजोध्या में अनेक अत्यंत पवित्र ब्राह्मणवादी मंदिर हैं, किंतु वे सभी आधुनिक काल के हैं और किसी भी प्रकार के वास्तुशिल्प संबंधी दिखावे धारण नहीं करते । किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से अधिकांश मंदिर प्राचीन मंदिरों, जिनको मुसलमानों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, के स्थलों पर विद्यमान हैं । अतः, नगर की पूर्वी दिशा में स्थित रामकोट या हनुमानगढ़ी चाहरदीवारी से घिरे हुए लघु किला हैं जिसके भीतर एक प्राचीन टीले के शीर्ष पर आधुनिक मंदिर स्थित हैं । रामकोट नाम निश्चित रूप से प्राचीन नाम है, चूंकि यह मणिपर्वत की परंपराओं से जुड़ा हुआ है जिसका उल्लेख बाद में किया जाएगा; किंतु हनुमान का मंदिर औरंगजेब के काल से अधिक प्राचीन नहीं है । नगर के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित रामघाट वह स्थान है, जहां राम ने स्नान किया था और स्वर्गद्वारी या स्वर्गाद्वारी अर्थात् 'स्वर्ग का द्वार' के लिए प्रस्थान किया था । यह विश्वास किया जाता है कि उत्तर-पश्चिमी दिशा में वह स्थान स्थित है, जहां उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया था । इसके

* एलेक्जेंडर कुनिंघम, जिन्होंने वर्षों 1862-63-64-65 के दौरान चार रिपोर्टें तैयार कीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, खंड 1 शिमला : भारत सरकार प्रेस, 1871.

कुछ वर्ष पहले तक वहां पर एक अत्यंत पवित्र बरगद का वृक्ष खड़ा था, जिसे अशोक वट या 'शोकरहित बरगद' कहा जाता है । यह नाम अधिसंभाव्य रूप से स्वार्गाद्वारी से इस विश्वास के अंतर्गत जुड़ा हुआ है कि वे लोग, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनका दाह संस्कार किसी भी जन्म में इस स्थान पर किया गया, भविष्य के जन्मों से निश्चित रूप से मुक्ति पा जाएंगे । इसके निकट लक्ष्मण घाट स्थित है, जहां उनके भाई लक्ष्मण ने स्नान किया था और उस घाट के लगभग एक चौथाई मील की दूरी पर शहर के केंद्र में राम का जन्मस्थान या 'जन्मस्थान मंदिर' स्थित है । इसके लगभग पश्चिम में पांच मील की दूरी पर गुप्त घाट और सफेद रंग से रंगे हुए आधुनिक मंदिर स्थित है । यह ऐसा स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से लक्ष्मण विलुप्त हो गए थे और इसलिए इस स्थान को गुप्त शब्द के आधार पर गुप्तार घाट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'छिपा हुआ या 'छिपाया गया' । कुछ लोगों का कहना है कि इस स्थान से राम विलुप्त हो गए थे किंतु लोगों की यह किंवदंती स्वर्गाद्वारी पर उनके दाह संस्कार की कथा के फेरफार में है ।"

566. **प्रदर्श 49 वाद संख्या 5** – पी. कारनेजी, जो फैज़ाबाद में कार्यवाहक आयुक्त और निपटारा अधिकारी के पद पर तैनात थे, ने 'हिस्टोरिक स्केच आफ फैज़ाबाद विद ओल्ड कैपिटल्स, अजोध्या एंड फैज़ाबाद (1870)' नामक वृत्तांत लिखा* । कारनेजी ने हिंदुओं की आस्था के बाबत अयोध्या के महत्व को रेखांकित किया है :–

"अजोध्या, जो हिंदुओं के लिए उसी प्रकार से पवित्र है, जैसेकि मुसलमानों के लिए मक्का और यहूदियों के लिए जेरुसलम और यह स्थान परम्परानिष्ठ लोगों की परंपराओं के अनुसार अत्यधिक पौराणिक नगर है, जिसको अतिरिक्त सुरक्षा के प्रयोजनार्थ न केवल पृथ्वी पर आश्रय के रूप में स्थापित किया गया, बल्कि इस नगर स्वयमेव महान सृष्टिकर्ता के रथ, जो सदैव अस्तित्व में रहेगा, के

* कारनेजी, जो अवध गर्वनमेंट प्रेस के कार्यवाहक आयुक्त और निपटारा अधिकारी थे, द्वारा लिखित 'हिस्टोरिक स्केच आफ फैजाबाद विद ओल्ड कैपिटल्स, अजोध्या एंड फैजाबाद' (1870) ।

पहिए पर भी स्थान प्राप्त है ।"

कारनेजी ने जन्मस्थान, स्वर्गद्वार मंदिर और त्रेता-के-ठाकुर को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने वर्ष 1528 में मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर को यह उल्लेख करते हुए जिम्मेदार ठहराया कि यह मस्जिद आज भी उसके नाम पर है । कारनेजी के विचार में पूर्ववर्ती मंदिर के अनेक स्तंभों को बाबरी मस्जिद के निर्माण में प्रयोग किया था । जैसाकि उसने अभिकथित किया है, ये स्तंभ कसौटी पत्थर द्वारा निर्मित हैं और इन पर उत्कीर्णन भी है । कारनेजी, जो निपटारा अधिकारी थे, ने उस साम्प्रदायिक दंगे का भी उल्लेख किया है, जो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच वर्ष 1855 में घटित हुआ था । उनके अनुसार इस टकराव के दौरान हिंदुओं ने हनुमानगढ़ी पर कब्जा कर लिया था, जबकि मुस्लिमों ने जन्मस्थान का कब्जा ले लिया था । मुस्लिमों द्वारा हनुमानगढ़ी पर कब्जे के प्रयास को हिंदुओं द्वारा विफल कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 75 मुसलमानों की मृत्यु हुई थी, जिनको कब्रिस्तान में दफनाया गया था । अभिकथित रूप से हिंदुओं ने जन्मस्थान का कब्जा ले लिया था । कारनेजी के अनुसार तब तक हिंदू और मुस्लिम, दोनों इस स्थान पर समान रूप से उपासना करते थे और वे इस स्थान को 'मस्जिद - मंदिर' कहते थे । तथापि, साम्राज्यवादी शासनकाल से ही एक लोहे का घेरा स्थापित कर दिया गया था और कहा जाता है कि उसी घेरे के भीतर मुस्लिम नमाज अदा करते थे जबकि घेरे के बाहर हिंदुओं ने एक चबूतरे का निर्माण कर लिया था और जिस पर वे अपनी उपासना करते थे । कारनेजी के वृतांत को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> **जन्मस्थान और अन्य मंदिर** – इस बात की पुष्टि स्थानीय लोगों ने की है कि महोमेदान विजय के समय तीन महत्वपूर्ण हिंदू पूजा स्थल विद्यमान थे, किंतु तत्समय अजुध्या वनक्षेत्र से कुछ अलग क्षेत्र था । ये तीन पूजा स्थल थे 'जन्मस्थान', 'सरगाद्वार मंदिर', जिसको 'राम दरबार' के नाम से भी जाना जाता था और 'त्रेता-का-ठाकुर' । इन तीनों पूजास्थलों में से प्रथम पूजा स्थल के स्थान पर सम्राट बाबर ने वर्ष 1528 ए.डी. में मस्जिद का निर्माण कराया था, जो आज भी उसके नाम से जानी जाती है; द्वितीय मंदिर के स्थान पर औरंगजेब ने भी यही कार्य 1658-1707 ए.डी.

के दौरान कराया; और तृतीय मंदिर पर भी उसी राजा या उसके पूर्वाधिकारियों ने मस्जिद का निर्माण सुप्रसिद्ध महोमेदान सिद्धांतों, जिनके अंतर्गत वे अपने धर्म को उन सभी लोगों, जिन पर वे विजय प्राप्त करते थे, प्रवर्तित करते थे, के अनुसार कराया ।

जन्मस्थान उस स्थान को कहते हैं, जहां रामचंद्र का जन्म हुआ था । सरगाद्वार वह द्वार है, जिसके द्वारा उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया था, संभवत: यह वह स्थान है, जहां उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया था । त्रेता-का-ठाकुर उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध था, जहां राम ने महान त्याग किया था और जिस स्थान पर उन्होंने अपनी और सीता की प्रतिमाओं को स्थापित करने के द्वारा उत्सव मनाया था । '667. बाबर की मस्जिद-लेडेन द्वारा लिखित मेमोएर्स आफ बाबर' के अनुसार वह सम्राट तारीख 28 मार्च, 1528 को सरयू और घाघरा नदियों के संगम, जो अजुध्या से पूर्व की तरफ दो या तीन कोस दूर का स्थान है, पर विश्राम कर रहा था और वहां पर उसने आसपास के देशों से संबंधित मामलों के निपटारे करते हुए सात या आठ दिन व्यतीत किए थे । लेडेन द्वारा लिखित इस पुस्तक में एक सुविख्यात शिकार क्षेत्र का भी उल्लेख है, जो अवध से सात या आठ कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे स्थित है । यह उल्लेखनीय है कि बाबर के जीवन से संबंधित इस पुस्तक की समस्त प्रतियों में वे पृष्ठ गायब हैं, जो अजुध्या में उसके कार्यों से संबंधित हैं । बाबरी मस्जिद में दो स्थानों पर वह वर्ष, जिसमें उसका निर्माण हुआ, 935 हिजरी, जो वर्ष 1528 ए.डी. के तत्समान है, पत्थर पर उत्कीर्णित है और साथ ही वे शिलालेख पर स्थापित है, जो उस सम्राट की प्रशंसा से संबंधित है ।

अजुधिया वन क्षेत्र से हटकर क्षेत्र था, वहां पर जन्मस्थान में एक उत्कृष्ट मंदिर अवश्य स्थित था; इस मंदिर के अधिसंख्य स्तंभ आज भी विद्यमान हैं और भली-भांति संरक्षित हैं, जिनका प्रयोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में मुसलमानों द्वारा किया गया । ये स्तंभ मजबूत करीबी दाने वाले गहरे स्लेटी रंग के हैं, जिसको स्थानीय लोगों द्वारा कसौटी (वस्तुतः कसौटी) कहा जाता है और

इन पर विभिन्न उपकरणों से उत्कीर्णन का कार्य भी किया जाता है । मेरे विचार में ये स्तंभ बौद्ध स्तंभों के अत्यधिक समान हैं, जैसाकि मैंने बनारस और अन्य स्थानों पर देखा । वे सात से आठ फीट लंबे हैं और उनके आधार, केंद्रीय स्थान और शीर्ष वर्गाकार हैं और बीच का स्थान गोलाकार या अष्टकोणीय है ।

हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेद – जन्मस्थान हनुमानगढ़ी के कुछ सौ कदमों के भीतर स्थित है । वर्ष 1855 में जब हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य बड़ा संघर्ष हुआ, तब हिंदुओं ने हनुमानगढ़ी पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया, जबकि मुसलमानों ने जन्मस्थान पर कब्जा कर लिया । उस अवसर पर मुसलमानों ने वास्तव में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर आग लगा दी थी, किंतु उनको अत्यधिक हानि का सामना करते हुए वापस भागना पड़ा था । तब हिंदुओं ने इस सफलता का उत्सव मनाया था और उन्होंने तीसरे प्रयास में जन्मस्थान के उस द्वार पर कब्जा कर लिया, जहां 75 मुसलमान 'शहीदों की कब्रों' (गंज-शाहिद) में दफन हैं । अनेक राजाओं के सैन्य-दल (रेजिमेंट्स) इन घटनाओं को घटित होते हुए देख रहे थे, किंतु उनको आदेश था कि वे मध्यक्षेप न करें । यह कहा जाता है कि उस समय तक हिंदुओं और मुसलमानों ने मस्जिद-मंदिर में एक साथ उपासना करना आरंभ कर दिया था । ब्रिटिश शासन के दौरान विवाद के निवारण के लिए एक लोहे की जाली स्थापित कर दी गई थी, जिसके भीतर मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा करते थे, जबकि जाली के बाहर हिंदुओं ने एक चबूतरे का निर्माण कर लिया था, जिस पर वे उपासना करते थे ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

विभिन्न हिंदू पक्षों ने कारनेजी के वृतांत का अवलंब हिंदुओं के इस विश्वास को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ लिया कि भगवान राम का जन्मस्थान और कसौटी के स्तंभों की कतारों का प्रयोग मस्जिद के निर्माण में किया गया था । कसौटी के स्तंभों पर उत्कीर्णन का भी निदेश इस वृतांत में समाविष्ट है । कारनेजी का वृतांत, जिसको वर्ष 1870 में प्रकाशित किया गया था, में उस घटना का उल्लेख है, जो 1855 में हिंदुओं और मुस्लिमों के टकराव को लेकर घटित हुई थी ।

उन्होंने उस उपासना को भी निर्दिष्ट किया है, जो हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा 'मस्जिद-मंदिर' में इस घटना के पूर्व की जा रही थी और साथ ही घटना के पश्चात् विवादों को रोके जाने की दृष्टि से घेरे के निर्माण का भी उल्लेख किया है । कारनेजी ने उल्लेख किया है कि घेरे का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि दोनों समुदायों को एक दूसरे से पृथक् रखा जा सके और मुस्लिमों को मस्जिद के भवन के भीतर नमाज अदा करने और साथ ही हिंदुओं को भवन के बाहर उपासना करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई थी, जहां उन्होंने उपासना के प्रयोजनार्थ चबूतरे का निर्माण कर लिया था ।

567. **प्रदर्श 6 – वाद संख्या 5** – गज़ेटियर आफ अवध 1877 – इस गज़ेटियर में उन्हीं निबंधनों के अनुसार वर्णन समाविष्ट है, जैसाकि कारनेजी के वृत्तांत में उल्लिखित है और इसलिए इस गज़ेटियर का अधिक विस्तारपूर्वक उल्लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

568. **प्रदर्श 8 – वाद संख्या 5** – ए. एफ. मिलेट द्वारा लिखित 'द रिपोर्ट आफ सेटलमेंट आफ लैंड रेवेन्यू, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट (1880)' में कारनेजी के वृत्तांत की अंतर्वस्तु को विस्तारपूर्वक समाविष्ट किया गया है ।

569. **प्रदर्श 52 – वाद संख्या 5** – एच. आर. नेविल, आई. सी. एस. ने 'बाराबंकी – ए गज़ेटियर वॉल्यूम XIVIII आफ द डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर आफ द यूनाईटेड प्रोविंसेज़ आफ आगरा एंड अवध (1902)' नामक पुस्तक का संपादन और संकलन किया था । इस पुस्तक में हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य संघर्ष, जो 1850 में घटित हुआ था, का उल्लेख है ।

570. **प्रदर्श 10 – वाद संख्या 5** – 'द इम्पीरियल गज़ेटियर आफ इंडिया, प्रोविंशियल सीरीज़, यूनाईटेड प्रोविंसेज़ आफ आगरा एंड अवध - वाल्यूम-II (इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, कुमायूं, लखनऊ और फैज़ाबाद डिवीजन्स एंड द नेटिव स्टेट्स)' । इस इम्पीरियल गज़ेटियर में अयोध्या का निम्नलिखित वृत्तांत समाविष्ट है ।

> "अजोध्या कोसाला के साम्राज्य की राजधानी थी और इस साम्राज्य में महान राजा दशरथ, जो राजा मनु के वंश में सूर्य वंश

के 56वें सम्राट थे, का शासन था । रामायण के आरंभिक अध्यायों में इस नगर के वैभव, सम्राट के गौरव और उनकी प्रजा के सदगुणों, धन और निष्ठा का वर्णन है । दशरथ (रामायण) महाकाव्य के नायक रामचंद्र, जिनके संप्रदाय का आधुनिक काल में अत्यधिक मात्रा में पुनः प्रवर्तन का अनुभव किया गया, के पिता थे । सूर्यवंश के अंतिम राजा के पराभव के साथ ही राजा सुमित्र, जो इस वंश के 113वें सम्राट थे, के काल में अजोध्या वीरान हो गई थी और राजसी परिवार बिखर गया था । उदयपुर, जयपुर के राजा इस बिखरे हुए परिवार के विभिन्न सदस्यों के वंशज होने का दावा करते हैं । परंपराओं के अनुसार अजोध्या को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिनकी पहचान विवादित है, द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था । बौद्ध काल में, जब साकेत कोसाला के नगर का प्रधान बना, तो अजोध्या का अल्प महत्व था । यह आज भी अनिश्चित है कि साकेत कहां पर स्थित था और यह सुझाव दिया गया है कि यह नगर अजोध्या के प्राचीन नगर के एक भाग में स्थित था । प्राचीन मुद्रा के साक्ष्य अजोध्या में या उसके आसपास ईशाई संवत के आरंभ के पूर्व तक स्वतंत्र राजाओं की श्रृंखला द्वारा शासन किए जाने की तरफ संकेत करते हैं ।"

'गज़ेटियर में वर्तमान नगर को निर्दिष्ट करते हुए उल्लेख है :–

"वर्तमान नगर एक ऊंची पहाड़ी के भीतर की तरफ फैला हुआ है, जहां से घाघरा नदी दिखाई देती है । विशाल टीले, जिसे रामकोट या राम का किला कहा जाता है, के एक कोने पर वह पवित्र स्थान है जहां इस नायक (राम) का जन्म हुआ था । इस किले का अधिकांश अहाता एक पुराने मंदिर के अवशेषों से आरंभ होकर बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद के अधिभोग में है और बाहरी भाग में एक छोटा चबूतरा और पूजा स्थल जन्मस्थान के द्योतक हैं । इसी के निकट एक विशाल मंदिर स्थित है, जिसमें सीता, जो राम की निष्ठावान पत्नी थी, की रसोई दर्शित होती है । घाघरा के किनारे एक ऊंचा मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है, जहां लक्ष्मण ने स्नान किया था और हनुमान, जो बंदरों के राजा थे, की नगर के एक विशाल मंदिर में उपासना होती है, जिस पर चढ़ने के लिए

असंख्य सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है और इस मंदिर का नाम हनुमानगढ़ी है । 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान निर्मित अन्य उल्लेखनीय मंदिरों में एक उत्कृष्ट मंदिर कनक भवन, स्थित है, जिसका निर्माण टीकमगढ़ की रानी द्वारा कराया गया था, नागेश्वर नाथ मंदिर, दर्शन सिंह का मंदिर और वर्तमान महाराजा द्वारा निर्मित एक लघु संगमरमर का मंदिर भी स्थित है । अजोध्या में अनेक जैन मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें से पांच का निर्माण 18वीं शताब्दी में पांच (जैन) महाधर्माधिकारियों के जन्मस्थानों के प्रतीक के रूप में कराया गया था । बाबर की मस्जिद के अतिरिक्त औरंगजेब द्वारा निर्मित दो जर्जर मस्जिदें विख्यात हिंदू पूजा स्थलों - स्वर्गाद्वार जहां राम के शरीर का दाह संस्कार हुआ था और त्रेताका-ठाकुर, जहां उन्होंने भेंट चढ़ाई थी, के स्थान पर खड़ी हैं । बाद में यही पर कन्नौज के अंतिम राजा जयचंद का शिलालेख भी पाया गया । यहां पर मुसलमानों द्वारा तीन कब्रों का निर्माण भी किया गया, जिनके आईने-अकबरी के अनुसार नाम हैं, नूंह सेठ और जॉब का मकबरा और दो अन्य कब्रों पर भी यही नाम उल्लिखित हैं । निकट स्थित एक विशाल टीला, जिसे महापर्वत के नाम से जाना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि इसको हनुमान द्वारा तब गिरा दिया गया था, जब वे हिमालय का एक भाग लेकर जा रहे थे, जबकि एक अन्य परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि इस टीले का निर्माण उन मजदूरों द्वारा किया गया था, जिन्होंने रामकोट का निर्माण किया, जब वे कार्य के दौरान अपने टोकरों की मिट्टी झाड़ते हुए जाते थे; यह टीला संभवत: एक जर्जर स्तूप को आच्छादित करता है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

571. **प्रदर्श 23 – वाद संख्या 5** – हंस बेकर ने अपनी पुस्तक 'अयोध्या'[#] तीन भागों में लिखी है । इस पुस्तक की प्रस्तावना में अभिकथित है कि प्रथम भाग अयोध्या के इतिहास, धार्मिक आंदोलनों, जिनके कारण इसका विकास हुआ, स्थानीय संदर्भ, जिसमें इस नगर ने

[#] हंस बकर, अयोध्या, एगबर्ट फोर्सटेन पब्लिसर्स 1986 ।

ठोस स्वरूप प्राप्त किया और वह रीति, जिसमें यह नगर धार्मिक पुस्तक अयोध्या महात्म्य में परावर्तित होता है, से संबंधित है । लेखक ने इस पुस्तक के प्रस्तुतीकरण में उल्लेख किया है :–

> "...महत्वपूर्ण परिणामों वाले दो मामले स्पष्ट होते हैं । प्रथम मामला यह है कि अयोध्या का तीर्थस्थान के केंद्र के रूप में धार्मिक विकास द्वितीय शताब्दी ए. डी. में आरंभ हुआ और इसके परिणामस्वरूप अयोध्या महात्म्य अपने समस्त संस्करणों में इसी अवधि से संबंधित है; द्वितीय मामला यह है कि इस नगर के धार्मिक महत्व का विकास विष्णु की प्रमुख अभिव्यक्ति के रूप में राम की उपासना की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ था ।"

लेखक ने अध्याय 1 में साकेत/अयोध्या की खोज के लिए 600 बी. सी. से 1000 ए. डी. के दौरान की अवधि को यह उल्लेख करते हुए चुना कि यह स्थल सरयू (घाघरा) के कटाव पर स्थित है, जो आधुनिक नगर को तीन दिशाओं से घेरती है । उसने अभिकथित किया :–

> "इस स्थल के केंद्र में ऊबड़-खाबड़ भूमि वाला क्षेत्र है, जिसको रामकोट या कोट रामचंदर कहा जाता है, जिसका बड़ा भाग आज मंदिरों और मठों के अधिभोग में है । तथापि, विशेष रूप से इसकी दक्षिणी दिशा में अनेक मानव निर्मित टीले पाए जाते हैं, जिनका निर्माण नहीं किया गया बल्कि वे टूटी हुई ईंटों और पत्थरों की शिलाओं के ढेर के कारण निर्मित हो गए हैं । इनमें विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम कोने में स्थित तथाकथित कुबेर टीला है ।
>
> तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ ऊपरवर्णित स्थल और उसके केंद्र में ऊंचाई वाली भूमि का क्षेत्र, जो नदी पार करने वाले क्रॉसिंग से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है, में प्राचीन आबादी की समस्त भौतिक विशेषताएं समाविष्ट हैं । अभी तक अयोध्या में किए गए दो उत्खनन संसूचित हैं ।"

बेकर ने उल्लेख किया है कि प्रथम शताब्दी ए. डी. के मध्य से कोसाला के दत्ता शासकों को पश्चिम में कुषाणों की शक्ति का उत्तरोत्तर रूप से सामना करना पड़ रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कनिष्क की राजधानी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था । बेकर के अनुसार

वर्ष 320 ए. डी. में चंद्रगुप्त प्रथम और उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के शासन काल के दौरान साकेत को प्रत्यक्षत: पाटलिपुत्र के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर दिया गया । वहां पर चौथी शताब्दी ए. डी. के उत्तरार्ध में ब्राह्मणवादी संस्थाएं और शिक्षा पुर्नजीवित हो गईं थीं, जिसके संदर्भ में यह अभिकथित किया गया है :–

> "प्रारंभिक गुप्त अवधि के दौरान ब्राह्मणवादी धर्म के हिंदुत्व में विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था । राजा को देवता के स्वरूप में मान्यता के साथ-साथ उसके रूप में पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के मत को – चाहे वह मूर्ति के स्वरूप में हो या 'ऐतिहासिक' मानव के स्वरूप में – प्रबल आधार प्राप्त हुआ । इसके परिणामस्वरूप जैसाकि हमको ज्ञात है । अयोध्या के गौरवशाली नगर को साकेत नगर के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया था । अयोध्या का यह पुनरुत्थान इतना प्रभावी था कि बौद्ध यात्री फ़ाहियान, जिसने समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान साकेत की यात्रा की थी, को 'महान देश साची' और उसकी राजधानी में अपनी रुचि के योग्य कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । हम उसके यात्रा वृतांत के आधार पर जिस बात को समझ पाते हैं, वह यह है कि साकेत दीवारों से घिरा हुआ नगर था ।'

बेकर ने पांचवीं शताब्दी में इस नगर के इतिहास को रेखांकित करते हुए उल्लेख किया :–

> "पांचवीं शताब्दी इस नगर के इतिहास में एक निर्णायक चरण लेकर आई । इस अवधि में साकेत/अयोध्या ने संपन्नता का उच्चतम शिखर देखा और महान ईश्वाकु राजाओं की राजधानी के रूप में इसके 'पूर्ववर्ती' गौरव को पुनर्स्थापित होते हुए देखा । यह सत्य है कि गुप्त साम्राज्य के विखंडन और सामान्य मंदी के परिणामस्वरूप आने वाली शताब्दियों में इसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा : फिर भी यह नगर उन परिणामों से बचा रहा, जो गुप्त साम्राज्य के अधिसंख्य नगरों को भुगतने पड़े गुप्तकाल के पश्चात् इनके अस्तित्व क्षीण हो गए, जिसके परिणामस्वरूप यह नगर इतिहास के पन्नों से अंतिम रूप से अदृश्य हो गए ।

ईश्वाकुओं के पौराणिक नगर के रूप में इस नगर की मान्यता धन्य है और उससे भी अधिक स्वयमेव विष्णु के अवतार के रूप में राम की राजधानी, यह नगर हिंदुओं की नजरों से कभी भी पूर्णत: ओझल नहीं हुआ और परिणामस्वरूप, जब इस नगर के प्राकट्य के लिए परिस्थितियां अनुकूल हुई तब यह नगर उत्तर भारत के सर्वाधिक पवित्र नगर के रूप में पुन: प्रकट हुआ । अन्य पवित्र नगरों मथुरा और वाराणसी, 'जिनको गुप्तकाल के पश्चात् व्यावहारिक रूप से त्याग दिया गया था', यह नगर द्वितीय शताब्दी के आरंभ में पुन: प्रकट हुआ ।'

बेकर ने उल्लेख किया है कि अयोध्या की उत्तरजीविता का श्रेय उत्तर भारत में उसकी केंद्रीय स्थिति और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उसके सामरिक महत्व को दिया जा सकता है । अयोध्या तेरहवीं शताब्दी में एक बार पुन: दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय राजधानी बना । पश्चात्वर्ती समय में वाणिज्यिक और सामरिक महत्व की दृष्टि से इस नगर का स्थान परस्पर विरोधी नगरों – 15वीं शताब्दी में जौनपुर, 18वीं शताब्दी में फैज़ाबाद और 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में लखनऊ द्वारा ले लिया गया । अयोध्या कभी क्षीण नहीं हुआ और यह अभिकथित किया जाता है कि यह नगर में धार्मिक जीवन के फलने-फुलने का साक्षी रहा है । बेकर ने चीन के स्रोतों का उल्लेख करते हुए मताभिव्यक्ति की :–

"जैसाकि हम चीन के स्रोतों से जानते हैं कि (परमार्थ के अनुसार) राजा विक्रमादित्य अर्थात् स्कंदगुप्त का राजसी न्यायालय अयोध्या या (ह्वेन त्सांग के अनुसार) स्रावस्ती देश में स्थापित था । यह संदेह के परे है कि स्रावस्ती देश कोसाला, जिसकी तत्समय राजधानी साकेत/अयोध्या थी, न कि स्रावस्ती, को निर्दिष्ट करता है । यहां पर इस बात की संभाव्यता उत्पन्न होती है कि राजसी न्यायालय पहले ही कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र से साकेत/अयोध्या को स्थानांतरित कर दिया गया था । हमने देखा है कि अयोध्या का नाम दर्शित करने वाला पहला शिलालेख इस राजा के शासनकाल का है । संरक्षित किए गए शिलालेखों में

पाटलिपुत्र के शासक के रूप में वर्णित अंतिम शासक कुमारगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे ।"

बेकर ने उल्लेख किया है कि अयोध्या में स्थानीय परंपरा का प्रचलन है, जो विक्रमादित्य द्वारा इस नगर की खोज से संबंधित है । इस मौखिक परंपरा को मार्टिन द्वारा वर्ष 1838 में संसूचित किया गया था और तत्पश्चात् कुलिंघम और कारनेजी द्वारा (1870) ।

यात्रियों के वृत्तांतों और गज़ेटियरों का विश्लेषण

572. विलियम फिंच (1608-11) ने 'ए सिटी आफ एनसिएंट नोट एंड सीट आफ ए पोटन किंग नाउ मच रुइंड' नामक वृत्तांत में आउद (अजोध्या) का उल्लेख किया है । फिंच ने एक महल का उल्लेख किया है, जिसका निर्माण 400 वर्ष पूर्व किया गया था और 'रामचंद्र के महल और मकानों'* का भी उल्लेख किया है । फिंच ने भगवान राम के साथ जुड़े हुए धार्मिक विश्वासों को उनके अवतार के प्रयोजन को अभिकथित करते हुए स्वीकार किया है । टिफेंथेलर (1770) ने अयोध्या के साथ भगवान राम के संपर्क का भी उल्लेख किया है और 'इस स्थान पर एक मंदिर, जिसका निर्माण नदी के तट पर ऊंचे स्थान पर किया गया था' को भी निर्दिष्ट किया । टिफेंथेलर ने अभिकथित किया है कि मंदिर को औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था । टिफेंथेलर ने किला, जिसको रामकोट कहा जाता है, के औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए जाने और उसी स्थान पर 'तीन गुंबदों वाले एक मुस्लिम मंदिर' के निर्माण का भी विनिर्दिष्ट रूप से निदेश किया है । टिफेंथेलर के वृत्तांत में यह उल्लेख भी है कि कुछ लोगों के अनुसार मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा किया गया था । इस वृत्तांत में 14 काले पत्थर के स्तंभों, जिनमें से 12 मस्जिद की भीतरी मेहराबों को सहारा देते थे और दो प्रवेश द्वार पर स्थित थे, का निदेश भी समाविष्ट है । उसके वृत्तांत में एक वर्गाकार बक्से की उपस्थिति का भी निदेश है, जो भूमि से पांच इंच ऊपर उभरा हुआ है और 'जिसकी लंबाई 5 एल्स से अधिक और अधिकतम चौड़ाई 4 एल्स से अधिक थी' ।

---

* रामचंद्र, द हीरो आफ रामायण इस वृत्तांत में एक टीले को निर्दिष्ट किया गया है, जिसे रामकोट या राम के किले के नाम से जाना जाता था ।

टिफेंथेलर के अनुसार हिंदू इसको इस विश्वास के आधार पर बेदी या पालना कहते थे कि एक कालखंड ऐसा था जब इस मकान में बेसचन (विष्णु) भगवान राम के स्वरूप में जन्मे थे । तत्पश्चात् यद्यपि औरंगजेब या बाबर ने 'इस स्थान को नष्ट करा दिया था', फिर भी पाठ में यह मताभिव्यक्ति समाविष्ट है कि वह स्थान, जहां भगवान राम के पूर्वजों का घर स्थित था, हिंदू 'तीन बार चक्कर लगाते थे और फर्श पर दंडवत प्रणाम करते थे' । इस वृतांत में चैत्र माह के दौरान श्रद्धालुओं के एकत्रित होने का भी उल्लेख है ।

573. टिफेंथेलर के वृतांत का मूल्यांकन करते हुए (और साथ ही अन्य लेखकों के यात्रा वृतांतों) का उल्लेख करते हुए यह आवश्यक है कि उसने अन्य लोगों से क्या सुना, जिसके आधार पर उसने वास्तव में अवलोकन किया और संज्ञान लिया । पूर्ववर्ती बातें अनुश्रुत हैं । टिफेंथेलर के वृतांत में काले पत्थर वाले स्तंभों के साथ तीन गुंबदों वाले ढांचे की मस्जिद की विद्यमानता के बाबत सुव्यक्त रूप से उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए अवलोकन पर आधारित है उसका विचार कि मस्जिद का निर्माण संभवत: औरंगजेब द्वारा कराया गया था । सुव्यक्त रूप से उन बातों पर आधारित है जिनको उसने सुना था और यह ऐसी बात नहीं है जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हो । इसी प्रकार से तथ्यों पर आधारित इस बाबत कोई भी निष्कर्ष कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के निर्माण के पश्चात् कराया गया था, का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराए जाने की आवश्यकता है और इस तथ्य का सत्यापन मात्र टिफेंथेलर के वृतांत के आधार पर नहीं किया जा सकता । उसका वृतांत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान राम के प्रति हिंदुओं की आस्था और विश्वास और तीन गुंबदों वाले ढांचे, जहां 'वर्गाकार संदूक' की जन्म के पालने के प्रतीक के रूप में उपासना की जाती थी, के अत्यंत निकट जन्मस्थान की विद्यमानता का उल्लेख है । इस वृतांत में स्थल की परिक्रमा और वहां पर श्रद्धालुओं के एकत्रण के रूप में उपासना के स्वरूप का भी निदेश है ।

574. हेमिल्टन का वृतांत 'ईस्ट इंडियन गज़ेटियर आफ हिन्दुस्तान (1828)' में घाघरा नदी के दाहिने तट पर स्थित आउद का उल्लेख है । हेमिल्टन ने इस नगर का उल्लेख करते हुए लिखा है 'यह नगर प्राचीन

काल के पवित्र स्थानों में से एक पवित्र नगर' है । उसने तीर्थ स्थानों का उल्लेख किया है 'जहां महान राम की राजधानी आउद के प्राचीन नगर के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं; इस नगर का पूर्ववर्ती वैभव चाहे कुछ भी रहा हो, किंतु वर्तमान में इस नगर में कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अवशेषों के आकारहीन ढेर के' । उसने 'मलबे और जंगल के मध्य राम, सीता, उनके भाई लक्ष्मण, उनके सेनापति हनुमान (एक विशाल बंदर) और उनके प्रधानमंत्री को समर्पित मंदिरों के विख्यात स्थल' पाए थे । हेमिल्टन ने धार्मिक भिक्षुकों का भी उल्लेख किया है, जो 'रामाता संप्रदाय के रीति-रिवाजों के आधार पर तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिरों और मूर्तियों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पवित्र तालाबों में स्नान करते हैं और प्रथागत अनुष्ठानों का निर्वहन करते हैं' । यद्यपि हेमिल्टन ने स्पष्ट रूप से अयोध्या स्थित मंदिरों और भगवान राम में आस्था और विश्वास और उपासना के प्रथागत स्वरूपों का उल्लेख किया है, किंतु फिर भी उसने राम जन्मभूमि मंदिर या मस्जिद के बारे में कोई विनिर्दिष्ट मताभिव्यक्ति नहीं की है ।

575. मार्टिन के वृत्तांत (1838) में अयोध्या स्थित मंदिरों के ध्वंस का उल्लेख यह लिखते हुए किया गया है कि 'उन मंदिरों की लघुतम निशानी भी शेष नहीं है', 'जिसको सामान्य रूप से औरंगजेब के हिंदुओं के प्रति उग्र कट्टरता के द्योतक' के रूप में समझा जा सकता है । अयोध्या स्थित मस्जिद के बारे में मार्टिन ने उल्लेख किया है 'यह मस्जिद प्रत्येक रूप से अत्यधिक आधुनिक दर्शित होती है' और इस बात को इसकी दीवारों पर स्थापित शिलालेख द्वारा अभिनिश्चित किया जा सकता है कि इसका निर्माण औरंगजेब की पांच पीढ़ियों पूर्व बाबर द्वारा कराया गया था । मार्टिन ने अयोध्या के लोगों के इस विश्वास का उल्लेख किया है कि व्रिहदबाला की मृत्यु के पश्चात् यह नगर वीरान हो गया था और 'उज्जैन के विक्रम' के काल तक वीरान पड़ा रहा, जो इस पवित्र नगर की खोज में यहां पर आए और भगवान राम पर आस्था के आधार पर पवित्र स्थानों पर 360 मंदिरों का निर्माण कराया । मार्टिन ने 'विक्रम' को निर्दिष्ट करते हुए उनका उल्लेख संवत् काल के प्रवर्तक और तत्पश्चात् विक्रम, दोनों प्रकार से किया है । मार्टिन के अनुसार इस बात की संभाव्यता थी कि भगवान राम की उपासना 'पूर्ववर्ती विक्रम काल' से

हो रही है, फिर भी किसी संप्रदाय के भाग के रूप में उनकी उपासना को सर्वप्रथम रामानुज द्वारा स्थापित किया गया । यही इस नगर और इसके मंदिरों के उद्गम के बाबत मार्टिन की परिकल्पना है । किंतु परिकल्पना साक्ष्य गठित नहीं करती । मार्टिन ने बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद में स्तंभों को निर्दिष्ट करते हुए उल्लेख किया है कि ये काले पत्थर के हैं और इनको किसी हिंदू भवन से निकाला गया है और उसके साक्ष्य में उन स्तंभों के आधारों, जिनको अपवित्र किया गया, की कुछ छवियां प्रस्तुत की गई हैं । मार्टिन के अनुसार यह स्तंभ किसी महल के अवशेषों से लिए गए होंगे । उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार मार्टिन के वृत्तांत से जो उपदर्शित होता है, वह अनुमानों पर आधारित हैं । यद्यपि मार्टिन ने मस्जिद के संबंध में अपनी स्वयं की मताभिव्यक्तियां की हैं; किंतु जहां तक भगवान राम के साथ सहबद्ध आस्था और विश्वास का प्रश्न है; और जहां तक काले पत्थर के स्तंभों की उपस्थिति का संबंध है, इस वृत्तांत में उसके अपने स्वयं द्वारा किए गए पूर्ववर्ती इतिहास का विश्लेषण बड़ी मात्रा में समाविष्ट है ।

576. एडवर्ड थोर्नटन द्वारा 'गज़ेटियर आफ द टेरिटरीज़ अन्डर द गर्वनमेंट आफ ईस्ट इंडिया कंपनी (1858)' में समाविष्ट वृत्तांत में 'बड़े पैमाने पर अवशेष, जिनको राम के किले के अवशेष कहा जाता है', का उल्लेख किया गया । थोर्नटन ने बुचानन को संदर्भित एक पाठ से लिए गए उद्धरणों को उद्धृत किया । उसने इस नगर में चारों तरफ फैली हुई विद्या, 360 मंदिरों के निर्माण और औरंगजेब द्वारा उनके ध्वंस के बाबत (जनसाधारण के) विश्वास का उल्लेख किया । उसके द्वारा (औरंगजेब पर) मंदिर के स्थल पर मस्जिद के निर्माण का आरोप किसी ऐतिहासिक तथ्य का साक्ष्य नहीं है । थोर्नटन ने वही अभिलिखित किया, जो उसने सुना : (वर्तमान में) न तो वे लोग, जिन्होंने उसको अपनी आस्था के बारे में बताया और न ही दस्तावेजों के लेखक उपलब्ध हैं, जिनका न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षा के अनुक्रम के दौरान परीक्षण किया जा सके । इस प्रकार के वृत्तांत स्वीकार्य साक्ष्य के कठिन स्तरमानों और साथ ही अधिसंभाव्यताओं की प्रधानता, जो सिविल विचारणों को शासित करती हैं, के अधिक सीमा तक शिथिल किए गए स्तरमानों को भी पूर्ण नहीं करते ।

577. सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड की तरफ से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री जफरयाब जीलानी ने इस बात पर जोर दिया कि उपरोक्त उद्धरण में निर्दिष्ट गज़ेटियर में 'मस्जिद की दीवार पर स्थापित शिलालेख' का अवलंब इस सिद्धांत के समर्थन में लिया गया है कि मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा किया गया था, जो स्थानीय लोगों के इस विश्वास के विपरीत है कि इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया था । उनके (जफरयाब जीलानी के) अनुसार मस्जिद के मध्य गुंबद के नीचे हिंदुओं द्वारा उपासना का कोई विनिर्दिष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं है । तथापि, इस बात का उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि थोर्नटन द्वारा की गई मताभिव्यक्तियां व्यक्तिगत नहीं हैं और उसने बुचानन के पाठ के आधार पर कोई अनुमान नहीं निकाला । साम्राज्यवादी सरकार का उद्देश्य यह था कि वे ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में गज़ेटियर द्वारा प्राधिकृत सूचना 'सस्ती और सुविधाजनक स्वरूप में' उपलब्ध कराना चाहते थे । सावधानी की दृष्टि से इस बात का उल्लेख करना सुसंगत होगा कि उपरोक्त उद्धरण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख है :–

(i) 'रामगढ़' या 'राम के किले' के अवशेष;

(ii) मस्जिद में 'अलंकृत और रुचिपूर्वक की गई कारीगरी' के साथ कसौटी पत्थर के 14 स्तंभों की उपस्थिति; और

(iii) 'पत्थर का चतुष्कोणीय संदूक' जिसके बाबत यह विश्वास किया जाता है कि यही वह पालना है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ था ।

578. कुनिंघम द्वारा लिखित 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (1862-65)' में 'अयोध्या के बारे में अनेक पवित्र ब्राह्मणवादी मंदिरों' के अस्तित्व का उल्लेख है । इस रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है कि 'इस नगर के केंद्र में जन्मस्थान या राम का जन्मस्थान मंदिर' स्थित है । इस पुस्तक के पाठ में रामकोट और स्वर्गद्वारी का उल्लेख है और यह अवेक्षित किया गया है कि नगर के केंद्र से एक चौथाई मील की दूरी पर राम का जन्मस्थान या जन्मस्थान मंदिर स्थित है । श्री जीलानी ने

दलील दी कि राम के जन्मस्थान या जन्मस्थान मंदिर का उल्लेख उस ढांचे के बाबत नहीं है, जिसे विवादित ढांचा कहा जाता है और यह मंदिर किसी अन्य स्थान पर स्थित है । कुनिंघम के वृत्तांत में हनुमानगढ़ी, स्वर्गद्वार, लक्ष्मण घाट और जन्मस्थान को सम्मिलित करते हुए धार्मिक स्थलों के समूह का उल्लेख है ।

579. पी. कारनेजी ने कार्यवाहक आयुक्त और निपटारा अधिकारी के रूप में 'हिस्टोरिकल स्केच आफ फैज़ाबाद (1870)' नामक वृत्तांत में जन्मस्थान, स्वर्गद्वार मंदिर और त्रेता-के-ठाकुर के संदर्भ में हिंदुओं की आस्था के बाबत अयोध्या के महत्व को रेखांकित किया । उसने वर्ष 1528 ए. डी. में मस्जिद के निर्माण का श्रेय बाबर को दिया और उल्लेख किया कि पूर्ववर्ती मंदिर के कसौटी पत्थर के स्तंभों की कतारों में स्थित अनेक स्तंभों को मस्जिद के निर्माण में प्रयोग किया गया । उसके वृत्तांत में रामकोट – रामचंद्र के किले' का उल्लेख है और यह उल्लेख भी है कि यह किला '20 गढ़ों द्वारा घिरा हुआ था और यह विश्वास किया जाता है कि इन गढ़ों में से प्रत्येक गढ़ भगवान राम के प्रसिद्ध सेनापतियों के नियंत्रणाधीन था । कारनेजी ने उस अग्निकांड का भी उल्लेख किया है, जो हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य वर्ष 1855 ए. डी. में घटित हुआ और जिसके परिणामस्वरूप 75 मुस्लिमों की मृत्यु हो गई थी, जिनको विवादित ढांचे के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था । कारनेजी के अनुसार तब तक हिंदू और मुस्लिम एक स्थान पर उपासना करते थे, जिसको उसने 'मस्जिद-मंदिर' के रूप में वर्णित किया है । तथापि, ब्रिटिश शासन के दौरान भविष्य के टकरावों को टालने के प्रयोजनार्थ एक घेरे का निर्माण कर दिया गया था । यह अभिकथित किया जाता है कि इस घेरे के भीतर मुस्लिम नमाज अदा करते थे, जबकि घेरे के बाहर हिंदुओं ने चबूतरे का निर्माण कर लिया था, जिस पर वे उपासना करते थे । कारनेजी के वृत्तांत में जन्मस्थान को सम्मिलित करते हुए तीन धार्मिक स्थलों का उल्लेख है । उसके वृत्तांत में जन्मस्थान के स्थल पर मस्जिद के निर्माण का श्रेय बाबर को दिया गया है, जिसके बारे में उसने अभिकथित किया है 'यह स्थान उस स्थान को द्योतक है, जहां रामचंद्र का जन्म हुआ था ।

580. कारनेजी ने बाबर, जो सरयू और घाघरा नदी के संगम पर पड़ाव डाले हुए था, के अभियान पर लेडेन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत का अवलंब इस तथ्य का उल्लेख करते हुए लिया कि 'यह उल्लेखनीय है कि बाबर के जीवन के बारे में अभी तक ज्ञात बातों से संबंधित समस्त प्रतियां, जिनके पृष्ठ अजुधिया में उसके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित हैं, वांछित हैं' । उसने मस्जिद पर दो शिलालेखों का उल्लेख किया है, जो वर्ष 1528 ए. डी. में उसके निर्माण से संबंधित हैं । उसने मस्जिद में प्रयुक्त कसौटी पत्थर के स्तंभों को भी निर्दिष्ट किया, जो उसके अनुसार बौद्ध स्तंभों से मेल खाते हैं । उसने इन बातों के आधार पर परिकल्पना की कि 'यदि तत्समय अजुधिया विशाल नगर न होकर के एक छोटा नगर था, तो भी इस नगर में कम से कम जन्मस्थान में एक सुंदर मंदिर अवश्य विद्यमान होता; अनेक लोगों के लिए इस मंदिर में स्तंभों की कतारें, जिनको मुसलमानों द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण में प्रयोग किया गया, आज भी विद्यमान है और भली-भांति संरक्षित हैं ।'

कारनेजी ने 1855 के अग्निकांड का वृत्तांत भी उपलब्ध कराया :–

> "**हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद** – जन्मस्थान हनुमानगढ़ी से कुछ सौ कदमों के भीतर स्थित है । वर्ष 1855 ए. डी. में जब हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य एक बड़ा संघर्ष घटित हुआ, तब हिंदुओं ने बलपूर्वक हनुमानगढ़ी का कब्जा ले लिया, जबकि मुसलमानों ने जन्मस्थान का कब्जा ले लिया । उस अवसर पर मुसलमानों ने वास्तव में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर आग लगा दी थी किंतु उनको वहां से खदेड़ दिया गया था और उनको काफी हानि का सामना करना पड़ा था । तत्पश्चात् हिंदुओं ने इस सफलता का उत्सव मनाया और उन्होंने तीसरे प्रयास में जन्मस्थान का कब्जा भी ले लिया, जिसके द्वार पर 75 मुसलमान 'शहीदों की कब्रों' (गंज-ए-शाहिद) में दफन किए गए । इन घटनाओं को राजा के समस्त सैन्य-दल समस्त समय बिंदुओं पर देख रहे थे । किंतु उनको मध्यक्षेप करने के आदेश नहीं थे । यह कहा जाता है कि उस समय तक हिंदू और मुसलमान एक साथ मस्जिद-मंदिर में

उपासना करते थे । ब्रिटिश शासन के दौरान विवादों को रोकने के लिए एक घेरा स्थापित कर दिया गया था, जिसके भीतर मुसलमान मस्जिद में उपासना करते थे, जबकि इसी घेरे के बाहर हिंदुओं ने एक चबूतरे का निर्माण कर लिया था, जिस पर वे अपनी उपासना करते थे ।"

कारनेजी का वृत्तांत हिंसा की घटना के लगभग 15 वर्षों के पश्चात् का है, जिस हिंसा के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासकों द्वारा दोनों समुदायों को उनके उपासना के क्षेत्रों में एक दूसरे से पृथक् रखने के प्रयोजनार्थ एक घेरा स्थापित कर दिया गया था । श्री जीलानी ने कारनेजी के वृत्तांत, जहां तक उसमें हिंदुओं और मुस्लिमों, दोनों समुदायों द्वारा घटना के पूर्व 'मस्जिद-मंदिर' के भीतर एक साथ उपासना का उल्लेख है, को चुनौती दी । कारनेजी वस्तुतः सावधान थे जब उसने यह मताभिव्यक्ति की कि 'यह कहा गया है' कि उस समय तक मुस्लिम और हिंदू मस्जिद के भीतर एक ही प्रकार से उपासना करते थे । किंतु इस वृत्तांत में यह उपदर्शित किया गया है कि घटना के पश्चात् घेरा अवरोध के रूप में स्थापित किया गया था, जो दोनों समुदायों को धार्मिक उपासना के दौरान एक दूसरे से पृथक् करता था – भीतरी बरामदे में मुस्लिम और बाहरी बरामदे में हिंदू । यह महत्वपूर्ण है कि कारनेजी का वृत्तांत हिंदुओं द्वारा चबूतरे के निर्माण को मस्जिद के बाहर घेरे के निर्माण के साथ संबद्ध करता है । उसके वृत्तांत के अनुसार हिंदुओं ने घेरे के निर्माण के परिणामस्वरूप अपनी पूजा पद्धति के आधार पर बहिष्कार का सामना करने के कारण घेरे के बाहर चबूतरे का निर्माण कर लिया होगा । किंतु बाद में किए गए अन्वेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि चबूतरे का निर्माण घेरे के अतिनिकट किया गया था, जहां से उस स्थान की ओर आह्वान करते हुए उपासना की जाती थी और चढ़ावा चढ़ाया जाता था, जिस बाबत हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान होने का विश्वास करते थे ।

581. **द इम्पीरियल गज़ेटियर आफ इंडिया (1908)** में एक 'विशाल टीले' का उल्लेख है, जिसे 'रामकोट या राम का किला' के नाम से जाना

जाता था और जिसके एक कोने में वह पवित्र स्थल विद्यमान था, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था । इस गज़ेटियर में अभिलिखित है कि इस किले का अधिकांश स्थान बाबर द्वारा पुराने मंदिर के अवशेषों से निर्मित मस्जिद के अधिभोग में है । इस गज़ेटियर में बाहरी भाग में राम चबूतरे के विद्यमान होने का भी उल्लेख यह अभिलिखित करते हुए किया गया है कि यह स्थान भगवान राम के 'जन्मस्थान का द्योतक है' । इस गज़ेटियर में जन्मस्थान के अतिनिकट सीता रसोई की उपस्थिति का भी उल्लेख है ।

582. **द डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर आफ फैज़ाबाद (1960)**[*] में चंद्रगुप्त प्रथम को उस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होने का श्रेय प्रदान किया गया है, 'जो साकेत (अवध) और प्रयागराज (इलाहाबाद) तक फैला हुआ था' । अयोध्या के पुनर्स्थापन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में उज्जैन के विक्रमादित्य को दिया जाता है । इस गज़ेटियर में उल्लेख है कि चीनी यात्री ह्वेन त्सांग (630-644 ए. डी.) अवध से गुजरा था और उसने यहां पर 'सौ बौद्ध मठों, तीन हजार से अधिक महायानी और हिनयानी भिक्षुकों, केवल दस देवा (गैर बौद्ध देवताओं) के मंदिरों और गैर बौद्ध जनता, जो संख्या में बहुत कम थी' की विद्यमानता का उल्लेख किया है । इस गज़ेटियर के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में हिंदुओं का यह विश्वास फैला हुआ था कि यहां पर भगवान राम का जन्मस्थान है, जो मस्जिद के अधिभोग में है । इस गज़ेटियर द्वारा यह दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिर के अवशेषों द्वारा किया गया । इस गज़ेटियर में यह उल्लेख किया गया है कि बाहरी भाग में एक लघु चबूतरा और पूजा स्थल स्थित है, जिसे जन्मस्थान के रूप में चिह्नित किया जाता है ।

583. जीलानी ने अपने निवेदनों के दौरान गज़ेटियरों और यात्रा वृतांतों का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित प्रतिपादनाएं सूत्रबद्ध कीं :–

> (i) वर्ष 1528 ए. डी. में मस्जिद के निर्माण से वर्ष 1949 तक हिंदुओं के इस विश्वास को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि भगवान राम का जन्मस्थान

[*] उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, फैजाबाद द्वारा श्रीमती ईशा बसंत जोशी (1960 संस्करण).

मस्जिद के मध्य गुंबद के नीचे स्थित था;

(ii) वर्ष 1828 ए. डी. से आज तक मस्जिद के भीतर हिंदुओं की उपासना की निरंतरता को दर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है;

(iii) राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान है;

(iv) जन्मस्थान के रूप में राम चबूतरे की पुष्टि इस तथ्य द्वारा की गई है कि वर्ष 1855 के वाद में वादी ने भीतरी बरामदे के संबंध में किसी अनुतोष की ईप्सा नहीं की;

(v) वर्ष 1989 के वाद संख्या 5 में जन्मस्थान की संकल्पना को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया और इसके पूर्व यह विश्वास विद्यमान नहीं था कि केंद्रीय गुंबद भगवान राम का जन्मस्थान है; और

(vi) भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में मध्य गुंबद को चिह्नित किए जाने का अभिमत केवल वाद संख्या 5 के साक्षियों के कथनों से उद्भूत होता है ।

जीलानी द्वारा प्रतिपादित किया गया सूत्र कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान है, दो परिप्रेक्ष्यों के आधार पर महत्वपूर्ण हो जाता है – प्रथम परिप्रेक्ष्य यह है कि भीतरी और बाहरी बरामदों समेत संपूर्ण स्थल एक सम्मिलित संपत्ति है, इस संपत्ति में साम्राज्यवादी सरकार द्वारा घेरे का निर्माण शांति, न्याय और व्यवस्था के संरक्षण के उपाय के रूप में किया गया था । द्वितीय परिप्रेक्ष्य यह है कि जीलानी के निवेदन से यह अनुध्यात होता है : (i) इस स्थिति की स्वीकार्यता कि जन्मस्थान ऐसे क्षेत्र में है, जो विवादित स्थल (उनके अनुसार राम चबूतरा) के अंतर्गत आता है; और (ii) राम चबूतरा, जिसको घेरे के तुरंत बाद निर्मित किया गया, के भौतिक रूप से घेरे के अतिनिकट होने के बिंदु से इनकार नहीं किया गया है ।

यात्रावृत्तांतों, गज़ेटियरों और पुस्तकों का साक्ष्यिक मूल्य

584. वाद संख्या 4 में वादी की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान् काउंसेल डा. राजीव धवन ने दलील दी कि यात्रा वृतांतों और गज़ेटियरों

को समाविष्ट करने वाली ऐतिहासिक सामग्री को सावधानी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । डा. राजीव धवन ने दलील दी :–

(i) हक के विवाद्यक ऐतिहासिक कार्यों, ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों के आधार पर निर्णीत नहीं किए जा सकते;

(ii) न्यायालय को वाद संख्या 5 में वादियों के काउंसेल, जिन्होंने बिना किसी परीक्षण वाली ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर अनुमान निकालने का प्रयास किया, द्वारा अंगीकृत किए गए दृष्टिकोण का अनुगमन नहीं किया जाना चाहिए; और

(iii) इतिहास को इतिहासलेखन का सहारा लिए बिना नहीं पढ़ा जा सकता या उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता ।

डा. धवन ने न्यायमूर्ति एस. यू. खान और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा अपनाई गई प्रणाली से इस आधार पर इनकार किया कि उनके द्वारा किया गया विश्लेषण अनुमानिक कार्यों पर आधारित है । उन्होंने यह विवाद्यक उठाते हुए कि अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता को गज़ेटियरों में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है, निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक सामग्री का अवलंब लिया है और इसलिए उनसे आवश्यक रूप से यह प्रश्न किया जाना चाहिए (जैसाकि उन्होंने वर्णित किया) 'कि वे अनुमान के आधार पर किसी निर्णय पर कैसे पहुंचे ।

585. हम पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों का विश्लेषण करते हुए आरंभिक प्रक्रम पर ही **फरजंद अली** बनाम **जफ़र अली**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का उल्लेख करते हैं । उस मामले में मस्जिद के मुत्वल्ली और प्रतिवादियों, जो स्वर्गीय इमाम के वंशज थे, के मध्य कतिपय संपत्तियों के बाबत विवाद था । मुत्वल्ली ने इन संपत्तियों पर धार्मिक बंदोबस्ती का भाग मानते हुए दावा किया था । न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :–

"हम यह मानने के लिए आनत हैं कि <u>किसी संपत्ति पर हक का प्रश्न साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ ऐतिहासिक पुस्तकों के</u>

[1] (1918) 46 आई. सी. 119.

प्रयोग को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता । हमारे विचार में किसी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्था और किसी निजी व्यक्ति के माध्यम से किसी मस्जिद के न्यासियों के मध्य विवाद का प्रश्न उक्त धारा के अर्थान्तर्गत 'सार्वजनिक इतिहास का मामला' नहीं माना जा सकता ।

अत: हमको इस साक्ष्य को विचारण से अपवर्जित कर देना चाहिए और हम यह नहीं समझते कि यह अपवर्जन मामले के परिणाम पर कोई प्रभाव रखेगा । उपरोक्त दोनों पुस्तकों में समाविष्ट वर्णन वादी के मामले पर किसी मूल्यांकन की सीमा तक कोई निश्चायक प्रभाव नहीं रखते और वास्तव में ये वर्णन अभिलेख पर उपलब्ध ग्रहण किए जाने योग्य अन्य साक्ष्य से एकत्रित किए जा सकते हैं ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा **कर्नाटक बोर्ड आफ वक्फ़** बनाम **भारत सरकार**[1] वाले मामले में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें न्यायमूर्ति राजेन्द्र बाबू ने यह मताभिव्यक्ति की कि :–

"8. ...जहां तक सिविल प्रकृति के हक से संबंधित किसी वाद का संबंध है, ऐसे मामलों में ऐतिहासिक तथ्यों और दावों के लिए कोई स्थान नहीं होता । किसी मामले से जुड़े हुए तथ्यों की सीमारेखा से सटे हुए इतिहास के तथ्य त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाएंगे । ऐसे मामलों में वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में समाधान का प्रश्न 'स्वामित्व के तथ्य, कब्जा और हक' होता है । केवल ग्रहण किए जाने योग्य साक्ष्य और अभिलेख इसको साबित करने में सहायता कर सकते हैं ।"

---

[1] (2004) 10 एस. सी. सी. 779.

586. 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 57* में उन तथ्यों की व्याख्या की गई है, जिनका न्यायालय द्वारा न्यायिक संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए । इस धारा में ऐसे तथ्यों की 13 कोटियों, जिनका न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है, का उल्लेख किए जाने के पश्चात्

---

*__57. वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी__ – न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा –

(1) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां;

(2) यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या एतत्पश्चात् पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक ऐक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल ऐक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अवेक्षा की जाए ;

(3) भारतीय सेना नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली;

(4) यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की, भारत की संविधान सभा की, संसद् की तथा किसी प्रांत या राज्यों में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अधीन स्थापित विधानमंडलों की कार्यवाही का अनुक्रम;

(5) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राजहस्ताक्षर;

(6) वे सब मुद्राएं, जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं, भारत में के सब न्यायालयों की और केंद्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं, नावधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी ऐक्ट या भारत में विधि या बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है;

(7) किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरुद्ध व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो;

(8) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या प्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज;

(9) समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन;

(10) भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्यक्षेत्र;

(11) भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारम्भ, चालू रहना और पर्यवसान;

(12) न्यायालय के सदस्यों और आफिसरों के तथा उनके उपपदीयों और अधीनस्थ आफिसरों और सहायकों के और उसकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब आफिसरों के भी, तथा सब अधिवक्ताओं, अटर्नियों, प्रोक्टरों, वकीलों, प्लीडरों और उसके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम;

(13) भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम ।

इन सभी मामलों में, तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा ।

यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अवेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे, जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा ।

यह अनुध्यात किया गया है कि ऐसे समस्त मामलों में और सार्वजनिक इतिहास, साहित्य, विज्ञान और कला के भी समस्त मामलों में न्यायालय संदर्भ के प्रयोजनार्थ समुचित पुस्तकों या दस्तावेजों का आश्रय ले सकता है । उपरोक्त उपबंध न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक इतिहास के मामलों में 'अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ' पुस्तकों और संदर्भ ग्रहण किए जाने योग्य दस्तावेजों का आश्रय लेने के लिए समर्थ बनाता है ।

587. यद्यपि वाद संख्या 5 में प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसेल और हिंदू पक्षों की ओर से उपस्थित हो रहे अन्य काउंसेलों द्वारा गज़ेटियरों का अत्यधिक अवलंब लिया गया है, फिर भी यह आवश्यक है कि उन गज़ेटियरों को विधि के सिद्धांतों, जो गजेटियरों का अवलंब लिए जाने वाली विधि को शासित करते हैं, के संदर्भ में पढ़ा जाए ।

588. 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 81* न्यायालय से यह अपेक्षा करती है कि न्यायालय ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की सत्यता के बाबत उपधारणा करेगा, जिसको किसी शासकीय गज़ट या सरकारी गज़ट में प्रकाशित किया गया हो और वह या सरकारी गज़ट किसी उपनिवेश, जो ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो या उनके कब्जे में हो, द्वारा प्रकाशित किया गया हो । धारा 81 ऐसे दस्तावेजों की सत्यता के बाबत उपधारणा करती है, न की उसकी अंतर्वस्तु के बाबत । जब न्यायालय को सार्वजनिक प्रकृति के किसी तथ्य की विद्यमानता के बाबत अपनी राय स्थिरीकृत करनी होती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 37* यह

---

* **81. राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं** – न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लंदन गज़ट, या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचारपत्र या जर्नल होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के प्राइवेट ऐक्ट की क्वींस प्रिंटर द्वारा मुद्रित प्रति होना, तात्पर्यित तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारत: उस प्ररूप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा ।

* **37. किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति**– जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के ऐक्ट में या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटिटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लंदन गज़ट या हिज मैजेस्टी के किसी डोमिनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है ।

उपदर्शित करती है कि किसी भी दस्तावेज के बाबत सरकारी राजपत्र में किया गया कोई भी कथन सुसंगत तथ्य होगा । यद्यपि गज़ेटियरों का उल्लेख इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों में लिया गया है, फिर भी इस बात का उल्लेख किया जाना सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होगा कि उनका अवलंब पुष्टिकरण सामग्री की प्रकृति में अधिक लिया जाना चाहिए ।

589. **राजा मुट्टू रामलिंगा सेतुपति** बनाम **पेरियानायागुम पिल्लई**[1] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल किए गए आक्षेप पर इस आधार पर विचार किया कि कलक्टरों की रिपोर्टों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है । प्रिवी कौंसिल ने इस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया :–

> "माननीय न्यायाधीशों का यह विचार है कि इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि <u>जब इन रिपोर्टों में पक्षों के निजी अधिकारों पर विचार व्यक्त किए गए हैं, तो ऐसे विचारों को न्यायिक प्राधिकार या बल रखने वाले विचार नहीं माना जा सकता</u> । किंतु चूंकि यह रिपोर्टें लोक अधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यपालन के अनुक्रम और कानूनी प्राधिकार के अंतर्गत तैयार की गई हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि <u>इन रिपोर्टों पर गहनतापूर्वक विचार किया जाए, चूंकि ये रिपोर्टें शासकीय कार्यवाहियों और ऐतिहासिक तथ्यों के बाबत सूचना प्रदान करती हैं</u> और यह भी कि चूंकि यह रिपोर्टें पक्षों के संबंध में उनके आचरण और कार्यों के बाबत स्पष्टीकरण दिए जाने के प्रयोजनार्थ सुसंगत हैं और सरकार की कार्यवाहियां उन्हीं पर आधारित हैं ।"
>
> (अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

प्रिवी कौंसिल ने कलक्टर की रिपोर्ट के प्रयोग के विरुद्ध निजी अधिकारों से संबंधित मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए चेतावनी दी । किंतु जहां तक शासकीय कार्यवाहियों या ऐतिहासिक तथ्यों के अभिलेखों

---

[1] (1873-74) 1 आई. ए. 209.

का संबंध है और उनके संबंध में पक्षों के आचरण को स्पष्ट किया जाना है, तो वे लाभदायक सामग्री उपलब्ध कराती हैं ।

गुलाम रसूल खान बनाम **सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल**[1] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> "सार्वजनिक दस्तावेजों में समाविष्ट कथन इन आधारों पर कि उनको जनता के प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा शासकीय कर्तव्य के अनुक्रम के दौरान किया गया है और वे उन तथ्यों से संबंधित हैं, जो लोकहित के हैं या जिनको समुदाय के लाभार्थ अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है, पर तथ्यों को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ विचार योग्य होते हैं – टेलर द्वारा लिखित ला आफ इविडेंस, दसवां संस्करण, पृष्ठ 1591 । अनेक मामलों में वास्तव में, लगभग सभी मामलों में अनेक वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् यह असंभव होगा कि इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए कि ऐसे दस्तावेजों में समाविष्ट कथन वास्तव में सत्य थे और यही वह कारण था कि इस प्रकार का कोई भी अपवाद अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के बाबत बनाया गया है ।"
>
> (अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

इस न्यायालय ने **सुखदेव सिंह** बनाम **महाराजा बहादुर ऑफ गिधौर**[2] वाले मामले में एक जमींदारी की प्रकृति को छान-बीन की और इस संदर्भ में जिला गज़ेटियर का परीक्षण किया । माननीय न्यायालय ने मताभिव्यक्त की :–

> "यह आवश्यक नहीं है कि गज़ेटियर में समाविष्ट कथन आवश्यक रूप से निश्चायक हों, किंतु गज़ेटियर कुछ महत्व वाला शासकीय दस्तावेज अवश्य होता है, चूंकि इसको अनुभवी अधिकारियों द्वारा शासकीय अभिलेखों से तथ्य अभिप्राप्त किए जाने के पश्चात्

---

[1] (1925) एस. सी. सी. ऑनलाइन प्रिवी कौंसिल 12.

[2] [1951] एस. सी. आर. 534.

अत्यधिक सावधानीपूर्वक संयोजित किया जाता है । जैसाकि मुख्य न्यायमूर्ति डॉसन मिलर ने **फूलबती** (ए. आई. आर. 1923 पटना 453) वाले मामले में कहा है, ऊपर उद्धृत कथन के पश्चात्वर्ती भाग में कुछ अशुद्धियां हैं । किंतु जहां तक इसके पूर्ववर्ती भाग का संबंध, यह प्रतीत होता है कि इसने उन दस्तावेजों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त किया है, जिनको संदर्भित किया गया है ।"

न्यायालय ने उपरोक्त उद्धरण में गज़ेटियर का अवलंब यह उल्लेख करते हुए सावधानीपूर्वक लिया कि यह 'आवश्यक रूप से निश्चायक' नहीं है बल्कि 'कुछ महत्व' का अवश्य है । वह भाग जिसका अवलंब न्यायालय द्वारा लिया गया और जैसाकि उस भाग में उल्लिखित है, में दस्तावेजों से पर्याप्त मात्रा में समर्थन अभिप्राप्त किया गया और वे दस्तावेज इसके आधार हैं । अन्य दस्तावेजों का अवलंब नहीं लिया गया । न्यायालय ने उनके पुष्टीकारक महत्व का स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण किया । उसने एक भाग को अस्वीकृत कर दिया और वह भाग जिसको उसने स्वीकार किया, अन्य दस्तावेजी सामग्री से समर्थन प्राप्त पाया गया । अन्य शब्दों में गज़ेटियर की अंतर्वस्तु, जहां तक वे स्वीकार किए जाने योग्य थे, पुष्टीकारक थे ।

590. न्यायमूर्ति रघुबर दयाल ने **महंत श्री श्रीनिवास रामानुज दास** बनाम **सूरज नारायण दास**[1] वाले मामले में 1908 के ओ मैले के पुरी गज़ेटियर की अंतर्वस्तु, जिसमें मठ के इतिहास का वर्णन किया गया था, पर विचार करते हुए मताभिव्यक्ति की :–

"अपीलार्थी की यह दलील है कि गज़ेटियर में जो कुछ भी कहा गया है, साक्ष्य नहीं माना जा सकता । गज़ेटियर में किए गए कथनों का हक से संबंधित साक्ष्य के रूप में अवलंब नहीं लिया जा सकता, किंतु मठ और उसके प्रधान द्वारा अपनाई जा रही प्रथा और ऐतिहासिक सामग्री को उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ

[1] [1966] (सप्ली.) एस. सी. आर. 436.

लिया जा सकता है । गज़ेटियर की सहायता सार्वजनिक इतिहास के मामलों में भी ली जा सकती है ।"

उपरोक्त मताभिव्यक्तियों से यह उपदर्शित होता है कि गज़ेटियर में किए गए कथनों का अवलंब हक से संबंधित साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, किंतु मठ द्वारा अपनाई जा रही प्रथा से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ लिया जा सकता है । हक के दावे के स्रोत के रूप में गज़ेटियर, (जो अननुज्ञेय है) और सार्वजनिक इतिहास के मामलों पर निदेश सामग्री (जिस पर न्यायालय सम्यक् रूप से सावधानी बरते हुए समुचित सीमा तक विचार कर सकती है) का अवलंब लिए जाने के मध्य स्पष्ट रूप से अंतर किया जाना चाहिए ।

बिमला बाई बनाम **हीरा लाल गुप्ता**[1] वाले मामले में यह विवाद्यक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ कि क्या कोई महिला अपने मातृ पक्ष से पुरुष धारक की पांच पीढ़ियों के भीतर किसी संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त करने की हकदार है । इस मामले में इस न्यायालय ने इनाम रजिस्टर के विवाद्यक पर मताभिव्यक्ति की कि इस रजिस्टर की 'अत्यधिक साक्ष्यिक मूल्य' है । किंतु इस रजिस्टर की प्रविष्टियों पर अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के संदर्भ में विचार किया जाएगा । इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने प्रवास के संदर्भ में 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 और धारा 57 (13) के उपबंधों पर विचार करते हुए यह मताभिव्यक्ति की :–

> "4. ... यह स्पष्ट है कि प्रवास के बारे में अवधारणा नहीं की जा सकती, किंतु इसको साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के द्वारा साबित किया जाना चाहिए । तत्पश्चात् यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अपील के प्रक्रम पर इंदौर राज्य के राजपत्र में समाविष्ट वृत्तांत का अवलंब लिया जा सकता है और क्या यह इस बात को साबित किए

[1] (1990) 2 एस. सी. सी. 22.

जाने का एकमात्र आधार सृजित कर सकता है कि वादी का परिवार उत्तर प्रदेश के मथुरा से प्रवासी था । 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 अनुध्यात करती है कि सरकारी राजपत्र में किया गया कोई भी सार्वजनिक प्रकृति का कथन सुसंगत तथ्य होगा । धारा 57(13) घोषणा करती है कि लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के समस्त विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता से ले सकेगा और धारा 81 समुचित अभिरक्षा से संबंधित राजपत्रों की सत्यता के बारे में उपधारणा करती है । फिपसन द्वारा लिखित इविडेंस द कॉमन ला लाइब्रेरी (तेरहवां संस्करण) के पृष्ठ 510, पैरा 25.07 में अभिकथित है कि सरकारी राजपत्र ... ग्रहण किए जा सकते हैं और (अनेक अवसरों पर जनता के निश्चायक) साक्ष्य होते हैं, किंतु उनमें (राजपत्रों में) समाविष्ट निजी मामलों के संबंध में नहीं...।

5. कतिपय मामलों में निजी मामलों या ऐतिहासिक तथ्यों पर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में किए गए शासकीय राजपत्र में समाविष्ट तथ्यों के कथन तथ्यों पर आधारित सर्वोत्तम साक्ष्य होते हैं और उन पर सम्यक् रूप से विचार किया जाना चाहिए किंतु उनको न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित मामलों के संबंध में निश्चायक नहीं माना जाना चाहिए । किसी समुचित मामले, जिसमें अभिलेख पर विवादित तथ्य को साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु यह पर्याप्त नहीं होगा कि उस पर किसी निष्कर्ष को अभिलिखित किया जाए, अतः शासकीय राजपत्र में निजी मंदिरों के प्रबंधन या निजी व्यक्तियों इत्यादि के हैसियत के ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित तथ्यों के कथनों का अवलंब संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उनके बाबत और अधिक सबूत की ईप्सा किए बिना लिया जा सकता है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

'कतिपय मामलों' में निजी मामलों या ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए तथ्यात्मक कथन, जिनको राजपत्र में समाविष्ट किया गया हो, तथ्य आधारित सर्वोत्तम साक्ष्य होते हैं और उन पर 'सम्यक् रूप से विचार' किया जाना चाहिए । तथापि, उनको न्यायिक न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित मामलों पर निश्चायक साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए । हक के प्रश्न के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ विवाद्यक होते हैं । हक के परस्पर विरोधी दावों में न्यायिक न्यायनिर्णयन अपेक्षित होता है । इतिहास के पाठ या गज़ेटियर में समाविष्ट कथन हक के विवाद्यक को निर्णीत नहीं कर सकते ।

591. **बालाशंकर महाशंकर भट्टजी** बनाम **चेरिटी कमिश्नर, गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में यह विवाद्यक विचारणार्थ उद्भूत हुआ कि क्या पावागढ़ स्थित कालिका मंदिर 1950 के बाम्बे लोक न्यास अधिनियम के अर्थान्तर्गत लोक न्यास है । इस संदर्भ में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> "... यह देखा गया है कि बाम्बे प्रेसिडेंसी का गज़ेटियर, खंड 3, जो वर्ष 1879 में प्रकाशित किया गया 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 सपठित धारा 81 के अधीन साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य हैं । राजपत्र, जो सार्वजनिक मामलों के बाबत साक्ष्य उपलब्ध कराता है, शासकीय अभिलेख होने के नाते साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य होता है और न्यायालय उसमें समाविष्ट अंतर्वस्तु के सत्य होने की अवधारणा कर सकता है । उसमें समाविष्ट कथनों पर उसमें समाविष्ट ऐतिहासिक सामग्री की खोज किए जाने के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है और उसमें अभिकथित तथ्य धारा 45 के अधीन साक्ष्य होते हैं और न्यायालय अन्य साक्ष्य और परिस्थितियों के सामंजस्य में प्रश्नगत

[1] (1995) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 485.

विवाद के न्यायनिर्णयन पर विचार कर सकता है, यद्यपि, इसको निश्चायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

अन्य शब्दों में केवल राजपत्र को निश्चायक प्रकृति का स्वतंत्र साक्ष्य नहीं माना गया । न्यायालय ने उपरोक्त उद्धरण में एक सावधानी की तरफ संकेत किया है । राजपत्र की अंतर्वस्तु को अन्य साक्ष्य और परिस्थितियों के सामंजस्य में पढ़ा जा सकता है । उन पर विचार किया जा सकता है किंतु वे निश्चायक साक्ष्य नहीं होंगे । [**आलियाथम्मुदा बीथाथिय्याप्पुरा पोकोया** बनाम **पट्टक्कल चेरियाकोया**[1] वाला मामला भी देखें ।]

शेष आगामी अंक में.....

[1] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन 953.

गतांक से आगे.....

अध्याय 6

प्रकीर्ण

25. **अननुपालन के लिए शास्ति** – जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

26. **प्रत्यायोजित करने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

27. **केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण करा सकेगी, और यदि आवश्यक हो तो

स्कीम की निधियों के निर्मोचन को रोकने का आदेश कर सकेगी और उचित कालावधि के भीतर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारी उपाय कर सकेगी ।

28. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना** – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कोई ऐसी राज्य अधिनियमिति विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ग्रामीण गृहस्थी में अर्धकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियमित की जाती है, जिसके अधीन गृहस्थी की हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्तें उससे न्यूनतर नहीं हैं, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारंटी दी गई है, वहां राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता, संबद्ध राज्य सरकार को ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी, जो उससे अधिक न होगी, जिसे वह राज्य इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने का तब हकदार होता जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती ।

29. **अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति** – (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

30. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

31. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(ग) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय मदों की लागत को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न से संबंधित नियम ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है ।

32. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वे निबंधन और शर्तें जिन पर धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन बेकारी भत्ते के लिए पात्रता अवधारित की जा सकेगी ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और राज्य परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(घ) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत प्रतितोष तंत्र और धारा 19 के अधीन ऐसे मामले में अनुसरण की जाने की प्रक्रिया ;

(ङ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य निधि को प्रशासित कर सकेगा और वह रीति जिसमें वह राज्य निधि को धारित करेगा ;

(छ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन श्रमिकों के नियोजन के बही खाते और व्यय रखे जाने की रीति ;

(ज) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रबंध ;

(झ) वह प्ररूप और रीति जिसमें स्कीम के लेखाओं को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रखा जाएगा ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है ।

33. **नियमों और स्कीमों का रखा जाना** – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के, जहां दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

34. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची 1

[धारा 4(3) देखिए]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

[1][1. धारा 4 के अधीन सभी राज्यों द्वारा, अधिसूचित स्कीम का संक्षिप्त नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' होगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)' का उल्लेख होगा ।

1क. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को, इसमें इसके पश्चात् 'महात्मा गांधी एनआरईजीएस' कहा जाएगा और

[1] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा अंत:स्थापित ।

स्कीम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के प्रति किसी संदर्भ को 'महात्मा गांधी नरेगा' कहा जाएगा ।]

[1][1ख. स्कीम का केंद्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसका पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयां, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है ;

(ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी हैं ;

(iii) सिंचाई नहरें जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;

(iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध ;

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है ;

(vi) भूमि विकास ;

(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का सन्निर्माण ;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो,

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

पुलिया और सड़कें भी हैं ;

(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ;

(x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म ;

(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म ;

(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मतस्य पालन जैसे मत्सय संबंधी संकर्म ;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाए ।]

[1][1ग. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधिव्यजन और ऋण राहत

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किए जाएंगे ।

1घ. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा ; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे ।]

[1]* * * *

2. टिकाऊ आस्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा ।

[2][3. स्कीम के अधीन किए गए कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे, अर्थात् :–

(क) प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष पहचान सं. दी जाएगी ;

(ख) सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिनके पास जॉब कार्ड है और जिन्होंने कार्य की मांग की है ;

(ग) 18 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

---

[1] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;]

(ङ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जाएगी और ऐसी मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और समुचित रूप से संख्यांकित नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जाएगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी जाएगी ;

(च) कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्य स्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे ;

(छ) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखे जाएंगे ;

(ज) जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं सप्ताह में कम से कम एक बार उनके कार्य स्थल के सभी बिलों और वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिए साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से कम से कम पांच कर्मकारों का चयन किया जाएगा ;

(झ) अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्य स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ञ) कार्य का मापमान कार्य स्थल के भारसाधक अर्हित तकनीकी कार्मिक द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा ;

(ट) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ;

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ठ) प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ;

(ड) कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर मांग किए जाने पर मस्टर रोलों के प्रति पहुंच रखने के लिए योग्य होगा ; और

(ढ) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी ।]

[1]* * * *

[2][5. राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी ।]

[1]* * * *

[2][7. राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी ।]

[3][8. (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि [4][विश्राम के एक घंटे सहित] नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतया

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके ।

(2) किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस, जिसके अन्तर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस में बारह घंटे से अधिक न हों ।]

[1][8क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो ।]

9. कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, [2][प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर] कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

10. कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है, यह निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे ।

11. स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

12. यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं ।

[2][13. प्रत्येक स्कीम में, कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबंध होंगे :–

---

[1] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन :

(i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के संबंध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य दिवस के अंत में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और संदत्त मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा, मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा ;

(ii) ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के संप्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंतर्गत नियोजन के उपबंधों से संबंधित जानकारी, प्राप्त निधियां और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे ; और

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाए तथा नि:शुल्क डाउनलोड की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी :

[1]* * * *

14. किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के पूरा किए जाने के लिए संदत्त मजदूरी, किए गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उपबंध किए जाएंगे ।

15. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर

[1] का. आ. 1484 (अ), तारीख 30.6.2011 द्वारा लोप किया गया ।

स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों तथा उपलब्धियों सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति, जनता को मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपलब्ध कराई जाएगी ।

[1][16. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात् ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।]

17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात्, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

[1] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अनुसूची 2

[धारा 5 देखिए]

किसी स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां

1. प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य, जो –

(i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और

(ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं,

उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कहा गया है) को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, जॉब कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

[1][2. (1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और गृहस्थी के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के निम्नलिखित आवश्यक ब्यौरों वाला एक जॉब कार्ड जारी करें, अर्थात् :–

(i) जॉब कार्ड संख्या ;

(ii) गृहस्थी के सदस्य-वार कार्य की मांग और आबंटन ;

(iii) किए गए कार्य का वर्णन ;

(iv) कार्य करने की तारीखें और दिन ;

(v) उस मस्टर रोल का संख्यांक, जिसके द्वारा मजदूरी संदत्त की गई ;

(vi) संदत्त मजदूरी की रकम ;

(vii) बेकारी भत्ता, यदि कोई संदत्त किया गया हो ;

---

[1] का. आ. 802 (अ), तारीख 2.4.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(viii) डाक महसूल लेखा/बैंक खाता संख्या ;

(ix) बीमा पॉलिसी संख्या ; और

(x) मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, यदि कोई हो, संख्या ।

[1][(xi) आधार संख्या, यदि जारी की गई हो ।]

(2) जॉब कार्ड पर सभी प्रविष्टियां प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होंगी ;

(3) उप पैरा (1) के अधीन जारी जॉब कार्ड पर गृहस्थी के केवल उन्हीं रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के फोटो होंगे, जिनको जॉब कार्ड जारी किया गया है ।

(4) गृहस्थी के ऐसे रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों, जिनका वह जॉब कार्ड हो, से भिन्न किसी व्यक्ति का फोटो, नाम या ब्यौरे जॉब कार्ड पर चिपकाए या अभिलिखित नहीं किए जाएंगे ।

(5) सभी जॉब कार्ड उन जॉब कार्डधारकों की अभिरक्षा में रहेंगे, जिनके वे हैं ।]

3. पैरा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए जो स्कीम में अधिकथित की जाए किन्तु किसी भी मामले में पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किया जाएगा, और इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा ।

4. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम जॉब कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

5. किसी गृहस्थी के सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार, उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए प्रत्येक आवेदक अनुरोध करे, किसी वित्तीय वर्ष में

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्रति गृहस्थी अधिकतम एक सौ दिनों के अधीन रहते हुए, नियोजन के हकदार होंगे ।

6. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पैरा 5 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक को, स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य दिया जाएगा :

परंतु यह कि महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने अनुरोध किया है ।

7. कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिनों के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए ।

8. गृहस्थी की संपूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, या उसको वस्तुतः दिए गए नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी ।

9. कार्य के लिए आवेदन, लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को, जैसा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे ।

10. यथास्थिति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी वैध आवेदन स्वीकार करने और आवेदक को तारीख सहित रसीद जारी करने के लिए आबद्ध होंगे । समूह आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

11. ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, जॉब कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकर और जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।

12. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा ।

[1][13. स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं ।]

14. यदि नियोजन [2][पैरा 12 में विनिर्दिष्ट त्रिज्या] के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।

[2][15. नियोजन की अवधि कम से कम लगातार चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक की होगी ।]

16. उन सभी मामलों में जहां बेकारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना शोध्य है वहां कार्यक्रम अधिकारी, लिखित रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक को वे कारण सूचित करेगा कि उसके लिए आवेदकों को नियोजन प्रदान करना या नियोजन प्रदान कराना क्यों संभव नहीं था ।

17. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण देगा कि उन मामलों में जहां बेकारी भत्ते का संदाय अंतर्वलित है, नियोजन क्यों नहीं प्रदान किया जा सका था ।

18. स्कीम में अग्रिम आवेदन के लिए, अर्थात् ऐसे आवेदनों के लिए जो उस तारीख से जिससे नियोजन चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उपबंध किया जाएगा ।

19. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने

---

[1] का. आ. 324 (अ), तारीख 6.3.2007 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

के बारे में उपबंध किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं होती ।

20. ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत जॉब कार्डों और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे ।

21. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके वयस्क सदस्यों के नाम और पते की सूचियां, ऐसी सूची तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर, ऐसे प्ररूप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी ।

22. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

23. यदि ग्राम पंचायत का किसी समय समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके उसके पास रजिस्टर कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्टर से उसका नाम काटने का निदेश दे सकेगी और आवेदक को जॉब कार्ड लौटाने का निदेश दे सकेगी :

परन्तु इस पैरा के अधीन ऐसी कार्यवाही तब तक निदेशित नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

24. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक

क्षति कारित होती है तो वह नि:शुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार का, जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है, हकदार होगा ।

25. जहां क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार उसके अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जिसके अंतर्गत आवास, उपचार, ओषधियां भी हैं, तथा दैनिक भत्ते के संदाय के लिए, जो संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित उस मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा, जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के कार्य में लगे होने पर होती, व्यवस्था करेगी ।

26. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन से उद्भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से नि:शक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रुपए की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या नि:शक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी ।

27. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

28. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी ।

29. पैरा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर पर संदाय किया जाएगा ।

30. यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

(1936 का 4) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[1][31. मजदूरी का भुगतान, [2][यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो] केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

32. हटा दिया जाए ।]

33. यदि किसी ऐसे व्यक्ति के, जो स्कीम के अधीन नियोजित है, साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो ऐसा व्यक्ति बालक के लिए नि:शुल्क ऐसा चिकित्सीय उपचार जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसकी मृत्यु या नि:शक्तता की दशा में, अनुग्रहपूर्वक संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

34. स्कीम के अधीन प्रत्येक नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

[3][35.(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 1, 3, 9 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और भूकंप की प्रकृति की राष्ट्रीय विपत्तियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के व्यापक विस्थापन की दशा में इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य :–

(i) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी जॉब कार्ड प्राप्त कर सकेंगे ;

---

[1] का. आ. 513 (अ), तारीख 19.2.2009 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] का. आ. 2188 (अ), तारीख 11.9.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे ; और

(iii) हानि या विनाश की दशा में जॉब कार्ड के पुनःरजिस्ट्रीकरण और पुनःजारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी जॉब कार्ड निवास के मूल स्थान पर पुनःपृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल जॉब कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

(3) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 100 दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी ।]

[1][36. अधिनियम या उसमें अनुसूची के अधीन प्राप्त शिकायतों या स्वप्रेरणा और अन्यथा उपबंधित से लिए गए संज्ञान पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :–

(क) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को उसके द्वारा रखे गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और शिकायत की अभिस्वीकृति सम्यक् रूप से संख्यांकित और तारीख सहित जारी करेगा ;

(ख) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(ग) किसी ग्राम पंचायत द्वारा, जो उस कार्यक्रम अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आती है शिकायतों का इसके अन्तर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें भी हैं, उनका अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन यथा विहित

[1] का. आ. 2999 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

सात दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा और यदि उस दशा में जब शिकायत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हल किए जाने के विषय से संबंधित है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा और विषय को ऐसे प्राधिकारी को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए सात दिन के भीतर निर्दिष्ट करेगा ;

(घ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में व्यतिक्रम होने पर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय होगा तथा ऐसी चूक के विरुद्ध शिकायतें जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास फाइल की जाएंगी ;

(ङ) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गई है ;

(च) राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रतिनिर्देश से किसी शिकायत की जांच कर सकेगा और दोषी साबित होने पर, दोषी पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा ;

(छ) यदि संबद्ध प्राधिकारी यह पाता है कि हकदारी का उल्लंघन है, तो वह व्यथित पक्षकार को सूचना देगा और पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी शिकायत के समाधान के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ज) की गई कार्यवाही के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा और एक पखवाड़े में एक बार विहित फार्मेट में दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा ;

(झ) कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाएंगी ;

(ञ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी और वे जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएंगी तथा जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य आयुक्त (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम) को की जाएगी ;

(ट) खंड (ञ) के अधीन कोई अपील आदेश पारित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर की जाएगी ; और

(ठ) उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किसी अपील का निपटारा किया जाएगा ।]

———

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास – (103वां संविधान संशोधन तक) – श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 16288/68

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ` 2,100/-, ` 1,300/- और ` 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को ऑन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in